



1.1

दो वर्षीय सेवाकालीन डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एजुकेशन (दूरस्थ शिक्षा)

शिक्षा के परिप्रेक्ष्य

भाग-1 (प्रथम सत्र)



राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी.),
महेन्द्र, पटना, बिहार



एस.सी.ई.आर.टी., बिहार द्वारा विकसित

दो वर्षीय सेवाकालीन
डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एजुकेशन (दूरस्थ शिक्षा)

शिक्षा के परिप्रेक्ष्य

भाग-1 (प्रथम सत्र)

S1.1



राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी.),
महेन्द्र, पटना, बिहार - 800006

तकनीकी सहायता : ISA, SCERT

प्रकाशक

दूरस्थ शिक्षा निदेशालय
राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्
(एस.सी.ई.आर.टी.), महेन्द्र, पटना, बिहार

© दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, (एस.सी.ई.आर.टी.), बिहार

ISBN	978-93-84709-41-9
डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एजुकेशन (दूरस्थ शिक्षा) कार्यक्रम	
सत्र	प्रथम
विषयपत्र	शिक्षा के परिप्रेक्ष्य-1
प्रकाशन	जून, 2016
प्रतियाँ	7000

विश्व बैंक सम्पोषित परियोजना के अन्तर्गत

डी.एल.एड. (ओ.डी.एल.) के साधनसेवियों एवं प्रशिक्षुओं

(कार्यरत शिक्षिकाओं - शिक्षकों)

के स्वाध्याय हेतु निःशुल्क उपलब्ध

पठन सामग्री विकास समूह

विषय-पत्र : शिक्षा के परिप्रेक्ष्य - 1

दिशाबोध

- श्री संजीवन सिन्हा, निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना
- डॉ. सैयद अब्दुल मोईन, विभागाध्यक्ष, अध्यापक शिक्षा विभाग, एस.सी.ई.आर. टी, पटना
- डॉ. प्रमिला मनोहरन, शिक्षा विशेषज्ञ, यूनिसेफ, पटना
- डॉ. ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, प्राचार्य, मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एण्ड मैनेजमेन्ट, हाजीपुर (वैशाली)

संपादन

- चन्दन श्रीवास्तव, शोधार्थी, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, शिक्षा संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

लेखन

- डॉ. प्रवीण कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड
- तुलिका प्रसाद, प्राचार्या, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, मसौढ़ी, पटना
- चन्दन श्रीवास्तव, शोधार्थी, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, शिक्षा संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
- मुसरत जहाँ, व्याख्याता, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, मगध विश्वविद्यालय, गया
- डॉ. पन्नालाल, प्रधानाध्यापक, +2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नगरगामा, समस्तीपुर

संयोजन

- डॉ. स्नेहाशीष दास, व्याख्याता, अध्यापक शिक्षा विभाग, एस.सी.ई.आर.टी, पटना

आमुख

हमारे बिहार के विद्यालयों में ऐसे शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की ज़रूरत है जिसके लिए शिक्षण वृत्ति

एक स्वाभाविक प्रतिबद्धता हो और जो शिक्षण को एक आनन्ददायी कार्य मानते हों। उन्हें पढ़ाये जाने वाले विषय व पढ़ाने के कौशल तो अच्छी तरह से आते ही हों, साथ ही वह उन बच्चों को भी बेहतर तरीके से जानते व समझते हों जिन्हें वे पढ़ा रहे हैं। अतः विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि, खासकर उपेक्षित वर्ग से आनेवाले बच्चों के प्रति विद्यालय के शिक्षकों में सजगता एवं संवेदनशीलता होना सबसे ज़रूरी है, जिसके बिना उन बच्चों को विद्यालयी शिक्षा की प्रक्रिया में शामिल कर पाना असम्भव है। साथ ही, एक शिक्षक या शिक्षिका में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति लगाव उसे सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को रोचक व सहज बनाने में सहायी होता है। बिहार जैसे बहुलतावादी समाज में बेहतर शिक्षा तभी संभव हो सकती है जबकि हम 'समता' व 'बहुलता' की समझ को अपनी शिक्षा प्रक्रिया के केन्द्र में रखें।

बीसवीं सदी के आखिरी दशक और इस सदी के शुरुआत में पाठ्यक्रम का बदलाव एक गहरा सामाजिक और राजनैतिक सवाल बनकर उभरा है। जब पाठ्यक्रम में बदलाव 'तेज़ी' से हो रहा हो तो

'शिक्षक' में इस संभावना को खोजा जाना लाज़मी है कि वह नयी अकादमिक स्थितियों से सामंजस्य कर सके और ज़रूरत हो तो उनसे मुकाबला भी कर सके। उदाहरण के तौर पर, एक संकुचित अवधारणा यह है कि शिक्षक पाठ्यक्रम की बातों को गन्तव्य (बच्चों) तक पहुँचाने वाला एक एजेन्ट मात्र है जो कि बच्चों को पाठ्य-पुस्तकों में लिखी बातों को रटवायेगा व बच्चे उसे परीक्षा में पुनरोत्पादित करेंगे। शिक्षक की इस रूढ़ीगत भूमिका को तत्काल बदले जाने की ज़रूरत है। नवीन पाठ्यचर्या पर आधारित इस विषयपत्र के माध्यम से यह अपेक्षा है कि प्रशिक्षित शिक्षक अपनी नयी भूमिका में बच्चों को उन स्थितियों को आलोचनात्मक तरीके से समझने में मदद करेंगे जिनमें वे रहते हैं। बच्चें विभिन्न माध्यमों (पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक, परिवेश आदि) से दिये जाने वाले 'ज्ञान' को मात्र स्वीकार न करें बल्कि उनपर प्रश्नचिह्न भी लगा सकें।

ऐसी आदर्श शैक्षिक स्थिति का निर्माण एक सक्षम शिक्षक या शिक्षिका के माध्यम से ही हो सकता है, जिसकी तैयारी की आशा इस विषयपत्र के विभिन्न इकाइयों के विषयवस्तु के माध्यम से की गई है।

प्रयास यह किया गया है कि प्रस्तुत पठन सामग्री, सरल, तथ्यात्मक रूप से सटीक, विषयवस्तु में निरन्तरता बनाए हुए हो। यथास्थान गतिविधियों के माध्यम से प्रशिक्षुओं को सक्रिय रूप से सहभागिता निभाने का अवसर दिया गया। आशा है आप इस पाठ्यसामग्री के माध्यम से शिक्षा की समकालीन आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो सकेंगे।

अंत में, यह बात स्पष्ट करना जरूरी है कि इस पठन सामग्री को आप अंतिम न मानें। इसके साथ-साथ, प्रारम्भिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों और विभिन्न प्रकार की आई.सी.टी. सामग्रियों को भी अपने

अध्ययन का हिस्सा अनिवार्य रूप से बनाएं, तभी आपकी समझ में खुलापन और जिज्ञासा बनी रह पाएगी, अन्यथा आपका विद्यालयी शिक्षण का कार्य नीरस हो जाएगा। इस पठन सामग्री को और संवर्द्धित करने के लिए आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं।

निदेशक

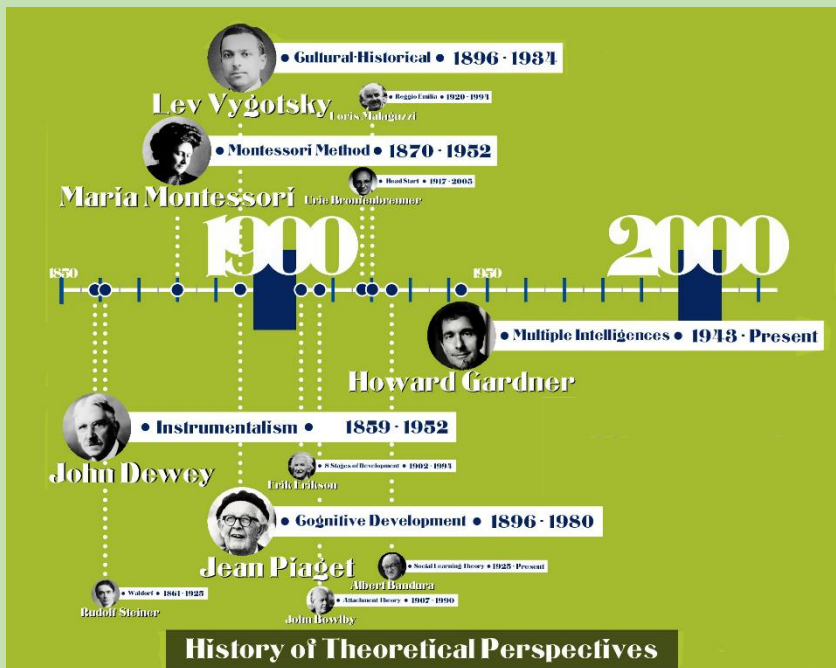
राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार

विषयसूची

इकाई	इकाई का नाम	पृष्ठ संख्या
1	बचपन और समाजीकरण	11 - 53
2	जेण्डर विमर्श और शिक्षा	55 - 78
3	विद्यालय और समाजीकरण	79 - 120
4	शिक्षा और ज्ञान : विविध परिप्रेक्ष्यों की समझ	121 - 157
5	भारतीय चिंतकों के मौलिक लेखन की शिक्षाशास्त्रीय समझ	159 - 176
	उपयोगी पठन सामग्री की सूची	177 - 178

आगे दिए गए विभिन्न इकाइयों की समझ को व्यापक बनाने के लिए निम्नलिखित ई-संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करें:

- इकाइयों के विषयवस्तु पर निर्मित आई.सी.टी. / ऑडियो-विजुअल / एनिमेशन सामग्री।
- प्रारम्भिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों पर आधारित डिजिटल सामग्री, जो इकाइयों से सम्बंधित हों।
- इकाइयों के विषयवस्तु से सम्बंधित फिल्म, डॉक्युमेंटरी, प्रेजेंटेशन, वेब-रिसोर्स, ओपेन रिसोर्स, आदि।



इकाई

1

बचपन और समाजीकरण

- 1.1 परिचय
- 1.2 उद्देश्य
- 1.3 पूर्व अनुभव
- 1.4 बच्चे तथा बचपन की समझ :
 - 1.4.1 सामाजिक-सांस्कृतिक अवधारणा
 - 1.4.2 ऐतिहासिक समझ
- 1.5 समाजीकरण की समझ :
 - 1.5.1 समाजीकरण की अवधारणा : विभिन्न पहलुओं से परिचय
 - 1.5.2 बच्चों का समाजीकरण : प्राथमिक एवं परवर्ती चरण के विभिन्न कारकों से परिचय
- 1.6 बच्चे, बचपन और बाल अधिकारों का संदर्भ
- 1.7 समेकन तथा सीखने-सिखाने में सहयोगी ई-संसाधन
- 1.8 स्वमूल्यांकन



1.1 परिचय

प्रस्तुत इकाई का अध्ययन हमें यह जानने एवं समझने में मदद करती है कि किस प्रकार बच्चे, बचपन एवं समाजीकरण की मूल संकल्पना समय तथा स्थान के अनुसार निरंतर विकसित होती रही है। विद्यालयी एवं परिवेशजन्य अनुभव एवं अन्तर्क्रियाएँ इस बात को स्पष्ट करती हैं कि प्रत्येक परिवार, समुदाय एवं समाज बच्चे, बचपन एवं उनके समाजीकरण को भिन्न-भिन्न नजरियों से देखते हैं तथा विभिन्न तरीकों एवं साधनों से उनके विकास की व्यवस्था करते हैं। मानव मूलतः एक सामाजिक-सांस्कृतिक प्राणी है। सामाजिक व्यवस्था की वह एक नियामक एवं अपरिहार्य इकाई है। विभिन्न विकासीय अवस्थाओं से गुजरते हुए व्यक्ति के लिए बचपन और उससे जुड़े हुए विभिन्न सन्दर्भ एवं अनुभव जीवन को लगातार प्रभावित करते हैं। इन अर्थों में बचपन मात्र जैविक निर्मिति ही नहीं होता, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक निर्मिति भी होता है। इस दिशा में प्रस्तुत इकाई विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अवधारणाओं के संदर्भ में बचपन एवं समाजीकरण को व्याख्यायित करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि समाज अपनी विभिन्न गतिविधियों एवं प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यक्तियों के समाजीकरण की व्यवस्था करता है। आधुनिक सामाजिक परिदृश्य में 'बचपन एवं समाजीकरण' के व्यवस्थापन एवं नियमन में माता-पिता, परिवार, पड़ोस, जेण्डर, समुदाय, मीडिया तथा विद्यालय आदि की भूमिका महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इनमें एक और नया पहलू बाल अधिकारों का जुड़ गया है, जिसकी समझ शिक्षकों को अवश्य होनी चाहिए।

उपरोक्त बिन्दुओं पर विमर्श करने के लिए विभिन्न दृष्टांतों को उदाहरण के तौर पर लिया गया है ताकि प्रशिक्षु उनका स्वयं से विश्लेषण करके बच्चे, बचपन एवं समाजीकरण के विभिन्न पक्षों की संदर्भगत समझ बना सकें।



1.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप :

- बच्चे तथा बचपन की अवधारणा के विभिन्न पहलुओं से अवगत हो सकेंगे।
- समाजीकरण की अवधारणात्मक समझ बना सकेंगे।
- बच्चों के समाजीकरण के प्रमुख कारकों की भूमिका का विश्लेषण कर सकेंगे।
- बच्चे तथा बचपन के संदर्भ में बाल अधिकार की अवधारणा को समझ सकेंगे।



1.3 पूर्व अनुभव

हम सभी अपने-अपने बचपन से गुजरे हैं और अपने आस-पास के कई बच्चों के बचपन को देख रहे होंगे। यह स्पष्ट है कि बचपन की कई बातें बच्चे के भावी जीवन पर बहुत प्रभाव डालती है। इस इकाई के विभिन्न अवधारणाओं को समझने और विश्लेषित करने में आपके अपने बचपन का अनुभव बहुत काम आएगा।

1.4 बच्चे तथा बचपन की समझ

बच्चों तथा उनके बचपन से हमारा हर रोज का सरोकार है, जिसके संदर्भ में यह बात बहुत मायने रखती है कि हमारी उनके प्रति क्या समझ है। समाज में बच्चों तथा उनके बचपन को देखते-समझने के कई नज़रिए हैं, जिनसे हम प्रभावित होते हुए किसी बच्चे से व्यवहार करते हैं। इसका सीधा प्रभाव बच्चों के विकास पर पड़ता है। अतः एक शिक्षक या शिक्षिका के लिए तो यह और महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह उन सामाजिक-सांस्कृतिक नज़रियों तथा साथ में अपनी सोच का गहन विश्लेषण करे। इस खण्ड के

पहले भाग में कुछ दृष्टान्तों के मदद से इन मुद्दों को उभारने का प्रयास किया गया है। दूसरे भाग में बच्चे तथा बचपन की अवधारणा के ऐतिहासिक विकास से सम्बंधित विश्लेषण को प्रस्तुत किया गया है।



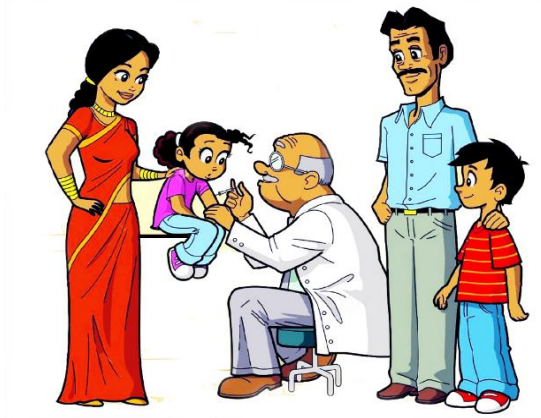
वीडियो देखने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें



<https://www.youtube.com/watch?v=7NsJF9VEIJM>

1.4.1 बच्चे तथा बचपन : सामाजिक-सांस्कृतिक अवधारणा

हमारे समाज में रोज़ाना कई ऐसी घटनाएं या गतिविधियां होती हैं, जिनके आधार पर यह समझना मुश्किल नहीं है कि बच्चों तथा बचपन के बारे में हम क्या सोचते हैं। आगे दृष्टान्तों के माध्यम से कुछ ऐसे उदाहरणों को दिया गया है, जिसके माध्यम से हम बच्चे तथा बचपन की सामाजिक-सांस्कृतिक अवधारणा का विश्लेषण करेंगे।



(दृष्टान्त : 1.4.1-अ)

आरा के मोहनपुर गाँव में मंगरू का परिवार रहता था। मंगरू एक किसान था जो अपने पैतृक जमीन पर साग सब्जी उपजाया करता था। मंगरू का बेटा बीरू गाँव के ही चौधरी के आम का बागान देखकर ललचाया करता था। एक दिन गर्मी की भरी दुपहरी में जब सारे लोग सो रहे थे बीरू चुपके-चुपके आम के बागान में पहुँच गया और ढेला मारकर आम तोड़ने लगा। इसी बीच चौधरी के आदमी आ गए और बीरू उन्हें देखकर भाग गया। यह खबर चौधरी के पास पहुँची। वह आग बबूला हो गया। उसने कुछ बुजुर्गों को इकट्ठा किया तथा बीरू की शिकायत प्रारंभ की। चौधरी ने कहा – “यदि वक्त रहते बीरू की आदतों को नहीं सुधारा गया तो आगे चलकर वह बड़ी-बड़ी घटनाओं को अंजाम देगा। अतः समय रहते उसे समझाना बहुत ही जरूरी है; उसे दंडित करना चाहिए, जिससे फिर कभी वह ऐसे कार्य न कर सके। गाँव के ही रामधनी ने कहा अरे इतना बिगड़ने की कोई बात नहीं है, अभी उसकी उम्र ही क्या है।

आठ-दस वर्ष का बच्चा है, प्यार से समझा बूझा के उसे सही रास्ते पर लाया जा सकता है; ये तो बच्चों का स्वभाव ही होता है। चौधरी के बेटे ललन ने कहा – अरे छोटा क्या है ? इस उम्र में तो विदेशों में लोग अपनी छोटी-छोटी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। ये सब मंगरू के लाड़ प्यार का नतीजा हैं। दो थप्पड़ लगाया जाए तो अपने आप सुधर जाएगा। शिक्षक राम महतो ने कहा –समझा बूझा के भी तो हल निकाला जा सकता है मार पीट से बच्चे ढीठ हो जाते हैं। ऐसे भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में बच्चों को दंड देने के विरुद्ध कड़ा कानून है। मंटू ने कहा – बिल्कुल ठीक है यदि बच्चों को सही राह दिखाई जाए और सही मार्गदर्शन दिया जाए तो बच्चे बुरी आदतें क्यों सीखेंगे।

बहस का दौर चलता रहा। जहाँ एक पक्ष बीरू को बच्चा न मानते हुए अपराधी मानकर दंड की बात कर रहा था वहीं दूसरा पक्ष बीरू की गलतियों को उसके बचपन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया मानते हुए सही ढंग से विकसने का मौका देने के पक्ष में था। शाम हो गयी लोगों ने बीरू को एक मौका देने की सिफारिश की और उसके भूलों को बचपन की भूल मानकर माफ करने एवं समझाने-बुझाने की बात पर सहमती बनायी।

विमर्श के बिन्दु :

- उपरोक्त दृष्टांत में बचपन के संदर्भ में विभिन्न वर्गों की अवधारणाओं के सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों की विवेचना करें।
- एक विशेष उम्र के बच्चों से समाज का विभिन्न वर्ग किस प्रकार के व्यवहार एवं आचरण की अपेक्षा करता है स्पष्ट करें।
- बीरू के व्यवहार की व्याख्या करें।



क्रियाकलाप

- अपने विद्यालय आने वाले किन्हीं पाँच बच्चों के संदर्भ में उनके परिवार व आस पड़ोस के पाँच-पाँच लोगों से संवाद स्थापित कर उस बच्चे के बचपन के बारे में उनके विचारों को रेखांकित करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(दृष्टांत : 1.4.1-ब)

असलम 20—22 वर्षों से हरियाणा के एक फैक्टरी में काम करता था। विभिन्न प्रकार की पारिवारिक समस्याओं के कारण असलम का परिवार अपने पैतृक गाँव में रहने आ गया तथा अपनी जमीन पर खेती—बाड़ी प्रारंभ कर जीवन यापन करने लगा। असलम के दो बच्चे थे — बड़ी बेटी सलमा 10 वर्ष की थी और छोटा बेटा सलमान 9 वर्ष का था। दोनों बच्चे हरियाणा में ही पले बढ़े थे। गाँव आने का यहाँ इनका पहला मौका था। असलम ने दोनों बच्चों का नामांकन पास के सरकारी विद्यालय में करवा दिया। कुछ दिनों तक बच्चों को शहरी परिवेश से आकर ग्रामीण परिवेश में सामंजस्य स्थापित करना कठिन लगता था। इतना ही नहीं नयी जगह व परिवेश होने के कारण गाँव के अन्य मुस्लिम परिवारों के बच्चों के साथ वे सहज महसूस नहीं करते थे। गाँव के बच्चों का रहन—सहन, बोल—चाल, वेश—भूषा कुछ दिनों तक उन्हें परेशान करता रहा। शहर में उनका पहनावा उनकी इच्छा के अनुरूप था परन्तु, उन्हें गाँव में गाँव के रीति—रिवाजों के अनुसार ही रहना पड़ता था। विशेषकर सलमा की परेशानी ज्यादा थी। गाँव वाले अक्सर सलमान की कम परन्तु सलमा के रहने—सहने, खेलने—कूदने, पहनने—ओढ़ने को लेकर ज्यादा टिप्पणियाँ करते रहते थे। सलमा को यहाँ शहरों जैसी स्वतंत्रता नहीं थी यहाँ वह अपने भाई की तरह पैट या जींस नहीं पहन सकती थी। वह अपनी खिड़की पर बैठ धनी किसानों के घरों को देखा करती थी। उसे बड़ा अजीब लगता था, जब वह उनके घर अपने उम्र के बच्चों को खिलौने से खेलते देखा करती तथा वही यह भी देखती कि उसी उम्र के दूसरे बच्चे उन की सेवा में लगे हुए थे जो छोटी—छोटी गलतियों के लिए दण्डित किये जाते थे। वह हमेशा सोचती कि आखिर एक उम्र के होने के बावजूद भी उनसे दोहरा व्यवहार क्यों किया जाता है? जहाँ वे अपने बच्चों को तो बच्चा समझते हैं, वहीं दूसरे गरीब बच्चों से वयरक्त के तरह जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा क्यों रखते हैं? हरियाणा में सलमा फैक्टरी के स्कूल में पढ़ती थी। अतः ऐसी बातें कम देखने को मिलती थी। सलमा हमेशा भ्रमित रहती थी कि आखिर मुझमें और दूसरे बच्चों में क्या अंतर है? वे भी तो मेरे ही उम्र के हैं। अगर मैं बड़ी हूँ, तो वे बच्चे कैसे हैं? आखिर मैं बच्चा कौन हूँ और उसे बच्चे के रूप में माने

जाने के आधार क्या हैं? रात बहुत हो चुकी थी, अतः सलमा ने सोचा कि दूसरे दिन वह माँ से पूछेगी।

विमर्श के बिन्दु :

- दिए गए दृष्टांत के आधार पर बतायें कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बचपन की समझ को लेकर क्या फर्क है?
- आपकी समझ से सलमा और सलमान के बचपन को को भिन्न रूपों में देखे जाने के प्रमुख आधार क्या हैं?
- धनी और निर्धन परिवार में बचपन किन आधारों पर अलग-अलग ढंग से देखा जाता है? सलमा के समझ को विस्तारित करें।
- किसी बच्चे के बचपन के संदर्भ में समुदाय की सोच को उस बच्चे के परिवार की आर्थिक-सामाजिक दशा किस प्रकार प्रभावित करती है?



क्रियाकलाप

- अपने विद्यालय के दो छात्रों व दो छात्राओं के बचपन के संदर्भ में उनके परिवार, आस-पड़ोस व विद्यालय के शिक्षकों द्वारा लैंगिक आधार पर किये जाने वाले फर्कों को रेखांकित करते हुए तत्संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

विषयवस्तु की समझ :

उपर्युक्त दृष्टांतों के माध्यम से आपने विभिन्न नजरों से विषय वस्तु पर अपने विचारों को परखा होगा एवं क्रियाकलापों के माध्यम से उसकी समझ को विस्तारित किया होगा। दृष्टांत 1 में बचपन के विविध रूपों का चित्रण विभिन्न परिस्थितियों के माध्यम से इस आशय के साथ किया गया है कि किसी बच्चे को बच्चे के रूप में समझे जाने या न समझे जाने में परिस्थितियाँ

किस प्रकार प्रभावी भूमिका निभाती हैं। दृष्टांत 2 भी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में बच्चों के बचपन के संदर्भ में, लैंगिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समझ को विस्तारित करता है। इन तमाम दृष्टांतों के माध्यम से सलमा के मन में उठे उस प्रश्न को और विस्तारित किया गया है कि आखिर में बच्चा कौन है? तथा उसे बच्चे के रूप में माने जाने के आधार कौन से हैं? अक्सर हमारे समाज में ऐसी उक्तियाँ बार-बार पढ़ने और सुनने को मिलती हैं कि बच्चे नादान होते हैं, उन्हें बड़ों की सहायता से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। इन उक्तियों का बच्चों के बचपन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। वे यह सोचने के आदी हो जाते हैं कि वे फिलहाल कोई 'बड़ा' काम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वे छोटे हैं, अतः कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकते। सभी महत्वपूर्ण काम वे बड़े होकर ही कर सकेंगे। इस कारण वे जल्दी-से-जल्दी बड़े हो जाना चाहते हैं। साथ ही, समाज उनके व्यवहार को नियंत्रित करने के सारे तरीकों को निरन्तर अपनाता रहता है। दण्ड एवं मानसिक डर के माहौल को इस प्रकार बनाया जाता है जिससे हर बच्चा अपने मौलिक स्वभाव को त्याग कर सामाजिक व्यवहार को जल्द से जल्द अपना ले। अलग-अलग समुदायों में इसकी प्रक्रिया भिन्न-भिन्न हो सकती है। समुदाय में बच्चे के ऊपर कई सवालियों के दबाव भी होते हैं। 'बड़े होकर क्या बनोगे' ऐसे प्रश्न घर पर आनेवाले अतिथियों द्वारा बार बार पूछे जाते हैं या फिर कहीं न कहीं परिवार ही कई माध्यमों से यह घोषणा करने लगता है कि उसके बच्चे आगे क्या बनेंगे। इस प्रकार वयस्क बनने की तैयारी का आगाज़ हो जाता है और वयस्क बनने से बहुत पहले ही बच्चे अपने बचपन से कट जाते हैं। लेकिन, ऐसा नहीं है कि समाज में बच्चों की छवि को केवल नकारात्मक ढंग से ही परिभाषित किया जाता है।

यदि देखें तो समाज में बच्चों की छवियों को कई प्रकार से परिभाषित किया जाता है—जैसे आज्ञाकारी, जिज्ञासु, भोले-भाले, नादान, चतुर, चंचल, परिपक्व, नटखट, गुमसुम, बातूनी, मिलनसार, क्रोधी, हंसमुख, जिदी, गम्भीर, साहसी, डरपोक, नकलची, मूड़ी, तार्किक, मनमौजी आदि। बाल साहित्यों में भी बच्चों तथा उनके बचपन को कई तरह से प्रस्तुत किया जाता है, जो हमारे सामाजिक-सांस्कृतिक चिंतन को दर्शाते हैं। इस पाठ्यक्रम में आप आगे कई ऐसे साहित्य-रचनाओं से अवगत होंगे और उनका अध्ययन करेंगे जिससे बच्चों तथा उनके बचपन से सम्बंधित कई अवधारणाएं स्पष्ट होती हैं।



वीडियो देखने के लिए कृपया नीचे दिए गए
लिंक पर क्लिक करें या दिए गए क्यूआर
कोड को स्कैन करें



<https://www.youtube.com/watch?v=0bEO02DPI6o>



क्रियाकलाप

*बच्चों का मन कोरी स्लेट के समान होता है।
बच्चे कच्ची मिट्टी के घड़े के समान होते हैं।*

क्या आप उपरोक्त युक्तियों के तर्कों से सहमत हैं? हाँ अथवा नहीं।
अपनी कक्षा में इसपर सामूहिक चर्चा करें। साथ ही, बच्चों से जुड़ी
अन्य लोकोक्तियों का संग्रह करें और उनका विश्लेषण करें।

इसमें दोराय नहीं है कि बच्चा स्वयं में एक महत्वपूर्ण सामाजिक-सांस्कृतिक
इकाई है। हर सामाजिक-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में बच्चे एवं बचपन को
अलग-अलग नजरिए से देखा जाता है। हर जाति धर्म व परंपरा में बच्चे
तथा बचपन की समझ अलग-अलग है। जाति, धर्म, आर्थिक व सामाजिक
दशा आदि बच्चे व बचपन को देखने के हमारे नजरिए को प्रभावित करते
हैं। समाज में परोक्ष एवं प्रत्यक्ष दोनों तरीकों से बच्चों को जातीय संस्कारों

एवं सामाजिक संबंधों को सिखाया जाता है। किसके साथ बैठना है, किसके साथ खेलना है, किसके साथ खाना खाना है, ये सारी बातें सिखायी जाती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि समाज बच्चों को एक ऐसी उपयुक्त इकाई के तौर पर भी देखता है जिन्हें सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यताओं को सीखना वयस्कों की अपेक्षा सहज है।

हम यह भी देख सकते हैं कि जहां एक ओर, अभिजात्य वर्गों में बच्चों के लालन-पालन एवं सुरक्षा की अलग अवधारणा है, वहीं सुविधा विहीन परिवारों में बच्चों के लालन-पालन भिन्न प्रकार से होते हैं। उदाहरण के तौर पर—वैश्वीकरण के इस दौर में बच्चों के पालन-पोषण के लिए क्रेच का सहारा लिया जा रहा है क्योंकि माता-पिता दोनों बाहर काम करते हैं। अन्य विकल्प के तौर पर, मां-बा पके स्थान पर बड़े भाई या बहन अपने छोटे भाई या बहन की देख-रेख में होते हैं। गांवों में तो, कभी-कभी माता-पिता बच्चों को अपने साथ खेतों पर ले जाते हैं। धीरे-धीरे उन्हें अपने साथ काम पर भी ले जाना शुरू कर देते हैं। इस माहौल में बच्चे समर्पण के भाव एवं जातीय व्यवहार सीखते हैं एवं सामाजिक अन्तर्संबंधों की भी समझ विकसित करते हैं। इन सब के माध्यम से बच्चे के समाजीकरण के प्रक्रिया में विभिन्न घटकों का समावेश होता रहता है। इसके साथ ही, ग्रामीण एवं शहरी परिवेश में भी बच्चों के लालन-पालन का तरीका अलग होता है जिसका प्रभाव बच्चों के व्यवहारों से परिलक्षित होता है। शहरी और ग्रामीण बच्चों के प्रति समाज में रूढ़ीवादी विचारधाराएं भी होती हैं। जैसे शहरी बच्चों को स्मार्ट, बुद्धिमान, आदि संज्ञाएं दी जाती हैं, वहीं गांव के बच्चों को दबू या कमजोर मानने की आम धारणा है। ऐसी धारणाओं के पीछे असमानता, वंचना और वर्गीय वर्चस्व को स्थापित करनेवाली सामाजिक धारणाएं हैं, जो अपना पहला हमला समाज के बच्चों तथा उनके बचपन पर करती हैं। इसके बारे में हम तृतीय सत्र की पहली इकाई में विस्तार से समझेंगे। बच्चा एवं बचपन की सामाजिक-सांस्कृतिक समझ के लिए यह भी जानना आवश्यक है कि बच्चा लड़का है अथवा लड़की। आगे इकाई-2 में इस विषय पर विशेष चर्चा की गई है।

आज के समय में बचपन पर पड़नेवाले विभिन्न सामाजिक दबावों को भी समझना जरूरी है। पढ़ाई-लिखाई से लेकर भोजन करने तथा कपड़ा पहनने तक में बच्चे कई प्रकार के दबावों व प्रतिबंधों को झेलते हैं, जिनसे बच्चों के प्रति समाज के नज़रिए के वास्तविक चरित्र को समझना मुश्किल नहीं है। चाहे ये दबाव विद्यालय के हों या परिवार के, इससे बच्चों के

जीवन में ऐसे अवसर लगातार कम होते जा रहे हैं, जब वे आजादी से अपनी पसंद का काम कर सकें। साथ ही, स्कूल की पुस्तकें भी बच्चों पर मानसिक बोझ डालती हैं। यदि देखा जाए तो वर्तमान सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य में बच्चों से वे सारे पल छिन लिये जा रहे हैं जब वे स्वयं को बच्चा समझ सकें। समाज बच्चों को उनके बचपन के प्रति हतोत्साहित करने का मौका नहीं छोड़ता।

यह स्पष्ट है कि बच्चों का बचपन व्यक्ति विशेष के सामाजिक-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों के अनुरूप विशिष्ट होते हैं। अलग अलग समाज व संस्कृतियों में बच्चों को भिन्न भिन्न रूपों में समझा जाता है। बच्चों व बचपन के बारे में हमारे समाज में कई धारणाएँ हैं, जो बच्चों के प्रति हमारे व्यवहार को निर्मित करते हैं। बचपन सिर्फ विभिन्न प्रभावों तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि यह स्वयं भी समाज को प्रभावित करता है। इस प्रकार बचपन के अनुभव समाज व बच्चे के मध्य के सक्रिय अनुभव हैं जो सतत अंतःक्रिया के माध्यम से बनते हैं। बचपन की कई बातें बच्चे के भावी जीवन पर बहुत प्रभाव डालती है।



क्रियाकलाप :

अपने आस पास के बच्चों के दैनिक जीवन का अवलोकन करें तथा निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करें :-

- क्या उन सभी बच्चों का दैनिक जीवन एक जैसा है या एक दूसरे से भिन्न है। इसके पीछे के कारणों का विश्लेषण करें।
- ये बच्चों अपना कितना समय किस कार्य में देते हैं, इसका भी अध्ययन करें और इसका उनके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका विश्लेषण करें।
- अपने अवलोकन के आधार पर इसपर विचार करें कि क्या एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे और शहरी पृष्ठभूमि के बच्चे के बचपन में क्या मूलभूत अंतर हो सकते हैं। उपरोक्त बिन्दुओं के संदर्भ में अपनी कक्षा में एक प्रस्तुतिकरण करें तथा अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों पर चर्चा करें।

1.4.2 बच्चे तथा बचपन की अवधारणा : ऐतिहासिक समझ

मानव समाज के विकास का अपना एक लम्बा अतीत रहा है जिसे हम विशेष रूप से इतिहास के माध्यम से समझते हैं। हम यह जानते हैं कि इतिहास के विभिन्न कालखण्डों में विभिन्न सभ्यताओं व संस्कृतियों से संबंधित समुदायों का उद्भव व विकास होता रहा है। स्पष्ट है कि उन समुदायों के अस्तित्व में उन बच्चों का अस्तित्व भी समाहित है जिन्होंने भविष्य में उन समुदायों को आगे बढ़ाया होगा। अतीत में बच्चों की भूमिका इतनी अहम होने के बावजूद, ऐसा प्रतीत होता है कि हमने अपने इतिहास के अध्ययन में इसे कभी भी ज्यादा महत्व नहीं दिया। लेकिन बच्चों के मामले पर इतिहास के ऐसे चुप रहने अथवा उत्साही साक्ष्य न मिलने का निष्कर्ष यह नहीं निकाला जाना चाहिये कि अतीत में विकसित समुदाय अपने बच्चों के प्रति संवेदनशील नहीं थे। आज के काल में बच्चों का जो स्वरूप विद्यमान है, यह कहीं न कहीं अपने अतीत में हुए विकास का भी द्योतक है। अतः बच्चों के बचपन की संकल्पना को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखना भी अति महत्वपूर्ण है।

बच्चों के बचपन को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने पर स्वतः ही कई सवाल उठते हैं। जैसे— अतीत के समुदायों में बच्चों के बचपन की क्या अवधारणाएं रही होंगी? किस प्रकार बचपन की संकल्पना, बच्चों की छवि, तथा परिवार के नजरिये में सदी-दर-सदी बदलाव आते रहे हैं? इस बदलाव के पीछे क्या कारण रहे होंगे? उस समय व आज के आधुनिक युग में इन संकल्पनाओं में कितना परिवर्तन हुआ है? इन सभी सवालों का कोई सटीक उत्तर देना काफी कठिन है। फिर भी उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कुछ अनुमान लगाने की गुंजाइश जरूर बनती है। यह स्वाभाविक है कि साक्ष्यों की बहुलता व प्रमाणिकता के मामले में आधुनिक काल इतिहास के अन्य कालखण्डों की तुलना में अधिक धनी है। अतः वर्तमान काल में बच्चों के बचपन के विषय में क्या स्थिति बनी है, उस पर बेहतर तरीके से विमर्श किया जा सकता है। ऐतिहासिक दृष्टि से विभिन्न कालखण्डों में बच्चों की स्थितियों के विषय में जानने को कम ही मिलता है। इस सीमा के कारण बच्चों की अवधारणा के निश्चित क्रमिक विकास को इतिहास के सभी कालखण्डों के परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से देखा नहीं जा सकता। यहां हम बच्चों और बचपन से सम्बंधित कुछ मूलभूत विशेषताओं व मान्यताओं को लेते हुये इतिहास में उनसे जुड़े साक्ष्यों का विश्लेषण करेंगे। साथ ही यह

प्रयास भी होगा कि यथा सम्भव हम अपने विश्लेषण को इतिहास के विभिन्न कालों के संदर्भ में कर पायें और उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखें।

बच्चों के बारे में बहुत पहले के लोग क्या सोचते थे?, यह प्रश्न हमारे मन में कौतुहल को अवश्य जागृत करता है। आगे दिया गया उद्धरण बच्चे और बचपन के ऐतिहासिक अवधारणा के कुछ मूल पक्षों पर विशेष प्रकाश डालता है। इसके विश्लेषण के माध्यम से हम बचपन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझने का प्रयास करेंगे। आइये इसे पढ़ते हैं और इसमें उठाये गये बचपन से संबंधित विभिन्न पहलुओं को समझते हैं।



एक जैविक अवधारणा (बच्चा मात्र जैविक प्राणी के रूप में) सामाजिक अवधारणा (बच्चा सामाजिक प्राणी के रूप में) में तब्दील हो रही है कि बच्चा सिर्फ जैविक छोटा प्राणी नहीं है जो कि बड़े का एक छोटा संस्करण हो, उसका अलग व्यक्तित्व है। प्लेटो ने दो सहस्राब्दि पहले कहा था कि बच्चा दरअसल बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, जैसे आप किसी विदेशी से जिसकी भाषा आपको न आती हो जब बात करते हैं तो आपको मालूम होता है कि मेरी कई बातें वो ठीक समझेगा, कई नहीं समझेगा या गलत समझेगा और जब वो कुछ बोलता है, अपनी भाषा में बोलता है और हमको उसकी भाषा नहीं आती तो हम भी उसकी पूरी बात नहीं समझ पाते। कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, और इस तरीके से जो आदान-प्रदान होता है वह आधा-अधूरा ही रहता है।

प्लेटो ने जरूर इस रूपक को यह सब सोचकर रखा होगा कि जब बच्चों से लोग बात करते हैं तो केवल इस कारण कि ये बच्चा मनुष्य जैसा

दिखता है, ये न सोँचे कि ये मेरी बात को समझेगा और मैं इसकी बात को समझूँगा। उनके बीच में ये गुंजाइश रहे कि वे दोनों ही एक-दूसरे की बात को नहीं समझ पायेंगे। सम्प्रेषण का एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहेगा जो अंधेरे में रहेगा। जाहिर है, उस समय इतना मनोविज्ञान विकसित नहीं हुआ था कि प्लेटो समझ सकता कि क्यों अंधेरा रहता है। लेकिन उसने फिर भी एक बहुत बड़ी बात कही थी और इस आधार पर यह अनुशांसा भी की थी कि अपने बीच में जैसा सम्मान हम विदेशियों को देते हैं, वैसा ही सम्मान हमें बच्चों को भी देना चाहिये। अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन क्या पता बाद में वही सही निकले। वैसे ही बाद में वही रहेगा, हम तो रहेंगे नहीं। तो इस नाते कम से कम एक संस्कार रखने की कोशिश प्लेटो ने की थी। और पिछले 2000 सालों पर गौर करें तो ऐसे कई लोग हुए जिन्होंने हमें याद दिलाया कि बच्चों को गम्भीरता से लेने की जरूरत है। हमारे देश में भी ऐसे लोग लगातार होते रहे हैं। अगर सूर के शब्दों पर विचार करें जिन्होंने अपने पदों के जरिए बच्चों की झूठ बोलने की प्रवृत्ति पर, बहाना बनाने, छिपाने की प्रवृत्ति पर विचार किया था और यशोदा को एक ऐसी माँ के रूप में स्थापित किया जो ये सब सहन करती हैं और बहाना सुन के कहती नहीं है कि मुझे पता है कि ये तुम्हारा बहाना है बल्कि गले लगा लेती है, तो सूर कौन-सा रूपक रच रहे थे। वो वही रूपक रच रहे थे कि बच्चों की दुनिया में लोकपाल बनने की कोशिश मत कीजिए। उनको छिपने की जगह दीजिए। उनको बहाना बनाने की जगह दीजिए। उनको अपनी कल्पना की दुनिया में रहने का मौका दीजिए। इसको लेकर अनेक परम्पराएँ हैं, लोक आख्यान हैं, कोई कमी नहीं है।

(स्रोत: कृष्ण कुमार, *बचपन की अवधारणा और बाल साहित्य, शैक्षणिक संदर्भ*, अंक-24 (मूल अंक 81), पृ.57,58)



क्रियाकलाप

दिये गये उद्धरण के आधार पर निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करें।

- जैविक अवधारणा और सामाजिक अवधारणा के रूप में बचपन को समझने के क्या-क्या मायने हो सकते हैं? इसपर सोँचे।

- उद्धरण में बच्चों के जो भी गुण परिलक्षित हुये हैं उनकी पहचान करें, सूचीबद्ध करें तथा इस पर विचार करें कि आज के समाज में उन गुणों के प्रति क्या धारणाएं हैं और क्यों?
- उद्धरण में एक भारतीय प्रसंग की चर्चा भी की गयी है। इस संदर्भ में यह विचार करें कि यह प्लेटों के विचार से किस प्रकार अलग है?
- उद्धरण के आधार पर आप उस समय के बच्चों की स्थिति के विषय में क्या अनुमान लगा सकते हैं? उन स्थितियों का आलोचनात्मक विश्लेषण भी करें।

आपने ऊपर के उद्धरण के माध्यम से बच्चों के विषय में कुछ प्राचीन मतों को जाना और उनसे संबंधित दिये गये बिन्दुओं पर विचार किया। विचारकों के अनुसार प्राचीन मानव समाजों में 'बच्चे' को एक स्वतंत्र सामाजिक प्राणी की श्रेणी में नहीं रखा जाता था और आज भी यह मत किसी न किसी रूप में विद्यमान है। कई मनोवैज्ञानिकों का यह भी विश्लेषण है कि हमारे समाज में शैशव की अवधारणा तो है, लेकिन बचपन की नहीं है, और किशोरावस्था की तो लगभग नहीं के बराबर है। बच्चे के तीन-चार साल की आयु बीतने के बाद से हमारे समाज तथा परिवार में उससे की जाने वाली अपेक्षाएं दरअसल उसे वयस्क बनाने की तैयारी रही है और बचपन की संकल्पना को यहां कभी स्वीकारा नहीं गया। अब हम ऊपर के उद्धरण के माध्यम से उठाये गए विचारों को आगे बढ़ाते हुए अपने अतीत में बच्चों की संकल्पना कैसी थी, इसकी पड़ताल करेंगे। आज के समय में बच्चे की अवधारणा कैसे बन रही है, इसकी चर्चा आगे के खण्ड में की जायेगी।



क्रियाकलाप

हड़प्पा सभ्यता में पाए गए कुछ खिलौनों के चित्र यहां दिए जा रहे हैं। आप इन्हें देखकर क्या अनुमान लगा सकते हैं?

अतीत में देखें तो भारत की प्राचीन सभ्यताओं में बच्चों के विषय में कुछ उत्साहवर्द्धक अनुमान लगाने की भरपूर संभावना मिलती है। अब तक की खोजों में कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं जो हड़प्पाकालीन सभ्यता के लोगों के बच्चों एवं बचपन के प्रति संवेदनशील होने का स्पष्ट प्रमाण देते हैं। खिलौनों का पाया जाना उनकी संवेदनाओं एवं जागरूकता का ही एक उदाहरण है। यहाँ भवन निर्माण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात भी ध्यानाकर्षित करती है। हड़प्पा कालीन भवनों के मुख्य द्वार कभी मुख्य सड़क की ओर नहीं पाए गए। ऐसा माना जाता है कि इसका एक मुख्य कारण बच्चों की सड़क पर चलने वाले सवारियों से सुरक्षा करना भी था।

उपरोक्त सभी तथ्य इस धारणा को और पुष्ट करते हैं कि वह समाज अपने बच्चों के पालन-पोषण औ शिक्षा के प्रति भी जागरूक व संवेदनशील रहा होगा। जिस सभ्यता में लोग अपने बच्चों के प्रति इतन सचेत रहे हैं, अनुमानों के आधार पर उस समाज में एक जीवन्त बचपन की अपेक्षा की जा सकती है।

इसके साथ साथ, प्राचीन काल में रचित काव्यों, कथा-कहानियों में भी उस काल के बच्चों के बचपन की छवि दिखती है। उदाहरण के तौर पर कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुन्तलम् में शकुन्तला पुत्र भरत के बचपन की परिस्थितियों का वर्णन है। इस बच्चे के नाम पर हमारे देश का नामकरण 'भारत' करना, यह दर्शाता है कि प्राचीन समाज में बच्चों के प्रति क्या धारणा थी। हालांकि, इन उदाहरणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि उस समय बच्चों का बचपन बहुत खुशहाल था। प्राचीन काल की कई कथाओं में ऐसे उदाहरण भी हैं जहाँ बच्चों के बचपन पर सामाजिक दबाव काबिज है। महाभारत के कर्ण और एकलव्य की कथा से आप जरूर परिचित होंगे।



क्रियाकलाप

आप कुछ पौराणिक कथाओं का संग्रह करें जिसमें बच्चों के विशेष चरित्रों व दशाओं के विषय में लिखा हो। उनको पढ़ें और यह विश्लेषण करें कि :

- उन कथाओं में उल्लेखित बच्चों की सामाजिक स्थिति क्या थी? उदाहरण के तौर पर एकलव्य की कथा को ले सकते हैं।
- क्या उन कथाओं में किसी बालिका के बचपन का भी विवरण मिला है?
- आप उनमें से किसके बचपन से सबसे अधिक प्रभावित हुए और क्यों?

प्राचीन काल के बाद, अब हम बचपन के मध्ययुगीन अवधारणा पर विचार करते हैं। इतिहासकार फिलि एरीज (1962) मानते हैं कि एक बार जब बाल्यावस्था की संस्था का अभ्युदय होना आरम्भ हुआ, तो समाज में वयस्कों और बच्चों के मध्य के सम्बंध की स्थिति बदलने लगी। बच्चों को वयस्क वास्तविकता से बचाने के क्रम में बच्चों से उन सभी असहज बातों को छिपाना शुरू हुआ जिसे बच्चों के लिये जानना अच्छा नहीं माना गया। एरीज ने चित्रों, लेखों, सामग्री आदि के विश्लेषण से निकाला कि मध्ययुग से पूर्व बचपन की अवधारणा अस्तित्व में नहीं थी परन्तु बच्चे को अनदेखा भी नहीं किया जाता था। यहां बचपन की अवधारणा और बच्चे के प्रति स्नेह के मायने अलग-अलग हैं। बच्चे के प्रति स्नेह का अर्थ यह नहीं है कि कोई समाज उसके बचपन को मान रहा है। इस काल में शैशवावस्था को युवावस्था व वयस्कों से अलग नहीं माना जाता था, अर्थात् शैशवावस्था खत्म होते ही वह वयस्क समाज से संबंधित हो जाता था। आगे चलकर, धीरे-धीरे बच्चों की अपनी मिठास, सादगी व अपने नटखटपन के कारण वयस्कों के मनोरंजन एवं तनावमुक्ति के स्रोत के रूप में नई अवधारणा प्रकट होती नजर आती है। इस समय लिखी किताबों में हमें दिखाई देता है कि मां और परिवार के अन्य लोग बच्चों के खुश होने पर खुश रहते हैं। ऐसा माना जा सकता है कि बच्चों की उछलकूद, बोलना सिखाना, खेलना, आदि छोटी-छोटी हरकतों से मिलनेवाले आनन्द को समाज व परिवार ने महत्व देना शुरू कर दिया था। इसी कालक्रम में उक्त अवधारणा के विरुद्ध आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी जिनमें बच्चे का इस तरह से पालन पोषण के दौरान अत्यंत प्रेम और खुले माहौल को गलत माना गया। कालांतर में बच्चे बड़ों के बीच अपने मूर्खतापूर्ण उत्तरों के कारण परिहास का कारण बनने लगे तथा ऐसा लगने लगा कि वे वयस्कों के मनोरंजन के लिए बने हैं। यदि आलोचनात्मक दृष्टिकोण से परखें तो पाएंगे कि फिलिप एरीज का यह विश्लेषण का दायरा वस्तुतः एक विशेष अभिजात्य

वर्ग के बच्चों पर ही सीमित है जिसमें मध्ययुगीन समाज के अन्य वर्गों के बच्चों का बचपन शामिल नहीं है। उस समय के किसानों, मजदूरों, उपेक्षित समुदायों में बच्चों का जीवन कैसा था, इसकी समझ उनके विश्लेषण से नहीं मिलती है।

यदि मध्यकाल में भारतीय समाज का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि इसके राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य में कई बदलाव आए, जो मुख्य रूप से भारत में बाहर के समुदायों के आगमन के कारण हुआ। इस परिस्थिति में बच्चों के विकास का संदर्भ भी बदला, जैसे उनके लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा व परिवेश से संबंधित स्थितियों में विशेष परिवर्तन हुए। बच्चों के पठन-पाठन के लिए विद्यमान पहले की धार्मिक व सामुदायिक संस्थाओं के साथ-साथ 'मकतब', 'मदरसो' व 'पाठशाला' का भी विकास हुआ। इसी काल में इकाई मिशनरियों के आने से बच्चों के बचपन पर प्रभाव परिलक्षित होने लगा। इन संस्थाओं का आप आज भी विकसित रूप में देख सकते हैं।

मध्यकाल के उत्तरार्द्ध में लगभग सत्रहवीं शताब्दी के आरम्भ से वैश्विक स्तर पर बच्चों की अवधारणा में कुछ और परिवर्तन हुए। अब विचारकों का बच्चों के प्रति रुझान का कारण बच्चों से उनका स्नेह नहीं था बल्कि बच्चों के प्रति मनोवैज्ञानिक व नैतिक चिन्ता थी। वे बचपन की अवधि को समझ के विकास का समय मानते थे। धीरे-धीरे बच्चों के मनोविज्ञान पर टिप्पणियों का दौर भी शुरू हुआ। बचपन के भोलेपन के साथ साथ बच्चों की तर्कशीलता विकसित करने, विचारशील व्यक्तित्व का निर्माण करने पर जोर दिया गया ताकि वे अच्छे व सभ्य नागरिक बन सकें। बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिये विभिन्न प्रयोगों व युक्तियों को भी अपनाये जाने का दौर शुरू हो गया।

कुल मिलाकर देखा जाये तो मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था में बाल्यावस्था की वैश्विक अवधारणा में कई स्थायी परिवर्तन हुए, हालांकि पूरे वैश्विक स्तर पर उनमें कितना परिवर्तन आया, इसकी स्पष्ट समझ बना पाना कठिन है। यहां मध्यकालीन समाज की वैश्विक अवधारणा को मोटे तौर पर इस रूप में भी समझा जा सकता है, जहाँ प्रायः बच्चों को उनके पिता या अभिभावक अपने नियंत्रण एवं सत्ता के अधीन रखने के पक्ष में थे। वहीं दूसरी ओर पारम्परिक भारतीय दृष्टिकोण में बच्चों को दया, करुणा, अहिंसा इत्यादि का अधिकारी माना गया, बच्चों में आत्म-अनुशासन, दूसरों का

सम्मान करने वाला, निश्छल इत्यादि गुणों को आवश्यक समझा गया है। गहराई में देखा जाये तो बचपन की विशिष्ट चरित्र, स्नेह व दयाभावना वाली अवधारणा का उद्भव परिवार में हुआ। वहीं इसके विपरीत, नियंत्रण, सत्ता और अनुशासन की दूसरी अवधारणा परिवार के बाहर के स्रोतों से निकलकर आई।



क्रियाकलाप :

- मध्यकालीन भारत में बच्चों के विषय में लिखे गये साहित्यों की सूची बनाएं।
- उनमें से किसी एक साहित्य का अध्ययन करें तथा उसमें बच्चों के बचपन पर आये दृष्टांतों/
- घटनाओं/विवरणों को संकलित करें एवं उनपर अपना विश्लेषण प्रस्तुत करें।

वर्तमान समय में बाल्यावस्था के उद्भव और इतिहास का अध्ययन शुरू करने वालों ने पाया है कि बाल्यावस्था, मातृत्व, घर व परिवार जैसी संस्थाएं आज जिस रूप में मिलती हैं वे कुछ महत्वपूर्ण अर्थों में न केवल स्थानीय हैं, बल्कि उनका उद्भव हाल में ही हुआ है। अर्थात् बाल्यावस्था को हम जिस रूप में जानते हैं वह न केवल एक आधुनिक आविष्कार है बल्कि उसकी प्रकृति संस्थागत है। संस्थागत बाल्यावस्था उन दृष्टिकोणों, भावनाओं, रिवाजों तथा नियमों से बंधी है जो एक बच्चे और उसके बुजुर्गों के बीच गहरी खाई खोदते हैं। इससे बच्चों और युवाओं को अपने इर्द-गिर्द तथा समाज से सम्पर्क स्थापित करने में कठिनाई आती है, या यह सम्पर्क असंभव हो जाता है। और तो और वे समाज में किसी प्रकार की सक्रिय जिम्मेदार होने की या उपयोगी भूमिका भी नहीं निभा पाते। जॉन हॉल्ट का मानना है कि आधुनिक बाल्यावस्था की संस्था, दृष्टिकोण, रीति-रिवाज और आधुनिक जीवन में बच्चों से संबंधित कानून इत्यादि का निर्माण एक अनिवार्य प्रयास है, जिसके अन्तर्गत बच्चों का जीवन किस प्रकार है? बड़े-बुर्जुग इनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? इनके जीवन के लिए क्या बेहतर हो सकता है? इत्यादि, ये सब प्रश्न वयस्को ने पहली बार आधुनिक

युग में सोचना प्रारम्भ किया। यह स्पष्ट है कि आधुनिकता ने 'बच्चे एवं बचपन' के प्रति हमारी समझ में व्यापक बदलाव किये हैं। आगे के भाग में हम इस पर चर्चा करेंगे।



क्रियाकलाप

- क्या आप इस मत से सहमत हैं कि बचपन की अवधारणा एक नवीन संकल्पना है और यह आधुनिक दुनिया की खोज है? अध्ययन केन्द्र पर इस कथन के ऊपर एक वाद-विवाद परिचर्चा का आयोजन करें।
- बच्चों एवं बचपन की आधुनिक और आधुनिक-पूर्व अवधारणा में किस प्रकार के अंतर हैं, ऐसे अंतर क्यों आए। इस विषय पर अपने अध्ययन केन्द्र पर चर्चा करें।
- आपका अपना बचपन कैसा रहा है और आप आज के बच्चों को किस प्रकार देखते हैं? इसपर एक आलेख लिखें और अध्ययन केन्द्र पर अपने साथियों से साझा करें।
- आज के बच्चों को कैसा बचपन चाहिए। इस बारे में कुछ बच्चों से बात करें और उनके जवाबों का विश्लेषण प्रस्तुत करें।

1.5 समाजीकरण की समझ

1.5.1 समाजीकरण की अवधारणा : विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण

यह समाजीकरण की अवधारणा क्या है और बच्चों के संदर्भ में क्यों महत्वपूर्ण है, इसे समझने के लिए आइए आगे दिए गए दृष्टांतों का अध्ययन एवं विश्लेषण करते हैं।



(दृष्टांत : 1.5.1-अ)

शिक्षा दिवस के अवसर पर गाँधी मैदान पटना में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बिहार के प्रत्येक प्रमंडल से पाँच-पाँच बच्चे चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु आये हुए थे। उनके रहने-खाने की व्यवस्था एक साथ की गई थी। शाम के समय जब बच्चे आपस में मिले तो वे विभिन्न बातों पर चर्चा करने लगे। बिहार के उत्तर के जिलों से आये बच्चे जहाँ बाढ़ की त्रासदी से त्रस्त थे, वहीं सूखा ग्रस्त इलाके के बच्चे पानी की आवश्यकता खेतों में उपज के लिए महसूस करते थे। भाषा, खान-पान, रहन-सहन आदि में भी बच्चे अलग थे। आरा, छपरा के बच्चे चावल दाल, लिट्टी चोखा, खाना पसंद करते थे वही मिथिला के बच्चे दही-चुड़ा खाते थे। बच्चे पहनावे में भी एक दूसरे से भिन्न थे। फिर भी, सारे बच्चे मिलजुलकर रह रहे थे। उनके सामाजिक सांस्कृतिक, जातीय, धार्मिक एवं भौगोलिक विशेषताओं के कारण उनके आचरण, व्यवहार, रहन-सहन, भाषा एवं रीति-रिवाजों में भी अंतर दिखाई पड़ता था।

विमर्श के बिन्दु :

- विभिन्न क्षेत्रों का प्रभाव बच्चों के बचपन पर कैसे पड़ता है ? सोदाहरण व्याख्या करें।
- विभिन्न प्रमंडलों से आये बच्चों के समाजीकरण को प्रभावित करनेवाले प्रमुख कारकों की पहचान करके उनका उल्लेख करें।
- यदि किन्हीं दो बच्चों की पृष्ठभूमि एक जैसी नहीं है तो इस आधार पर उनमें अन्तर किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक के समक्ष कई प्रकार की कक्षागत चुनौतियाँ उभर कर आती हैं। इस संदर्भ में विचार करें की अपनी कक्षा के बच्चों को 'विविधता' और 'विभेद' की अवधारणा को आप कैसे समझाएंगे।



क्रियाकलाप

- बिहार के समस्त प्रमंडलों के प्रमुख खान—पान, पहनावे, बोलियों, रीति—रिवाजों व भौगोलिक परिस्थितियों की सूची बनाएँ। बच्चों के समाजीकरण में इनकी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
- आप अपने विद्यालय के अन्य शिक्षक व शिक्षिकाओं से चर्चा करें और यह विश्लेषण करें कि बच्चों के समाजीकरण के विभिन्न तरीकों के प्रति उनका मत क्या है।
- अपने विद्यालय में पढ़ने वाले किन्हीं पाँच बच्चों के संदर्भ में यह पता लगायें कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य एवं भाषाई विविधताएँ उनके समाजीकरण को कैसे प्रभावित करती हैं? अपने साथी शिक्षकों से इसकी चर्चा करें और उनके अनुरूप शिक्षण योजना बनायें।

(दृष्टांत : 1.5.1-ब)

रमेश बाबू एक धनी किसान थे। उनके दो बच्चे थे – सुदेश और मुकेश जो अपने परिवार के साथ अपने पिता रमेश बाबू के घर पर ही रहते थे एवं खेती में उनका हाथ बँटाया करते थे। सुदेश के दो बेटे थे जब कि मुकेश को एक बेटा और एक बेटी थी। चारों बच्चे घर के आँगन में एक साथ खेला करते थे। एक दिन रमेश बाबू की चाची उनके घर आई। चाची को चारों बच्चों का इस तरह खेलना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने पिकी को बुलाकर पास बैठाया और कहा कि – मेरे पैर में बहुत दर्द है जरा तेल लगा दे।

तभी पिकी की माँ शैल ने कहा – चाची अभी तो वह बच्ची है, लाइए मैं लगा देती हूँ। चाची भड़क कर बोली— 10 साल की लड़की है और तुम इसे बच्ची कह रही हो। तुम भी क्या बात करती हो। दिन भर केवल भाइयों के साथ खेलती है आखिर घर के रीति-रिवाज व संस्कार कब सीखेगी? स्कूल से आते ही बंदरों की तरह उछलती रहती है। इसे कुछ काम धंधा सीखाओ नहीं तो बहुत बदनामी होगी।”

शैल ने कहा, “चाची इसे समय कहाँ मिलता है। स्कूल के कार्यों से तो बस थोड़ी सी फुरसत मिलती है। उसे भी तो खेलने का मन करता है।”

चाची ने कहा, “भाई आज कल तो जमाना ही बदल गया है। हमारे जमाने में तो बच्चियाँ माँ के कामों में हाथ बँटाती थी। बड़े बुजुर्गों की सेवा करती थीं। परन्तु आज ये पढ़ने लिखने वाली पीढ़ी घर और परिवार को तो कुछ समझती ही नहीं है।

शैल ने कहा, “चाची पढ़ना लिखना भी तो जरूरी है। समय के साथ साथ नहीं चलेंगे तो बिलकुल पिछड़ जाएँगे। आज समाज की सोच बदलने लगी है।”

चाची ने कहा, “तुम्हारी बातें तुम ही जानो। मैं तो मंदिर चली।” मंदिर में उन्हें गाँव की अन्य महिलाएँ मिल गईं। एक ने अपनी बहु की शिकायत करते हुए कहा, “क्या बताउळें इतना समझाती हूँ कि बेटे को घर के रीति-रिवाज, धर्म-कर्म और परम्परा की बातें सिखाएँ, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता।

दूसरी ने कहा, “अरे पहले तो मुस्लिम परिवार की लड़कियाँ पर्दा किया करती थीं, आज तो वे भी पढ़ने के लिए स्कूल जाती हैं।

तीसरी ने कहा, “शहरों में तो लड़कियाँ और भी स्वतंत्र हो गई हैं। लड़कों की तरह पैट-शर्ट पहन कर घूमती रहती हैं।”

उनमें से एक महिला जिसकी बेटी शहर में नौकरी करती थी, ने कहा — “यही तो परेशानी है। हम घर-परिवार, आस-पड़ोस, वाले अपनी इच्छा से जबरन बच्चों के बचपन को सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप ढालना चाहते हैं। कितनी खुशी की बात है कि हमारी बच्चियाँ डॉक्टर, इंजीनीयर, बन कर देश

और समाज की सेवा करती हैं तथा घर एवं परिवार का नाम रोशन करती हैं। मीरा कुमार, सानिया मिर्जा, कल्पना चावला, शारदा देवी, इंदिरा गाँधी आदि भी तो लड़कियाँ ही हैं। सही बताना क्या उस समय ऐसा नहीं लगता कि हम अपनी झूठी शान के नाम पर उनके पैरों में सामाजिक मान्यताओं की बेड़ियाँ डाल देते हैं।”

इस बात ने चाची के दिल को झकझोर दिया। उन्हें अपनी गलती का अहसास हुआ।

विमर्श के बिन्दु :

- चाची के विचार समाज की किस सोच को दर्शाता है? विवेचना करें।
- क्या आप अपने घरों में लिंग भेद के व्यवहारों को अनुभव करते हैं? इसको दूर करने के कौन से उपायों को आप सुझाएँगे?



क्रियाकलाप

- अपने विद्यालय में छात्राओं के साथ हो रहे उन व्यवहारों की पहचान करें जिसे आप लिंग-भेद संबंधी व्यवहार मानते हैं। इसके संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

विषय वस्तु की समझ :

उपरोक्त दृष्टान्तों के माध्यम से आपने देखा की समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे समाज में आकार लेती है, कैसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं पारिवारिक कारक बच्चों के बचपन को अलग ढंग से देखते हैं एवं उनके समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। आपने क्रियाकलापों के माध्यम से भी इसकी सत्यता की पड़ताल की। बच्चा समाज में जन्म लेता है और जन्म से ही वह सामाजिक विश्व का अंग बन जाता है। इस सामाजिक विश्व में परिवार, मित्र-समूह, समुदाय आदि सभी शामिल हैं। इन सभी के साथ बच्चा ऐसे अन्तर्संबंधों का ताना-बाना बनाता है जो जीवन पर्यन्त चलता रहता है। बच्चा जैसे-जैसे बढ़ता है, उसके सामाजिक संसार का फैलाव होता जाता है। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, वह अपने परिवेश, विशेषरूप से अपने परिवार, समुदाय, विद्यालय, मित्र-समूह, व अन्य संचार माध्यमों से निरंतर सीखता रहता है और संबंधित व्यवहार, व विश्वास निर्मित व पुनर्निर्मित करते रहता है। इन्हीं में वह अपने जीवन को ढालने लगता है। हर समाज अपने तरह के लोग चाहता है। इसके लिए परिवार, जाति, समूह, धर्म जैसी न जाने कितनी ही संस्थाएँ समाज ने ऐतिहासिक विकास-क्रम में बनाई हैं। इसप्रकार समाज में अपने आंतरिक जीवन मूल्यों और मान्यताओं को सिखाने के लिए एक सचेत व्यवस्था है, इन्हीं व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं में बच्चे बड़े होते हैं। चाहे-अनचाहे उनका सामना विभिन्न सामाजिक, संस्थाओं और प्रक्रियाओं से होता है। ये संस्थाएँ और प्रक्रियाएँ प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे को “कुछ करने के लिए” और “कुछ ना करने के लिए” कहती हैं। बच्चों की अपनी एक निराली दुनिया होती है जिसमें कभी-कभी बड़े अपनी सामाजिक हैसियत की दशर डालते नजर आते हैं। आपने देखा कि विभिन्न सामाजिक और आर्थिक परिवेश में पलने वाले बच्चों की प्रकृति भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। उसी तरह दृष्टान्त में यह भी दिखाने का प्रयास किया गया है कि विभिन्न भौगोलिक, जातीय एवं आर्थिक परिवेश का प्रभाव बच्चों के समाजीकरण पर पड़ता है। अंतिम दृष्टान्त चाची एवं उनके जैसी अन्य महिलाओं के सोच को दर्शाता है जो लैंगिक आधार पर बच्चों के बचपन को ढालने का प्रयास करती है वही शैल और दूसरी महिला दोनों के पालन पोषण में एकरूपता लाने की बात करती है। अगर देखा जाय तो किसी बच्चे का विकास कैसे हो, समाज में उनकी भूमिका कैसी हो यह विभिन्न कारकों के द्वारा निर्धारित होता है।

इस प्रकार समझे तो समाजीकरण वह अन्तःक्रियात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह के मूल्य, विश्वास, मनोवृत्ति, मानदण्ड और भाषिक विशेषताएँ अर्जित करता है। इन सांस्कृतिक तत्वों को अर्जित करने के दौरान व्यक्ति की अपनी पहचान और व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सामाजिक निरंतरता को बरकरार रखती है। अगर देखा जाए तो समाजीकरण मूलतः सदस्यों द्वारा समाज के तरीके सीखने की प्रक्रिया है। इसका अभिप्राय यह है कि बच्चा संस्कृति के तत्वों को आत्मसात कर अपने व्यवहार को सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप परिमार्जित कर समाज का सदस्य बनता है। बच्चा समाज में सह-अस्तित्व, परस्पर निर्भरता और अपेक्षाएँ सीखता है। इस प्रक्रिया में वह अपने आपको जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में रूपान्तरित करता है और वह समाज का स्वीकार्य सदस्य बनता है। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बच्चे के जेंडर (लिंग) के अनुसार एक ही समाज अलग-अलग तरीके से समाजीकरण करता है। इस संदर्भ में हम इकाई-2 में विशेष चर्चा करेंगे।

इस प्रकार, समाजीकरण की अवधारणा के कई पहलू हैं। विभिन्न शास्त्र समाजीकरण की प्रक्रिया के अलग-अलग पहलूओं पर बल देते हैं। नृविज्ञानी समाजीकरण को मुख्यतया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस्कृतिक हस्तांतरण के रूप में देखते हैं। समाजशास्त्री समाजीकरण को मुख्य रूप से सामाजिक भूमिकाओं को सीखने के रूप में देखते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति अपने समूह की भूमिकाओं को सीखते हुए और उसे आत्मसात करते हुए उसका अभिन्न अंग बन जाता है। कुछ समाजशास्त्री समाजीकरण को स्व-अवधारणा के निर्माण के रूप में देखते हैं। आत्मीय और पारस्परिक संबंधों के संदर्भ में 'स्व' और 'पहचान' के विकास को समाजीकरण का केन्द्रीय अंग समझा जाता है।

शिक्षक के रूप में हमारा बच्चों के साथ गहरा संबंध होता है, इसलिए हमें समाजीकरण की उस प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है जो बढ़ते बच्चों पर प्रभाव डालती है। दूसरे शब्दों में 'संदर्भ' और 'मुख्य संबंधों' का बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है इसे जानना आवश्यक है। व्यक्तियों में विचार प्रक्रियाएँ समाजीकरण के दौरान विकसित होती हैं। अतः समाजीकरण वह तरीका है जिसमें ज्ञान एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को सम्प्रेषित किया जाता है। सामाजिक निरंतरता एवं एकता के लिए समाज द्वारा स्वीकृत या निर्धारित मानदंडों, मूल्यों और नियमों का अनुपालन आवश्यक है।

सामाजिक रीति-रिवाज, धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक समारोहों के रूप में परंपराएँ आदि वे तरीके हैं जिनमें समूह एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। विवाह, जन्म और मृत्यु आयोजनों एवं धार्मिक उत्सवों जैसे अवसरों पर सामूहिक सहभागिता इसके उदाहरण हैं। बढ़ते हुए बच्चे को विभिन्न प्रकार से समुदाय के तरीके सिखाए जाते हैं।

समाजीकरण बच्चों को सामाजिक नियमों एवं परम्पराओं को सिखाता है। हमारे समाज की अनेकों नियम एवं मान्यताएँ हैं जो सामाजिक असमानता को जन्म देते हैं। यह असमानता जाति, धर्म या आर्थिक परिस्थिति के कारण हो सकता है। एक शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय एवं कक्षा-कक्ष में इस प्रकार की असमानता को पनपने न दें एवं बच्चों की गरिमा का एक व्यक्ति के रूप में का ख्याल रखें।



क्रियाकलाप

- अपने समुदाय से समाजीकरण की प्रक्रिया के कुछ उदाहरणों की सूची बनाएं और यह विश्लेषण करें कि उनके कारण बच्चों के बचपन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।
- क्या समाजीकरण की प्रक्रिया एक निरपेक्ष प्रक्रिया है? अपने अध्ययन केन्द्र पर चर्चा करें।

1.5.2 बच्चों का समाजीकरण : प्राथमिक एवं परवर्ती चरण के विभिन्न कारकों से परिचय

पहलेवाले खण्ड में हमने जाना कि समाजीकरण की प्रक्रिया बहुत जटिल एवं बहुआयामी है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे कारक इस प्रक्रिया में भागीदार होते हैं। इन कारकों की भूमिका को समझना जरूरी है, जिसे आगे दिए गए दृष्टांतों के माध्यम से विश्लेषित करने की कोशिश की गई है।



(दृष्टान्त : 1.5.2-अ)

मुन्ना एक फैक्ट्री में काम किया करता था। एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गयी। उसकी पत्नी अपने दो वर्ष के बच्चे चुन्नू के साथ अपने भाई मोहन के घर रहने आ गई। मोहन के दो बच्चे थे – छोटा बेटा टिंकू चुन्नू का हम उम्र था, जबकि बड़ा बेटा रिकू उससे दो वर्ष बड़ा था। मोहन की पत्नी सोनी को चुन्नू और उसकी माँ का यहाँ रहना बिलकुल पसंद नहीं था। रिकू और टिंकू पलंग पर बैठ कर खिलौने से खेलते रहते, वहीं चुन्नू जमीन पर पड़ा रहता था और चुन्नू की माँ घर के सारे काम किया करती थी। समय के साथ-साथ बच्चे बड़े हो गए। रिकू और टिंकू, शहर के निजी विद्यालय में पढ़ने जाने लगे। सुबह-सुबह नाश्ता कर वे स्कूल बस से स्कूल जाया करते थे। चुन्नू उनके स्कूल बैग को बस स्टैंड तक पहुँचाया करता था। वही चुन्नू पास के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाने लगा। रात के बचे हुए खाने को खाकर वह स्कूल जाया करता था। स्कूल से आने के बाद जहाँ रिकू, टिंकू कम्प्यूटर गेम खेलने लगते थे, वहीं चुन्नू को उनकी किताबें सजाकर रखनी पड़ती थी। एकदिन टिंकू ने अपनी बैट तोड़ डाली और चुन्नू का नाम लगा दिया। सोनी ने चुन्नू को बहुत डाटा, कि “इतना बड़ा हो गया और कोई तरीका नहीं सीखता। बच्चे का बैट तोड़ दिया। जा भाग यहाँ से। चुन्नू हमेशा सोचता की यदि मैं बड़ा हूँ तो मेरा हम उम्र टिंकू छोटा कैसे है? अपनी बातों से वह माँ को हमेशा परेशान किया करता था। माँ किसी तरह उसे शांत कर देती पर उसे समझा नहीं पाती।

विमर्श के बिंदु :

1. चुन्नू और रिकू के समाजीकरण की परिस्थितियों में क्या फर्क है? स्पष्ट करें।
2. चुन्नू के समाजीकरण में उसके घर परिवार या समाज की भूमिका की पड़ताल करें।



क्रियाकलाप

- अपने विद्यालय के किन्हीं तीन बच्चों का सर्वेक्षण करके बताएँ कि उनके समाजीकरण में उनके परिवार की क्या भूमिका है? इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(दृष्टान्त : 1.5.2—ब)

गर्मी की छुट्टियाँ प्रारंभ हो गयी थीं। पलक अपने पापा से ज़िद कर रही थी कि उसे बोकारो में रहने वाली अपनी मौसी के घर ले चले। मौसी उसे बहुत मानती थी। घर में तो उसे घरेलू काम भी करना पड़ता था और अपने छोटे भाई ईशान की देखभाल भी करनी पड़ती थी। ईशान 8 वर्ष का था लेकिन वह पलक को बहुत तंग किया करता था। माँ पिताजी भी पलक की अपेक्षा ईशान को ज्यादा महत्व दिया करते थे। दादी माँ तो पलक को देखना भी नहीं चाहती थी। कुछ भी लाती थी तो ईशान को पहले मिलता था। पलक अगर माँगती तो दादी माँ उसे झिड़क दिया करती थी। उसी की हम उम्र मौसी की बेटी प्रशंसा के साथ ऐसा नहीं था। मौसी के भी दो बच्चे थे प्रशंसा व अपूर्व परन्तु मौसी दोनों पर सामान रूप से ध्यान दिया करती थी। यही नहीं प्रशंसा भी अपूर्व की तरह पैट शर्ट पहना करती थी। शाम को दोनों भाई बहन मैदान में साथ-साथ खेलने जाया करते थे। जबकि पलक जब भी गाँव में भाई के साथ बाहर जाकर खेलने की बात करती थी तो दादी बिगड़ जाती और कहती “अरे कुछ तो लड़कियों वाले गुण सीख। नहीं तो पूरी बिरादरी में नाक कट जाएगी।

“माँ बचाव करती व कहती “अरे माँजी बड़ी होकर वह सब समझ जाएगी अभी वो 9 (नौ) वर्ष की बच्ची ही तो है।”

दादी बिगड़ जाती “अरे उसकी उम्र में तो हमारी शादी हो गयी थी। यह बच्ची कैसे है? और घर परिवार समाज के तौर तरीके कब सीखेगी? इसी की उम्र की जरीना है देखो कितने संस्कार वाली बच्ची है। घर के रीति-रिवाजों को समझती है। आस पास के सभी लोग उसकी कितनी प्रशंसा करते हैं।

“पलक बिगड़ कर कहती “दादी तुम मुझे हमेशा डांटती रहती हो? क्या आस-पड़ोस घर परिवार मुझे ही कहता है ईशान को कोई कुछ नहीं कहता वह भी तो बड़ा हो गया है।

दादी कहती “अरे ईशान तो लड़का है। तुम्हें दूसरे घर में जाना है। ऐसे बात व्यवहार रखोगी तो ससुराल में तुम्हारा वास कैसे होगा ? वहाँ के रीति-रिवाज, परंपरा इस घर के जैसे हो यह कोई जरूरी है? फिर वहाँ कैसे ताल मेल बैठाओगी? इसीलिए घर परिवार की मान्यताओं के अनुरूप ही तुम्हें काम करना चाहिए।” पलक नाराज होकर भुन भुनाते हुए रह जाती।

विमर्श के बिंदु :

- पलक के परिवार में उसकी दादी और माँ समाज के कैसे सोच को दर्शाती है?
- पलक की मौसी समाज के किन विचारों का प्रतिवादन करती हैं, क्या आप उन विचारों से सहमत हैं? तर्कपूर्ण विवेचना करें।



क्रियाकलाप

- अपने विद्यालयों में पढ़ने वाले किन्हीं पाँच बच्चों का अध्ययन करें जिनकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक पारिवारिक और भाषाई परिवेश अलग-अलग हों। पता लगायें कि इस अन्तर का उनके समाजीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है।

विषय वस्तु की समझ

उपर वर्णित विभिन्न दृष्टांतों के आधार पर यह देखने को मिलता है कि किसी भी बच्चे का समाजीकरण उसके घर, परिवार, आस, पड़ोस, समुदाय, जाति एवं धार्मिक परिप्रेक्ष्य में ही होता है। पहले दृष्टांत में आपने देखा कि कैसे चुन्नू की मामी चुन्नू से अपने बच्चों की तुलना में किसी खास व्यावहार की अपेक्षा करती है या दूसरे शब्दों में धनी और गरीब परिवार के बच्चों के समाजीकरण को उनका परिवारिक परिवेश अलग अलग ढंग से परिभाषित करता है। बाद वाले दृष्टांत में पलक की दादी के माध्यम से यहाँ स्पष्ट किया गया है की बच्चों के सामाजिक मूल्यों का निर्धारण भी समाज के, परिवार के लोग अपनी-अपनी मान्यताओं के आधार पर करते हैं, यह बच्चों के लिंग, जाति, धर्म व ग्रामीण और शहरी परिवेश में पले बड़े पारिवारिक और सामाजिक मान्यताओं से ही होता है। अर्थात माता-पिता, परिवार, पड़ोस एवं समुदाय धर्म, संस्कृति, लिंग (जेंडर), जाति आदि से संबंधित प्राथमिक व्यवहारों की नींव परिवार में ही पड़ती है।

अब समाजीकरण के इन कारकों को चरणों के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। यदि देखें तो समाजीकरण के दो चरण माने गए हैं — प्राथमिक समाजीकरण और परवर्ती समाजीकरण। इन दोनों प्रकार के समाजीकरण को उनके कारकों के आधार पर समझा जा सकता है। सामान्य अर्थों में यदि समझा जाए तो परिवारजनों के माध्यम से बच्चे के जन्म से ही समाजीकरण की जो अनौपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसे प्राथमिक समाजीकरण के रूप में समझा जा सकता है। इसके अंतर्गत बच्चे अपने सांस्कृतिक मूल्य, व्यवहार, सामाजिक मान्यताओं, आदि को सीखते हैं। बचपन के शुरूआती सालों के संदर्भ में प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण माता-पिता, परिवार, पड़ोस एवं समुदाय के द्वारा होता है जबकि द्वितीयक समाजीकरण में विद्यालय एवं संचार माध्यम प्रमुख भूमिका निभाते हैं। बच्चों के समाजीकरण में प्रथम भूमिका माता-पिता एवं परिवार की होती है। खासकर माता की। माता को बच्चों का प्रथम गुरु कहा जाता है। बच्चों के प्रारंभिक समाजीकरण में माता की भूमिका सबसे प्रमुख होती है। यहाँ यह जानना जरूरी है कि माता-पिता के आपसी संबंध न केवल बच्चों के भावात्मक विकास को प्रभावित करते हैं बल्कि सामाजिक विकास को भी प्रभावित करते हैं। बच्चों में सामाजिक गुणों के विकास में परिवार के सदस्यों द्वारा बच्चे के साथ बिताए गए समय एवं परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध की बहुत बड़ी भूमिका होती है।

संयुक्त परिवार में बच्चों के समाजीकरण में माता-पिता, दादा-दादी, चाचा-चाची की भूमिका अहम होती है। लेकिन संयुक्त परिवार धीरे-धीरे टूटने लगे हैं और धीरे-धीरे एकल परिवारों की संख्या बढ़ने लगी हैं। परिवार के स्वरूप का बच्चों के समाजीकरण पर अलग-अलग प्रभाव होता है। संयुक्त परिवार के बच्चे अक्सर सहयोगी एवं सहिष्णु प्रवृत्ति के होते हैं जबकि एकल परिवार के बच्चे ज्यादा स्वतंत्र होते हैं। परिवार में बच्चों की संख्या भी बच्चों की समाजिकता को प्रभावित करती है। एक या दो बच्चे का माता-पिता अच्छी तरह से लालन-पालन कर बेहतर शिक्षा दे सकते जो न केवल बच्चों में अच्छे गुणों को विकास करता है बल्कि बेहतर जीवन के लिए भी प्रेरित करता है। धर्म, संस्कृति, लिंग (जेंडर) जाति से संबंधित प्राथमिक व्यवहारों की नींव परिवार में ही पड़ती है। छोटी उम्र में ही परिवार के सदस्य दंड, पुरस्कार तथा पुनर्बलन का उपयोग कर पारिवारिक मूल्यों एवं समाज के वांछित व्यवहारों को आकार देते रहते हैं। बड़ों के प्रति आदर, चोरी न करना, लड़ाई-झगड़ा न करना आदि स्वीकृत सामाजिक व्यवहार के विकास में परिवार की प्रमुख भूमिका होती है।

बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण में आस-पड़ोस की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। परिवार के बाद बच्चे का पहला कदम पड़ोस ही होता है। एक बच्चा अपने परिवार के बाद समाज की जिस इकाई से सबसे पहले अन्तःक्रिया करता है वह पड़ोस ही है। पड़ोस की संरचना अलग-अलग हो सकती है। कहीं एक ही जाति के लोग पड़ोसी हो सकते हैं तो कहीं एक से अधिक जाति एवं धर्म के लोग पड़ोसी हो सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में पड़ोस जाति या धर्म की बजाय लगभग समान आर्थिक परिस्थितियों के लोगों का समूह होता है। इन सभी परिस्थितियों में बच्चों का समाजीकरण अलग-अलग होता है।

परिवार की संस्कृति एवं रीति-रिवाजों के बाद वह सबसे ज्यादा अपने आस-पड़ोस की संस्कृति से प्रभावित होता है। बच्चे के पहले मित्र समूह का निर्माण भी पड़ोस में ही होता है। गाँवों में पड़ोसियों के संबंध नातेदारी के रूप में होते हैं जहाँ बच्चे को पड़ोसी को भी भैया, दीदी, चाचा, दादी कहना सिखाया जाता है। इस तरह का समाजीकरण बच्चों को पड़ोस के साथ पारिवारिक रूप से एकीकृत करता है। पड़ोस भी उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह देखता है। यह बच्चों में भाई-चारा एवं सहयोग की भावना का विकास करता है। शहरी क्षेत्रों में पड़ोस के साथ संबंध जान-पहचान एवं आमंत्रित कार्यक्रमों में उपस्थिति तक सीमित रहता है। इसलिए संकट

की स्थिति में उस प्रकार से पड़ोसी का सहयोग नहीं मिल पाता जैसाकि ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। पड़ोस बच्चों में बड़ों के प्रति आदर का भाव, धार्मिक एवं सामाजिक उत्सवों के सहभागिता, एक जुटता, सहयोग जैसा गुणों का विकास करता है। साथ ही यह बच्चों से सामाजिक संबंधों का विस्तार करता है।

बच्चे के समाजीकरण में परिवार, मित्र-समूह, समुदाय, विद्यालय, संचार माध्यम, राजनीति एवं धर्म प्रमुख भूमिका निभाते हैं। परिवार बच्चे के समाजीकरण की प्राथमिक इकाई है। इसी में बच्चों के समाजीकरण का प्रारंभिक चरण चलता है। धर्म, संस्कृति, लिंग, जाति से संबंधित प्राथमिक व्यवहारों की नींव परिवार में ही पड़ती है। छोटी उम्र में ही परिवार दंड, पुरस्कार तथा पुनर्बलनों का उपयोग कर परिवार एवं समाज के वांछित व्यवहारों को आकार देता है। मित्र-समूह बच्चों का वह खुला मंच होता है जहाँ वे खुलकर अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं एवं अपने मित्रों से बहुत-सारी आदतें सीखते हैं। बच्चों का पहनावा, खान-पान, खेल-कूद एवं जीवन शैली पर मित्र समूह का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। समुदाय हमेशा यह चाहता है कि बच्चा समाज-स्वीकृत व्यवहार ही करे। उनके व्यवहार पर न केवल परिवार का बल्कि अन्य लोगों की भी निगाहें होती हैं। बच्चों की आदतों में सुधार के लिए समुदाय कई बार परिवार पर दबाव भी डालता है।

समुदाय शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है। एक अर्थ में समुदाय किसी स्थान विशेष में रहने वाले ऐसे लोगों के समूह से है जिनका समान ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत हो एवं समान सरोकार हो। दूसरे अर्थ में एक पूरे शहर, राज्य या देश को भी समुदाय माना जाता है। यहाँ हम समुदाय का प्रयोग पहले अर्थ में देख रहे हैं। इस प्रकार के समुदाय का निर्माण एक जाति, एक धर्म या अनेक जातियाँ एवं अनेक धर्मों से होता है। इन सभी परिस्थितियों में बच्चों का समाजीकरण अलग-अलग होगा।

एक ही जाति द्वारा निर्मित समुदाय में उस जाति विशेष की परम्पराएँ, रीति-रिवाज बच्चों को सिखाया जाता है। जहाँ एक से अधिक जातियों द्वारा निर्मित समुदाय है वहाँ बच्चे की अपनी जाति विशेष की परम्पराओं एवं रीति-रिवाजों के अलावा अन्तर्जातीय संबंधों के बारे में भी सीखने का अवसर मिलता है। इसी प्रकार एक ही धर्म द्वारा निर्मित समुदाय में बच्चों को उस धर्म विशेष के रीति रिवाज, कर्मकाण्ड एवं धार्मिक अनुष्ठानों से

अवगत कराया जाता है। जबकि विभिन्न धर्मों द्वारा निर्मित समुदाय में बच्चे के अपने धर्म से संबंधित रीति-रिवाजों, कर्मकाण्डों एवं धार्मिक अनुष्ठानों के अलावा दूसरे धर्मों से समानता व भिन्नताओं को भी सीखने का अवसर मिलता है।

इसके साथ ही, बच्चों का सामना जब विभिन्न सामाजिक संस्थाओं जैसे—विद्यालय, पाठ्यचर्या, राज्य, आदि से होता है तो समाजीकरण की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे परवर्ती समाजीकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया बाल्यावस्था के उत्तर्वर्ती काल से शुरू होती है जब बच्चों का समय परिवार के अलावा समाज के किसी अन्य संस्था जैसे विद्यालय में व्यतीत होना आरम्भ होता है। समाजीकरण की यह प्रक्रिया आगे निरन्तर चलती रहती है।

परवर्ती समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। विद्यालय समाजीकरण में समाज एवं राज्य को बीच कड़ी की भूमिका निभाता है। विद्यालय के पास ऐसे अनेकों उपकरण होते हैं जिनके द्वारा वह बच्चों का समाजीकरण करता है। उसमें से कुछ उपकरण हैं — पाठ्यचर्या, शिक्षण—पद्धति, शिक्षक की भूमिका, पाठ्य—सहगामी क्रियाएँ आदि। विद्यालय में समाजीकरण की विशेष चर्चा तीसरी इकाई में की गई है।

इसके साथ ही, आज संचार माध्यम भी समाजीकरण के एक प्रमुख कारक के रूप में उभरा है। कार्टून चैनलों की भरमार एवं मोबाइल फोन की उपलब्धता ने बच्चों की समाजिकता को प्रभावित किया है। ये संचार माध्यम धीरे-धीरे बच्चों को परिवार एवं समुदाय से दूर करते चले जा रहे हैं। कई बार बच्चों में द्वन्द्व की स्थिति भी पैदा करते हैं जब बच्चों संचार माध्यमों पर दिखाए गए दृश्यों को अपने परिवेश के संदर्भ में देखते हैं। राज्य भी परवर्ती समाजीकरण का एक सशक्त माध्यम है जो अपने नीतियों, नियम—कानूनों और सेवाओं के माध्यम से बच्चों के जीवन में हस्तक्षेप करता है। इसके बारे में आप तृतीय सत्र में विशेष अध्ययन करेंगे।



क्रियाकलाप

- अपने आस-पास के किसी परिवार या अपने परिवार में बच्चों के समाजीकरण की जो प्रक्रिया अपनायी जाती है, उसका अवलोकन करके विश्लेषण करें।



वीडियो देखने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें



<https://www.youtube.com/watch?v=IAQPzkTysGk>



<https://www.youtube.com/watch?v=e5R4jAxKY-I>



<https://www.youtube.com/watch?v=EOf6zc3Mcus>

1.6 बच्चे, बचपन और बाल अधिकारों का संदर्भ

बच्चे एवं बचपन की अवधारणा में एक आमूलचूल परिवर्तन इस दिशा में भी हुआ कि जहाँ बच्चे के लिए वयस्कों द्वारा किए जाने वाले कार्य 'बाल कल्याण' की परिभाषा में आते थे, वहीं अब इन्हें बाल-अधिकारों की श्रेणी में रखा गया तथा इन्हें बच्चों के हक के रूप में परिभाषित करते हुए, इनकी संवैधानिक जवाबदेही सुनिश्चित की गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 'क' एवं अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए 14 वर्ष तक की आयु का संज्ञान लिया गया है। बाल श्रम निषेध एवं नियमन कानून 1986, 14 वर्ष की उम्र तक के व्यक्ति को बच्चे की श्रेणी में रखता है। वहीं दूसरी ओर बागानी कृषि श्रम कानून 1957, बचपन की अवस्था को 18 वर्ष तक मानता है। भारतीय वैवाहिक कानून बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के अनुसार 21 वर्ष से पूर्व कोई लड़का एवं 18 वर्ष से पूर्व कोई लड़की वयस्क की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती।

बच्चों और उनके बचपन को आधुनिक समाज में बिना बाल अधिकारों के नहीं समझा जा सकता। आपने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के विषय में जरूर सुना होगा। पर क्या आपने इस पर विचार किया है कि यह अधिकार क्या है और इससे देश में बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है या पड़ेगा? शिक्षा का अधिकार बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसे बच्चों का अधिकार कहने के क्या मायने

हैं? इन मुद्दों को समझने के लिए हमें बाल अधिकारों के विकास की पृष्ठभूमि को समझना होगा।

समाज में बच्चों से संबंधित कई मान्यताएं काफी पहले से चली आ रही हैं। जैसे— बच्चे अति संवेदनशील होते हैं। वे विभिन्न परिस्थितियों में जीते हैं, उनकी कुछ आकांक्षाएं भी होती हैं, उनमें क्षमताएं होती हैं, वे अपनी पहचान चाहते हैं, हमें उन्हें समझना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए आदि—आदि। इन सभी बातों में समाज की बच्चों के प्रति संवेदनशीलता व दया तो झलकती है। परन्तु यह भी प्रतीत होता है कि बच्चों का महत्व वयस्कों के समान नहीं है। क्योंकि अधिकार सिर्फ वयस्कों का ही हो सकता है, बच्चों का नहीं। इस मान्यता ने कहीं न कहीं बच्चों को उन सभी अवसरों से दूर किया है जिससे उनका बेहतर विकास हो पाता। यदि गौर से देखें तो बच्चों के हितों को अत्यधिक नुकसान पहुँचाने वाली प्रथाएँ सामाजिक परंपराओं और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का हिस्सा होती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी विद्यमान रहती हैं। अतः केवल कानून पारित कर देना ही काफी नहीं है। वरन् इसके लिए सतत शैक्षिक एवं जागरूक प्रयास, क्षमता निर्माण, परस्पर सहयोग तथा बच्चों के साथ-साथ अभिभावकों की पूर्ण भागीदारी व समर्थन का होना भी आवश्यक है।

जन्म से पूर्व गर्भावस्था तथा जन्म के 18 वर्षों तक बच्चे अपने से बड़ों के संरक्षण में रह कर अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन, संरक्षण के साथ-साथ यह बात अहम है कि सभी बच्चे को अपने बचपन की मूलभूत सुविधाएं और अधिकार प्राप्त हों, उन्हें स्वाधीनता, न्याय व शान्तिमय माहौल मिले, ताकि आगे की सामाजिक प्रगति और जीवन को बेहतर बनाने का उन्हें उम्दा अवसर मिल सके।



इन्हीं सब बातों को मानते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की है तथा सहमति व्यक्त की है कि “हर व्यक्ति को जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक, राजकीय अथवा सामाजिक, सम्पत्ति, जन्म या हैसियत जैसे किसी भी भेदभाव के बिना प्रदत्त अधिकार और स्वाधीनताएं प्राप्त हैं।” संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि बचपन पर विशेष ध्यान और सहायता की आवश्यकता है। बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता सबसे पहले 1924 में बाल अधिकारों के बारे में जेनेवा घोषणा में की गई।

इस घोषणा-पत्र पर दस्तखत करने वाले देशों में भारत भी शामिल है। इनमें बच्चों की रक्षा, उनके विकास आदि के लिए कुछ बातों पर सहमति व्यक्त की गई है। इन बातों को तय करते वक्त यह ख्याल रखा गया है कि प्रत्येक देश की परम्परा और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए बच्चों के जीने के हालातों में सुधार किए जाएँ। इस दस्तावेज़ में दुनिया भर के बच्चों के लिए कुछ बुनियादी हकों का ज़िक्र भी किया गया है। यह समझा गया है कि विश्व के सभी देशों में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में अनेक बच्चे रह रहे हैं और इन पर विशेष दिया जाना जरूरी है। इस प्रकार बच्चे के संरक्षण एवं समग्र विकास के लिए प्रत्येक राष्ट्र की परम्पराओं और सांस्कृतिक मूल्यों का पूरा ध्यान रखते हुए प्रत्येक देश में विशेषकर विकासशील देशों में बच्चों की स्थितियों में सुधार का काम किया जाना अपेक्षित है। अतः बच्चों के लिए नागरिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकार निर्धारित किये गये हैं।

प्रमुख बाल अधिकार :

जीने का अधिकार :- यह अधिकार बच्चे के जन्म से पूर्व माता के गर्भ से प्रारंभ होता है। इसके अन्तर्गत बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, पोषण, उपयुक्त जीवन स्तर प्राप्त करने, अपनी पहचान व राष्ट्रीयता का अधिकार सम्मिलित है।

विकास का अधिकार :- बच्चा सशक्त व्यक्तित्व का नागरिक बने अतः उसे उसके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक शिक्षा, देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, सांस्कृतिक एवं मनोरंजनात्मक गतिविधियों में शामिल होने का अधिकार प्राप्त है। इस ओर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है।

संरक्षण का अधिकार :- बच्चे ज्यादा संवेदनशील होते हैं इन्हें दुनियादारी, अच्छे-बुरे, सही-गलत की पहचान नहीं होती। अतः इन्हें सुरक्षा व संरक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अन्तर्गत शोषण, दुर्व्यवहार, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार, उपेक्षा(विशेष संरक्षण आपातकाल, लड़ाई, विकलांगता की स्थिति) से मुक्ति का अधिकार दिया गया है।

सहभागिता का अधिकार :- बच्चों में अनेक जिज्ञासाएं होती हैं, वे स्वयं अभिव्यक्त करना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से कुछ करना चाहते हैं, अहम बातचीत और निर्णय में शामिल होना चाहते हैं अतः बच्चों के विचारों का आदर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपयुक्त सूचना प्राप्त करने हेतु पहुँच, अतःकरण की आवाज़ सुनने तथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों की सहभागिता बढ़ाने हेतु दिया गया है।

हमारे देश के संदर्भ में बाल अधिकार की अवधारणा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की बहुत बड़ी आबादी अभी भी इससे वंचित है। आप अपने आस-पास ही कई ऐसे बच्चों को देखेंगे जिनके बचपन और बाल अधिकारों का रोजाना हनन होता है। यही कारण है कि बाल अधिकारों को भारतीय संविधान में भी अहम जगह दी गई।



भारत के संविधान में बाल अधिकार

हमारे संविधान में बच्चों के मुख्य अधिकार निम्न है—

- 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्रारम्भिक स्तर तक निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा।

- 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को रोजगार में लगाने से बचाना।
- आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुपयुक्त रोजगार में जबरदस्ती प्रवेश से बचाना।
- स्वतंत्र एवं सम्मानजनक परिस्थितियों में स्वस्थ रूप से विकसित होने के लिए समान अवसर व सुविधाएँ प्राप्त करने का अधिकार

“बच्चे देश के भविष्य हैं” इस कथम को हम अक्सर कहते हैं जब बच्चों की महत्ता को दर्शाना होता है। यदि बच्चों की अधिकारों की बात करें तो अब हमें यह समझना होगा कि — ‘बच्चे देश के वर्तमान हैं’। जब हम कहते हैं कि बच्चा वर्तमान है तो हम उसकी स्वतंत्र अवस्था को स्वीकार करते हैं तथा उनके अधिकारों की बात करते हैं। इसलिए, बच्चों को भविष्य की अपेक्षित तैयारी के संदर्भ में न समझ कर उन्हें उनके वर्तमान संदर्भ में जानना एवं समझना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें बच्चों को यथार्थवादी दृष्टिकोण से समझने में मददगार होगा। एक शिक्षक या शिक्षिका के तौर पर आप अपने विद्यालय के माध्यम से बाल अधिकारों के प्रति सामाजिक चेतना को लाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। विद्यालय के विभिन्न गतिविधियों में भी बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता लाने की जरूरत है।



क्रियाकलाप

- अपने विद्यालय और आस-पास के शिक्षकों से बातचीत करें और पता लगाएं कि बाल अधिकारों के बारे में वे क्या-क्या जानते हैं।
- आपके समुदाय में बाल-अधिकारों के प्रति क्या जगरूकता है, इसका पता लगाएँ और अध्ययन केन्द्र पर साझा करें।
- बच्चे, बचपन और बाल अधिकारों के प्रति समुदाय में संवेदनशीलता लाने के लिए एक योजना बनाएँ और उसका क्रियान्वयन करें।



1.7 समेकन तथा सीखने-सिखाने में सहयोगी ई-संसाधन

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त यह बात स्पष्ट होती है कि बच्चे एवं बचपन की अवधारणा को समझने के लिए कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। बचपन को लेकर हमारे बहुलतावादी समाज में कई अवधारणाएँ हैं। एक संवेदनशील एवं लोकतांत्रिक शिक्षक के नाते हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि “अलग-अलग सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को इस बात का पूरा अवसर मिलना चाहिए कि वे अपने अनुभवों के मध्य ज्ञान का स्वयं सृजन करें।” इस प्रक्रिया में यह जरूरी जान पड़ता है हमें (शिक्षकों को) बच्चों की क्षमताओं एवं लोकतांत्रिक मूल्यों में पूरा यकीन हो। यह विश्वास तभी संभव है जब हम बच्चों को समतावादी एवं बहुलतावादी दृष्टिकोण से देखें हैं। हमारी कक्षाओं में अलग-अलग अनुभव जगत एवं विविध क्षमताओं से पूर्ण बच्चे एक साथ होते हैं। इकाई में हमने समाजीकरण की अवधारणा को भी समझा। विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से हमने जाना कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम समाज के सक्रिय सदस्य बनते हैं। इस प्रक्रिया में समाज के मानदंडों और मूल्यों के आंतरीकरण के साथ-साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना सीखना ये दोनों बातें सम्मिलित होती हैं। बच्चे, बचपन एवं समाजीकरण की अवधारणा में परिवार, समुदाय और विद्यालय की विशेष भूमिका होती है। अंत में हमने बाल अधिकारों का बच्चों एवं उनके बचपन के संदर्भ में महत्व को जाना।

इकाई की विस्तृत समझ के लिए निम्नलिखित ई-संसाधनों का भी उपयोग जरूर करें :

- इकाई के विषयवस्तु पर निर्मित आई.सी.टी. /ऑडियो-विजुअल/एनिमेशन सामग्री।
- प्रारम्भिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों पर आधारित डिजिटल सामग्री, जो इस इकाई से सम्बंधित हों।
- इकाई के विषयवस्तु से सम्बंधित फिल्म, डॉक्युमेंटरी, प्रेजेन्टेशन, वेब-रिसोर्स, ओपेन रिसोर्स, आदि।



1.8 स्वमूल्यांकन

1. क्या हर समाज में बच्चे तथा उनके बचपन की एक जैसी अवधारणा है? उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें।
2. बच्चे तथा बचपन की सामाजिक-सांस्कृतिक अवधारणा का विश्लेषण करें।
3. बच्चे की अवधारणा का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ है, उसके प्रमुख बिन्दुओं की चर्चा करें।
4. क्या आप सहमत हैं कि बचपन की अवधारणा एक आधुनिक अवधारणा है।
5. समाजीकरण से क्या आशय है? कुछ वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से समझाएं।
6. बच्चों के समाजीकरण के विभिन्न चरणों का विश्लेषण करें। अपने अनुभव से कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत करें।
7. बच्चों के समाजीकरण के प्रमुख कारकों की भूमिका का विश्लेषण करें।
8. बाल अधिकार की अवधारणा को स्पष्ट करें।
9. बच्चों के संदर्भ में बाल अधिकारों का क्या महत्व है? समझाएं।

इकाई

2

जेण्डर विमर्श और शिक्षा

- 2.1 परिचय
- 2.2 उद्देश्य
- 2.3 पूर्व अनुभव
- 2.4 जेण्डर की समझ
 - 2.4.1 जेण्डर की अवधारणा, सैद्धांतिक विमर्श और समकालीन परिदृश्य
 - 2.4.2 बच्चों के समाजीकरण में जेण्डर की भूमिका
- 2.5 जेण्डर संवेदनशीलता और शिक्षा की भूमिका
- 2.7 स्वमूल्यांकन



2.1 परिचय

किसी भी समाज के मानवीय होने की कसौटियों में से एक महत्वपूर्ण कसौटी यह है की उसमें स्त्री और पुरुष के बीच सम्बन्ध कितने समतामूलक हैं। यह गौर करनेवाली बात है कि स्त्री और पुरुष के बीच भिन्नता प्राणतिक है लेकिन असमानता समाज द्वारा सृजित है। हमारे समाज में स्त्री और पुरुष के बीच असमानता को रचने के प्रयास बहुत पुराने और जटिल हैं, जिनकी शुरुआत बच्चे और उनके बचपन के विभिन्न संदर्भों में ही हो जाती है। शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के लिए जेण्डर आधारित असमानता की जड़ों को समझना अति आवश्यक है, खासकर बिहार में लड़कियों की सामाजिक स्थिति तथा उनकी शिक्षा को लेकर मानसिकता के दृष्टिकोण से। इस इकाई में प्रशिक्षु यह समझ बनाएँगे कि समाज में जेण्डर आधारित विभेद को विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक प्रक्रियाओं द्वारा कैसे प्रसारित किया जाता है और इसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही, इसकी समझ भी बनाएँगे कि जेण्डर समानता के लिए शिक्षा किस प्रकार एक सशक्त माध्यम के तौर पर काम कर सकता है। इकाई में जेण्डर सम्बंधी कुछ दृष्टांतों एवं केस-स्टडीज को भी शामिल किया गया है। प्रशिक्षुओं से अपेक्षा है कि वे अपने आस-पास के संदर्भों से भी जेण्डर सम्बंधित उदाहरणों का भरपूर इस्तेमाल इस इकाई की समझ में करेंगे।



2.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप :

- जेण्डर की अवधारणा, संदर्भ और जेण्डर सम्बंधी विमर्शों से अवगत हो पाएँगे
- बच्चों के समाजीकरण में जेण्डर की भूमिका का विश्लेषण कर पाएँगे

- बिहार के विशेष संदर्भ में जेण्डर आधारित स्थिति की समीक्षा कर सकेंगे
- जेण्डर समानता में शिक्षा की सशक्त भूमिका को समझ सकेंगे



2.3 पूर्व अनुभव

हम अपने समाज में पुरुष और स्त्री के बीच कई असमानताओं को रोजाना देखते हैं और एक पुरुष या स्त्री होने के नाते उनका एहसास भी करते हैं। स्वयं हमारी मानसिकता और कार्य भी जेण्डर की अवधारणा से प्रभावित रहते हैं। इस इकाई में जेण्डर की अवधारणा को समझने के दौरान आप अपने अनुभवों को भी शामिल करें।

2.4 जेण्डर की समझ

समाज में हम अक्सर पाते हैं कि लड़के और लड़कियों के मध्य विभेद करने की सामाजिक प्रक्रिया जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है चाहे हम किसी भी वर्ग या समुदाय से आते हों। किसी लड़के या लड़की के जीवन दिशा को निर्धारित करने में जेण्डर की विशेष भूमिका है, जिसे समझना एक शिक्षक या शिक्षिका के लिए अहम है। इस जेण्डर की समझ बनाने के लिए इसकी अवधारणा के साथ-साथ कई अन्य अवधारणाओं को भी साथ में समझना होगा। क्योंकि, समाजीकरण, लिंग के प्रति दृष्टिकोण, लड़का-लड़की के कार्य, रीति-रिवाज, जन्म दर, शोषण, अवसरों की अनुपलब्धता, आर्थिक निर्भरता, आदि तमाम अवधारणाओं से जोड़कर जब जेण्डर को समझते हैं तो इसकी कई तहें खुलती हैं। आगे के खण्डों में इनकी चर्चा की जा रही है।



2.4.1 जेण्डर की अवधारणा, सैद्धांतिक विमर्श और समकालीन परिदृश्य

एक लम्बे अरसे तक जेण्डर का प्रयोग लिंग प्रकार या सेक्स के अर्थ यानि स्त्रीलिंग या पुलिंग के तौर पर किया जाता रहा है यानि लिंग और जेण्डर की अवधारणा को एक ही माना जाता रहा है। इसके कारण समाज में जेण्डर की असल अवधारणा के प्रति बहुत ही सीमित समझ देखने को मिलता है। अपने कई गतिविधियों में परिवार-समाज अवचेतन तरीके से लिंग के बहाने लड़के या लड़कियों पर जेण्डर आधारित निर्णय थोपते रहते हैं। आईए निम्नलिखित दृष्टांत की मदद से इसे और स्पष्ट करें।



(दृष्टान्त : 2.4.1-अ)

किरण का जन्म आरा के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। किरण के विद्यालय में एन.सी.सी. का प्रशिक्षण दिया जाता था, जिससे प्रेरित होकर उसे सेना में अधिकारी बनने का मन था। इसलिए, अपने विद्यालय में किरण एन.सी.सी. लेना चाहती थी। इस बारे में उसने अपनी माँ से बात की। लेकिन, माँ ने किरण को एन.सी. सी. लेने की स्वीकृति नहीं दी। माँ का यह तर्क था कि यह लड़कियों का वास्तविक काम नहीं है इसलिए यदि किरण एन.सी.सी. में बहुत अधिक शारीरिक श्रम करेगी तो उसकी तबियत बिगड़ जाएगी। माँ ने किरण को लड़के और लड़की के बीच के फर्क को कई उदाहरणों से समझाया। अंततः किरण को माँ की बात माननी पड़ी और उसे भी यह लगने लगा कि एन.सी.सी. लेना उसके लिए ठीक नहीं है।

विमर्श के बिन्दु :

- किरण की माँ का जो तर्क है, उसके पीछे का मूल कारण क्या हो सकता है?
- क्या उनका तर्क लड़की के प्रति समाज की धारणा का प्रतिबिम्ब है या महज अपनी बेटी के प्रति सुरक्षा की भावना।
- यदि किरण आपकी बेटी रहती तो आप क्या करते या करती? अपनी सामाजिक संदर्भ का विश्लेषण करते हुए विश्लेषण करें।



क्रियाकलाप

अपने आस-पास परिवार-समाज में होनेवाले दैनिक कार्यों का निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकरण करें :

- वैसे कार्य जिनको मूलतः पुरुष करते हैं।
- वैसे कार्य जिनको मूलतः महिलाएं करती हैं।
- वैसे कार्य जिनको पुरुष और महिलाएं दोनों करते हैं।

आपने जो वर्गीकरण किया है उसका विश्लेषण करें।

आप उपरोक्त दृष्टांत में कई बार भ्रमित होंगे कि आखिर किरण को एन.सी.सी. नहीं लेने के पीछे उसकी शारीरिक क्षमता मूल कारण है या माँ की सोच में अंतर्निहित लड़की और लड़के का अन्तर। लिंग और जेण्डर की अवधारणा को भी इसी प्रकार के भ्रांति के कारण एक मान लिया जाता है। जबकि दोनों की अवधारणात्मक समझ बहुत ही स्पष्ट हैं। 'लिंग' या सेक्स शब्द पुरुष और स्त्री के बीच एक जैविक अर्थ की तरफ इशारा करता है जबकि जेण्डर का तात्त्विक उसके साथ गुंथे सांस्कृतिक अर्थों से है। सेक्स एक जैविक और शारीरिक संरचना है जो किसी मनुष्य का स्त्री, पुरुष या नपुंसक होना तय करता है। दूसरी ओर जेण्डर एक सामाजिक संरचना है जो किसी मनुष्य के 'लिंगबोध' को दर्शाता है, जिसके आधार पर समाज में उनकी भूमिका तय होती है। लिंग आमतौर पर समय-काल और परिस्थिति

के आधार पर नहीं बदलता। यह तो जैविक रूप से निर्धारित और जन्मजात होता है। जबकि, जेंडर की भूमिका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों के आधार पर बदलती रहती है।

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली के द्वारा वर्ग 7 के लिए विकसित “सामाजिक एवं राजनितिक जीवन-2” के अध्याय-6 में भी जेंडर को लिंगबोध के अर्थ में परिभाषित करते हुए लिखा है—“लिंग बोध से हमारा आशय उन अनेक सामाजिक मूल्यों और रुढ़िवादी धारणाओं से है जिसे हमारी संस्कृति ने हमारे स्त्रीलिंग और पुलिंग होने के जैविक अंतर के साथ जोड़ दिया है।” समय के साथ-साथ इन अपेक्षाओं के विरुद्ध महिलाओं के द्वारा किये गए संघर्ष भी दिखाए गए हैं। अतः जैविक ‘लिंग’ की अवधारणा और सामाजिक ‘लिंगबोध’ यानि जेण्डर की अवधारणा में स्पष्ट अंतर है।

नारीवादी विमर्श के लिहाज से इस फर्क को स्पष्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि महिलाओं की अधीनता को मोटे तौर पर स्त्री-पुरुष के बीच जैविक फर्क के आधार पर ही सही ठहराया जाता है। मार्गरेट मीड जैसी अग्रणी नारीवादी मानवशास्त्रियों ने दिखाया है कि पुरुषत्व और नारीत्व की अवधारणाएं विभिन्न संस्कृतियों में अलग-अलग हैं। दूसरे शब्दों में, न केवल अलग-अलग समाज कुछ खास विशिष्टताओं को पुरुषत्व और कुछ दूसरी विशिष्टताओं को नारीत्व के साथ जोड़कर देखते हैं, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों में भी यह विशिष्टताएं अलग-अलग होती हैं। इसलिए नारीवादियों का मानना है कि स्त्री-पुरुष की जैविक संरचना और पुरुषत्व व नारीत्व के साथ जोड़कर दिखाए जानेवाले लक्षणों के बीच कोई अनिवार्य सहसम्बंध नहीं है। बल्कि यह बच्चों के लालन-पालन की सामाजिक प्रक्रिया है जो लोगों के बीच कुछ विशेष भिन्नताओं को स्थापित और पुष्ट करती है। यानी, बचपन से ही, लड़कों और लड़कियों को जेंडर भेद के अनुरूप व्यवहार करना, कपड़े पहनना, खेलना, आदि सिखाया जाता है। यह प्रशिक्षण निरन्तर और अधिकांशतः बेहद सूक्ष्म होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर बच्चों को विशेष जेंडर अनुरूप सांचे में ढालने के लिए सजा भी दी जा सकती है। इसलिए नारीवादियों का तर्क है कि सेक्स विशिष्ट लक्षण (मसलन बहादुरी और आत्म विश्वास को ‘पौरुष’ और संवेदनशीलता व शर्मीलेपन को ‘नारीत्व’ के रूप में दिखाना), और उनके साथ समाज द्वारा जोड़े जाने वाले मुख्य उन संस्थाओं और विश्वासों के अमल से पैदा होते हैं जो लड़कों और लड़कियों का अलग-अलग तरीके से समाजीकरण द्वारा

उन्हें अपनी-अपनी भूमिकाओं के लिए तैयार करते हैं। जैसा कि सिमौन द बुआ ने कहा है “औरत पैदा नहीं होती, बना दी जाती है”।

लिंग के आधार पर श्रम विभाजन में ‘प्राकृतिक’ कुछ भी नहीं है। परिवार के भीतर और बाहर स्त्री और पुरुष अलग-अलग तरह के काम करते हैं, इस तथ्य का उनकी जैविक संरचना से कोई लेना-देना नहीं है। केवल गर्भधारण की प्रक्रिया ही प्राकृतिक है जो वास्तविक है। इसके अलावा घर के भीतर के सभी काम जो औरतों के ही जिम्मे माने जाते हैं—खाना बनाना, साफ-सफाई, बच्चों की देखभाल, वगैरह को पुरुष भी उतनी ही दक्षता से कर सकते हैं। लेकिन, इन कामों को ‘औरतों का काम’ कहा जाता है। लिंग के आधार पर श्रम विभाजन वेतनभोगी कामों के ‘सार्वजनिक’ दायरे तक भी फैला हुआ है, और यहां भी, इसका ‘सेक्स’ से कोई सम्बंध नहीं है बल्कि यह महज जेन्डर आधारित है। कुछ किस्म के कामों को ‘औरतों का काम’ माना जाता है और दूसरे किस्म के कामों को मर्दों का, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि औरतें जो भी काम करती हैं वह उसके लिए कम वेतन पाती हैं और उस काम की अहमियत भी कम मानी जाती है। मिसाल के तौर पर, नर्सिंग और अध्यापन, विशेषकर निचले स्तरों पर, को कुल मिलाकर स्त्रियों का पेशा माना जाता है।

तथ्य यह है कि लिंग के आधार पर श्रम विभाजन के पीछे कोई ‘प्राकृतिक’ या जैविक समानताएं नहीं हैं बल्कि इसकी जड़ में कुछ विचारधारात्मक मान्यताएं हैं, जो अलग-अलग सामाजिक कारकों से प्रभावित होते हैं। हर समाज चाहे वह ग्रामीण हो या शहरी, वहां आमतौर पर महिलाओं को शारीरिक रूप से कमजोर और भारी शारीरिक श्रम के लिए अनुपयुक्त माना जाता है वहीं दूसरी तरफ घर के भीतर और बाहर सबसे भारी काम वहीं करती हैं, जैसे कि पानी और जलावन के बड़े-बड़े गट्टर ढोना, चक्की में अनाज पीसना, धान की रोपाई, खदानों और निर्माण कार्यों ने ईंट-गारे और दूसरे बजनों को सिर पर ढोना वगैरह। लेकिन, इसके साथ ही, जब औरतों द्वारा किए जानेवाले कामों का मशीनीकरण हो जाता है जिससे वह काम आसान भी हो जाते हैं और उनके लिए परिश्रमिक भी बढ़ जाता है, तब उस मशीनरी को इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण पुरुषों को दिया जाता है। समुदाय के अन्दर पारम्परिक रूप से औरतों द्वारा किए जानेवाले कार्यों में भी ऐसा ही होता है। मसलन जब हाथ ही चक्की की जगह बिजली की चक्की लेती है, या जब मछली पकड़ने के लिए औरतों द्वारा हाथ से बनाए जानेवाले जालोंकी जगह मशीन निर्मित नाईलोन के जाल ले लेते हैं तो

इन कामों को संभालने के लिए पुरुषों को प्रशिक्षित किया जाता है और औरतें और भी कम परिश्रमिक वाले और कहीं ज्यादा थकाऊ शारीरिक कामों में धकेल दी जाती हैं।

दूसरे शब्दों में औरतों की मौजूदा अधीनता, अपरिवर्तनीय जैविक असमानताओं से नहीं पैदा होती है बल्कि यह ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों, विचारधाराओं और संस्थाओं की देन है जो महिलाओं की वैचारिक तथा भौतिक अधीनता को सुनिश्चित करती हैं। इसलिए नारीवादी विचारक लिंग भेद आधारित काम, यानी लिंग के आधार पर श्रम विभाजन और महिलाओं के आधारभूत विशिष्टताओं (यौनिकता और प्रजनन) जो प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मानी जाती है, के दायरे से बाहर रखकर देखने की कवायद करते हैं। नारीवादी एजेंडा इन मुद्दों को 'राजनीतिक' दायरे में स्थापित करने का है, जो संकेत करता है कि उन्हें बदला जा सकता है और बदला जाना चाहिए।

महात्मा गाँधी के शब्दों में "स्त्री को अपना मित्र या साथी मानने के बदले पुरुष ने अपने को उसका स्वामी माना है। उसकी समस्त क्रियाएँ मुद्राएँ, काम का चुनाव, आदि सभी मर्दवादी व्यवस्था द्वारा निर्धारित की जाती है।" पुरुषसत्तावादी समाज में नारी को वन्दिनी, अनुगामिनी, बनाये रखने की सामंती विचार प्रछन्न रूप से सामाजिक सहमति का हिस्सा बन चुकी है। समाज लड़कियों को स्वायत्तता देने के बजाय उनके व्यावहारिक चर्या जैसे हँसने-गाने, बोलने, लिखने-पढ़ने, खेलने-कूदने, पहनावा, आदि को नियंत्रित कर उन्हें कठपुतली बनाने की चेष्टा करता है। समाज में पुरुष को श्रेष्ठ और नारी को हीन माने जाने की एक परंपरा बन गयी है। हीनता का भाव समाज में प्रछन्न रूप से चलता आ रहा है और नहीं चाहकर भी समाज के सभी वर्गों का इस असमानता, हीनता और जेंडर विभेद के प्रति मौन समर्थन सा दिखाई पड़ता है।

नारीवादी आन्दोलन एवं प्राचीन रुढ़िवादी धारणाओं के आपसी वैचारिक विभिन्नताओं ने 21वीं सदी में जेंडर अध्ययन को सामाजिक विज्ञान, सेक्स एवं न्यूरो वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय बना दिया है। प्राणतिक विज्ञान इस बात को स्वीकार करता है कि स्त्री और पुरुष का जैविक अंतर ही मानव के विकास को तय करता है। दूसरी और न्यूरो विज्ञान इस बात की कवायद करता है की स्त्री और पुरुष के दिमाग की संरचना उनके सोच को प्रभावित करता है। समुदाय या समाज इस जैविक अंतर के आधार पर

लड़का या लड़की की सामाजिक भूमिकाये निर्धारित करते हैं जो उनके पहनने ओढ़ने से लेकर समाज में उठना बैठना, कार्य करना, बोलना चलना सभी बातों से सम्बंधित है। अर्थात् समाज यह तय करता है कि लड़के या लड़की के रूप में जन्मे नवजात को कैसे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में गढ़ना है या विकसने का मौका देना है। यही कारण है कि जब जेंडर की बात चलती है तो आमतौर पर मन में महिला और महिलाओं से संदर्भित विमर्श ही आते हैं।

बदलते सन्दर्भ या संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो महिला और पुरुषों को सामान्य अवसर देने की बात कही गई है। भारतीय संविधान की धारा 14 से 18 तक में विभिन्न तरह के समता का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 15 इस बात की संपुष्टि करता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध लिंग के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। लेकिन अगर दैनिकचर्या की बात करें तो यह विभेद स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आते हैं। दरअसल सामाजिक तौर पर लड़के लड़कियों का विभेद हमारे सामाजिक-सांस्कृतिक मानसिकता का परिणाम है। आमतौर पर यह विभेद हमारे मन में इस कदर रच बस गया है कि हम इसे स्वाभाविक या प्राणतिक गुण मान लेते हैं। जैसे— विनम्र होना, घरेलू कामों का संपादन करना, जैसे अनेक कार्य हैं जो लड़कियों से जोड़ कर ही देखा जाता है। इसी प्रकार किसी पुत्र को बचपन से ही यह एहसास करा दिया जाता है कि वह भविष्य में परिवार का पालनकर्ता होगा और अपनी बहनों से श्रेष्ठ है। समाज में स्त्री पराधीनता की स्थिति से उबर कर, नारी को अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने देने और विविध कार्य क्षेत्रों में प्रवेश की स्वतंत्रता देना आवश्यक है।

समाज में जेण्डर विभेद के कई उदाहरण हमें रोज़ाना मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर, अपने समुदाय में आप लोगों को यह बात करते सुन सकते हैं कि “आजकल की लड़कियां किस तरह जींस-पैन्ट पहन रही हैं और घर के कामकाज से जी चुरा रही हैं। उन्हें बाहर घूमना अच्छा लगता है और कई बार वे लड़कों जैसी मांग करने लगती हैं।” यह उदाहरण जेण्डर के रूढ़ीवादी सोच को दर्शाता है कि पेंट शर्ट पहनना, घरेलू काम का न करना, जोर से बातें करना, दोस्तों के साथ घूमना, ये सारे केवल पुरुष के ही कार्य हैं, महिलाओं को सामाजिक अपेक्षा के अनुरूप कपड़े पहनना घर का काम करना, धीमी आवाज में बात करना ही शोभा देता है। दिल्ली में घटी चर्चित दामिनी (निर्भया) काण्ड ने पुरे देश को झकझोर दिया। उस केस में भी, अगर याद करें तो न्यायालय के न्यायाधिक विश्लेषण के बाद जो सामाजिक

विश्लेषण समाचार पत्रों या मीडिया के माध्यम से उभर कर सामने आये वह समाज की सोच को दर्शाता है। उसी प्रतिक्रिया में कई धार्मिक, सामाजिक एवं स्थानीय संस्थाओं ने महिलाओं के जीन्स पहनने पर रोक लगा दिया। इतना ही नहीं कई जगहों पर इसका पालन नहीं करने वालों को सार्वजनिक रूप से सामाजिक प्रताड़ना का शिकार बनना पड़ा। सामाजिक संरचनाओं के तहत यह बात मानना कि ऐसी घटनाओं की जिम्मेदार महिलाएं स्वयं है समाज के सोच को स्पष्ट करता है।

समाज में जेण्डर विभेद के साथ-साथ आप कई ऐसे उदाहरण भी देखते-सुनते होंगे जो समाज की रूढ़ीवादी अवधारणा से मेल नहीं खाते हैं। आप अपने समुदाय के लोगों से लड़कियों की भूमिका के बारे में बात करेंगे तो कई ऐसे विचार भी सुनने को मिलेंगे जो रूढ़ीगत नहीं होंगे। आज कामकाज, राजनीति, तकनीकी, जैसे कई क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी भूमिका से यह स्पष्ट किया है कि उनके प्रति जो समाज की असमानता-आधारित धारणा है, वह रूढ़ीग्रस्त है। अब समाज भी महिलाओं के अधिकार और क्षमता को स्वीकार करने के पथ पर है। इसके कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे।

इसका दूसरा पक्ष यदि देखें तो घरेलू हिंसा, सामाजिक नियंत्रण, आर्थिक निर्भरता, आदि प्रक्रियाएं अभी भी महिलाओं को उनकी रूढ़ीवादी भूमिका में ही बनाए रखने की कोशिश में हैं, जो लड़कियों के सामाजिक अस्तित्व को कठघरे में खड़ा कर देता है। आधी आबादी की संज्ञा दिए जाने के बावजूद नारी का चहु ओर प्रतिनिधित्व नगण्य है। महिला सशक्तिकरण के शताब्दी में बहुत सारी उपलब्धियां जैसे-स्त्रियों की औसत आयु में वृद्धि, मृत्यु-दर में ह्रास, बालिका शिक्षा पर जोर, कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षा, जैसे प्रयास किये गए हैं तो दूसरी ओर नारियों के प्रति बढ़ते हुए अत्याचार, अपराध, विघटन, घरेलू हिंसा, सांवेगिक उत्पीड़न, वैश्यावृत्ति, ऑनरकिलिंग, विज्ञापनों में अर्धनग्नता, दहेज उत्पीड़न, बलात्कार, तलाक और आत्महत्या जैसी घटनाओं से यह इंगित होता है कि हमारा समाज अभी भी यह स्वीकारने को तैयार नहीं है कि महिला और पुरुष एक समान हैं। आज भी समाज यह निर्धारित करती हैं कि लड़कियों को क्या पहनना चाहिये, कैसी शिक्षा देनी चाहिये, क्या कहा जाना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए इत्यादि।

कई लोग अपनी बेटी को प्यार से बेटा कहकर सम्बोधित करते हैं। आपके अनुसार, यह अच्छी बात है या इसमें भी बेटी शब्द के प्रति एक अचेतन घृणा है। उसी तरह, किताबों या दैनिक बातचीत में हम कई बार शिक्षक और शिक्षिका, दोनों के लिए 'शिक्षक' शब्द का सम्बोधन सुनते हैं। इस प्रकार की जेण्डर आधारित सोच केवल समाज में ही नहीं है बल्कि विद्यालयों की गतिविधियों एवं पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से भी लड़की और लड़के के सामाजिक फर्क को गढ़ा जाता है और निरन्तर पुनर्बलित किया जाता है। आज भी समाज में लड़कियों को शिक्षा से महारूम रखा जाता है क्योंकि उनका मानना है कि पढ़ लिख के भी उन्हें घरेलू काम ही करने हैं। विद्यालय में लड़कियों और लड़कों के जगह का बंटवारा आप साफ-साफ तौर से कक्षाओं में देख सकते हैं। जेण्डर के संदर्भ में शिक्षा की भूमिका से सम्बंधित विशेष चर्चा खण्ड 2.5 में की गयी है। जेण्डर और भाषा के सम्बंधों से जुड़े कई मुद्दों की चर्चा को आप विषयपत्र—'भाषा और शिक्षा' में विस्तार से समझेंगे।



क्रियाकलाप

- किसी समाचार पत्र से कोई दस ऐसे समाचार को संकलित करे जो लैंगिक बोध से जुड़े मुद्दों को दर्शाता है, अपने कक्षाकक्ष में उन मुद्दों पर समूह चर्चा करवाए।
- अपने विद्यालय में किये गए कोई एक कार्य का वृत्त चित्र प्रस्तुत करे जिसमें लिंग विभेद को दूर करने का प्रयास दिखाया गया हो।
- अपने विद्यालय में पढ़ने वाले पांच लड़के और पांच लड़कियों से बातचीत के आधार पर एक प्रतिवेदन तैयार करें कि उनके घर में कौन क्या करता है और उसकी समीक्षात्मक विन्दुओं को पावर पॉइंट के माध्यम से केंद्र पर प्रस्तुत करें।
- दस महिलाओं के चित्र एकत्र करें जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। उनमें से किसी एक का सम्पूर्ण जीवन वृत्त तैयार कर अपने कक्षा कक्ष में प्रदर्शित करें।

2.4.2 बच्चों के समाजीकरण में जेण्डर की भूमिका

सामाजिक संरचनाओं के परिप्रेक्ष्य में यदि जेण्डर की भूमिका की बात की जाये तो कुछ बातें स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती हैं। आमतौर पर जेण्डर की भूमिका समाज द्वारा तय किये गए उन व्यवहारों को प्रतिबिम्बित करता है जो लड़के या लड़कियों के लिए सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप निर्धारित किया जाता है।

किसी भी बच्चे का प्रथम समाजीकरण अपने परिवार में ही होता है। जन्म से ही बच्चे की जैविक संरचना इस बात को स्पष्ट करता है कि नवजात शिशु लड़का है या लड़की। इस जानकारी के साथ ही परिवार उनके विकसने की प्रक्रिया गढ़ लेता है। साथ ही यह भी तय हो जाता है कि बड़े होकर उनकी भूमिका क्या होगी? इस मानसिकता के साथ ही बच्चों का समाजीकरण होता है। इसलिए, लड़के और लड़कियों की भूमिका उनके जन्म के साथ ही तय हो जाती है। पारंपरिक रूप से यह माना जाता है कि लड़कियां पराया धन होती हैं। विवाह के बाद उन्हें उन सारी जिमेदारियों का निर्वहन करना है, जो उनकी माँ, बहन, नानी, दादी या अन्य महिला सदस्यों के द्वारा निभाई जाती है। इस लिए उन्हें घरेलू कामों में शामिल करना, उनके हंसने-बोलने, उठने-बैठने के अंदाज, किससे कैसे बात करना है, क्या पहनना है, किन खिलौनों से खेलना है, घर के नन्हे सदस्यों यानी छोटे भाई बहनों की देख रेख करना ये सारी बातें घर में तय हो जाता है। वहीं लड़कों का पालन-पोषण अलग ढंग से होता है जिससे वे बड़े होकर वंश को आगे बढ़ा सकें।

प्रायः यह माना जाता है कि लड़के बड़े होकर कमाने जायेंगे जिससे परिवार को आर्थिक संबल मिल सके, इसलिए लड़को को ऐसे कामों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे वे मजबूत और बुद्धिमान बन सकें। यही नहीं परिवार यह भी तय करता है कि लड़कियों को कौन से कौशल सिखने की जरूरत है जिसे वे घरेलू कार्यों के लिए उपयोग कर सकें। सिलाई, बुनाई, खाना पकाना, गीत संगीत जैसे विषय महिलाओं के लिए आवश्यक माने जाते हैं। परिवार हमेशा इस बात की अपेक्षा करता है कि लड़कियां लड़कों की तरह व्यवहार करने के बजाए लड़कियों के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप ही कार्य करें, जिससे समाज में उस परिवार की मान प्रतिष्ठा बनी रहे। यद्यपि वर्तमान सन्दर्भ में परिवर्तन दिखते हैं फिर भी अभी भी परिवार में बच्चे एवं बच्चियों के बढ़ने और विकसने की व्यवस्था में फर्क

दिखता है। जरूरी नहीं की यह फर्क हर परिवार के लिए एक हो पर यह निर्विवाद सत्य है कि उनकी भूमिका में फर्क नजर आता है। विशेषकर परिवार की आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, भौगोलिक, धार्मिक और भाषाई परिप्रेक्ष्य भी इस बात को निश्चित करता है कि परिवार में आये नन्हे मेहमान के साथ कैसा व्यवहार करना है और उसके सामाजिकरण का ताना बना कैसे बुनना है।

बिहार विशेष की बात करें तो यहां भ्रूण हत्या, बाल-विवाह, कुपोषण की शिकार महिलाये, दहेज प्रथा तथा लगातार महिलाओं पर हो रहे घरेलू हिंसा ने जहां महिलाओं का जीवन मुहाल कर दिया है वहीं लड़कों की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बाल मजदूरी की आग में बच्चों का बचपन झोक दिया जाता है। लड़कियों को कम उम्र से ही घरेलू कामों के लिए निपुण बनाने की कवायद शुरू हो जाती है और बहुतां की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती हैं।

बच्चों के समाजीकरण में जेण्डर की क्या भूमिका है, आईए इसे कुछ दृष्टांतों के माध्यम से समझें।



(दृष्टान्त : 2.4.2—अ)

मंगरी का विवाह एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था। उसके पति कपड़े की दूकान चलाया करते थे।

विवाह के दो वर्षों बाद अचानक मंगरी रोती हुई अपने मायके पहुंची। उसके फटे हुए कपड़े, शरीर पर चोट के निशान, एवं रोती हुई आँखें बिना कहे उसकी व्यथा स्पष्ट वयां कर रही थी। उसकी दशा देख

रोंगटे खड़े हो गए। देखते ही देखते घर के सारे लोग एकत्र हो गए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी दो दिन पहले ही मंगरी की माँ ने नातिन होने की खुशी में पुरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी, फिर अचानक क्या हुआ? मैं अपनी उत्सुकता रोक न सकी। मैं भी मंगरी के घर पहुँच गई। मंगरी की कथा सुन पत्थर का भी दिल पिघल जाये। उसने बताया कि ज्योहि उसकी बेटी हुई ससुरालवालों का व्यवहार बिलकुल बदल गया। उसे तरह-तरह की यातनाएं दी जाने लगी। बेटे की आस में कितनी भ्रुण हत्याएं की गई। इस बार झारफूंक करनेवाले बाबा के आशवासन पर उन्हें लगा कि आनेवाला बच्चा लड़का होगा इसलिए उसे पलने बढ़ने का मौका दिया गया। परन्तु इस बार भी बेटी होने के कारण उन्हें ये चिंता सताने लगी कि उनके वंश को कौन आगे बढ़ाएगा। इसलिए उन्होंने मार पिट कर मंगरी को घर से निकाल दिया। बेटे की दूसरी शादी के लिए पूरा परिवार घर से बाहर गए हुए थे। मौका देख कर मंगरी घर से भागकर अपने मायके पहुँच गई।

विमर्श के बिन्दु :

- दृष्टान्त के आधार पर चर्चा करें कि एक परिवार महिलाओं को किस रूप में देखना चाहता है?
- क्या आपको लगता है कि महिलाओं का कार्य मात्र बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना ही है? अपने विचारों को लिपिबद्ध कर केंद्र पर चर्चा करें।



क्रियाकलाप

- समाज में लड़का और लड़की के बीच जो भेद व्याप्त है, उसे मिटाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? यह सवाल अपने समुदाय के कुछ लोगों से पूछें और उनके जवाबों का विश्लेषण करें।

- दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले किसी एक पात्र की भूमिका पर समूह चर्चा करें जो महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करता हो?

(दृष्टान्त : 2.4.2—ब)

सुलेख की बहन की शादी थी। गाँव, शहर हर जगह से उसके रिश्तेदार आये हुए थे। खाली समय में सभी महिलाएं एकत्रित होकर आपस में चर्चा कर रही थीं।

सरला : मेरी बेटी दसवीं में ही पढ़ती है लेकिन घर को साफ रखना, शाम का नाश्ता बनाना, अपने छोटे भाई मुन्नु को भी संभाल लेती है। सच है बेटियां होना बहुत जरूरी है।

विमला ठंडी सांस लेकर कहती है, “मुझे ये सुख कहाँ मेरी बेटी शिप्रा तो घर का काम करना ही नहीं चाहती। कहती है कि बड़ा होकर मैं कलक्टर बनूँगी। कितना ही समझाती हूँ कि तुझे विवाह कर दूसरे घर जाना है कुछ घरेलू कार्य सीख ले नहीं तो बहुत जगहंसाई होगी, लेकिन सुनती ही नहीं।”

कमला : “ठीक ही तो है। ज़माना इतना बदल गया है कि एक आदमी के कमाई से घर नहीं चल सकता। अच्छा तो है बेटियाँ पढ़ लिख कर समाज में नाम रौशन करेंगी। भाई! मैंने तो अपनी बेटी को पूरी स्वतंत्रता दे रखी है।”

कमला किसी काम से चली जाती है। उसके जाते ही सारी महिलायें फिर गोलबंद हो जाती हैं। सबों ने एक स्वर में कहा शहर में रह कर तो इसके दिमाग खराब हो गए हैं। घर के रीति रिवाजों को तो इसने ताक पर रख दिया है। बेटी है घरेलू कामों को नहीं सीखेगी, लड़कियों की तरह पहनना ओढ़ना नहीं जानेगी तो विवाह के बाद रोज ही शिकायत आएगी। बेटियों को बेटों की बराबरी करने देना यह अच्छी बात नहीं। कमला को यह समझना चाहिए।

विमर्श के बिन्दु :

- एक शिक्षक के रूप में आप किनके विचारों से सहमत हैं और क्यों? अपने विचारों को केंद्र पर चर्चा करें और उभरे हुए बिन्दुओं का अभिलेखीकरण करें।
- अपने कक्षा कक्ष में पढ़ने वाली किन्हीं पांच विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें एक सूची तैयार करने को कहें कि उनके घर में कौन क्या काम करता है? उस सूची का मिलान अन्य विद्यार्थियों के बिच चर्चा से उभरे बिन्दुओं से करें।



क्रियाकलाप

- परिवार में किसके द्वारा क्या काम किया जाता है उसके चित्र इकट्ठा कर एक एल्बम बनाये। सभी चित्रों के आधार पर अपना विश्लेषण प्रस्तुत करें।
- हमारे समाज में लड़के और लड़कियों को लेकर कई लोकोक्तियां हैं जो जेण्डर विभेद की अंतर्निहित मान्यताओं को दर्शाते हैं। उनका संग्रह करें और अध्ययन केन्द्र पर विश्लेषण करें।

उपरोक्त दृष्टांतों के विश्लेषण के आधार पर हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसके भाषा, संस्कृति, धर्म, रीति-रिवाज का प्रभाव उसके समाजीकरण पर पड़ता है। विभिन्न धर्मों की मान्यताओं के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के आधार पर भी लड़के और लड़कियों की भूमिका को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया जाता है। ज्यादातर समुदाय में लड़के और लड़कियों की भूमिका अलग अलग ढंग से देखी जाती है। लेकिन एक बात जो लड़के और लड़कियों के समाजीकरण में प्रत्येक समुदाय में सामान्य है वह है लड़कियों की भूमिका के प्रति सामाजिक रवैया। भारतीय परिदृश्य में देखें तो हर समुदाय लड़कियों को कुशल गृहणी के रूप में ही देखता है, इसलिए समाज में उनके साथ वैसे ही व्यवहार किये जाते हैं, वैसे कार्यों को सिखने की कवायद की जाती है जो उन्हें

कुशल गृहणी बनने में मदद पहुंचा सके। जैसे आमतौर पर कुछ कार्य ऐसे हैं जो लड़कियों के लिए मानों निर्धारित किये जाते हैं। जैसे कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, खाना पकाना, बच्चों की देखरेख करना, सिलाई बुनाई करना, इत्यादि ऐसे कार्य हैं जो महिलाओं से जोड़ कर ही देखे जाते हैं। दूसरी ओर घर के लिए आर्थिक कार्य करना, घरेलू बातों पर निर्णय लेना, ये सारे मर्दों के ही कार्य माने जाते हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं को संपत्ति का उत्तराधिकारी मानने को भी समाज तैयार नहीं होता है। समय के साथ-साथ इसके विरुद्ध कानून भी बनाए गए, फिर भी व्यवहारिक तौर पर महिलाओं को उनका हक नहीं मिलता है। उसी तरह यदि पेशेवर समुदाय की बात करें तो कुछ कार्य जैसे रेल का इंजन चलाना, बस चलाना, सेना में नौकरी करना जैसे कार्य महिलाओं के लिए असंभव सा प्रतीत होता है, जबकि ऐसे कार्यों में भी महिलाओं ने अपनी धाक जमाई है, परन्तु पितृसत्ता वाले इस समाज में उन्हें अपने आप को प्रमाणित करना पड़ता है कि वे भी ऐसा कर सकती हैं।

लड़के या लड़की का जेण्डर आधारित समाजीकरण करने में मीडिया की भी अहम भूमिका रही है। मीडिया जहां एक ओर जेण्डर विभेद को कम करने हेतु सकारात्मक प्रयास में शामिल है वहीं मीडिया पर लगातार जेण्डर विभेद को पुनर्बलित करने का आरोप भी लगाया जाता है। अक्सर, विज्ञापनों में नारी की पारंपरिक भूमिका को ही दर्शाया जाता है।



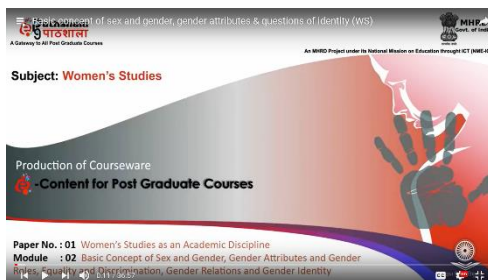
क्रियाकलाप

- आप जिस समुदाय से जुड़े हैं उस समुदाय में लड़के और लड़कियों के समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है? क्या आपको लगता है कि इस में बदलाव की जरूरत है? अगर हाँ तो क्या और कैसे यदि नहीं तो क्यों?
- समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों में से किन्हीं दस विज्ञापनों का चयन करें जिसमें महिलाओं की सहभागिता हो और विश्लेषण करें कि वह महिलाओं की किन भूमिका को स्पष्ट करता है? क्या वह समाज के नए सोच को दर्शाता है?

- बिहार में जेण्डर सम्बंधित आंकड़ों को एकत्र करें और उनका विश्लेषण करें।



वीडियो देखने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें



https://www.youtube.com/watch?v=k7GZ02hbiWQ&list=PLhT1QqOH_PemOIXWhbPO0-o1P9ySkBSJc

2.5 जेण्डर समानता के लिए शिक्षा एक सशक्त माध्यम के रूप में

यह सवाल बार—बार उठता है कि समाज में जो जेण्डर विभेद है, उसे दूर करने का प्रभावी माध्यम क्या हो सकता है और, अधिकतर जवाबों में 'शिक्षा' को सबसे प्रभावकारी माध्यम माना जाता है। पर यह सवाल इस जवाब के साथ खत्म नहीं हो जाता है। क्योंकि इससे एक और सवाल निकलता है कि शिक्षा की भूमिका जेण्डर समानता लाने में है या कि जेण्डर विभेद को बनाए रखने में। यह सवाल इस लिए उठता है क्योंकि हम अपने समाज में ऐसे कई उदाहरण देखते हैं जहां किसी खास प्रकार की शिक्षा ने लड़के और लड़की के मध्य के जेण्डर विभेद को बनाए रखने का काम किया है। फिर भी, जेण्डर समानता लाने के संदर्भ में शिक्षा की सकारात्मक भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि इसके उदाहरण भी बहुत हैं। इसलिए

यह सवाल अहम है कि किस तरह की शिक्षा से जेण्डर समानता को लाने में सफलता मिलेगी।



केवल विद्यालय के अंदर चलनेवाली शिक्षा से जेण्डर समानता को लाना सम्भव नहीं है क्योंकि जेण्डर विभेद को हटाने का मामला केवल विद्यालय के अंदर का मामला नहीं है। लेकिन, यह महत्वपूर्ण होगा कि विद्यालय के अंदर बच्चों को कितने प्रभावी शैक्षिक अनुभवों को उपलब्ध कराया जाएं, जिससे उनमें आत्म-विश्वास बढ़े, उनके कौशलों में इजाफा हो ताकि वे अपना भविष्य स्वयं गढ़ सकें। विद्यालय में लड़कियों की शिक्षा के संदर्भ में यही सबसे कठिन चुनौती है। अक्सर विद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है, उसमें पाठ्यपुस्तकों में लिखित जेण्डर समानता की बात और असल में विद्यालयी गतिविधियों में जो जेण्डर भूमिका दिखाई देती है, उनमें जमीन आसमान का अन्तर होता है। कई बार, विद्यालय के शिक्षक व शिक्षिकाएं ही मानसिक तौर पर इतना तैयार नहीं होते हैं कि वे जेण्डर विभेद से सम्बंधित गतिविधियों के प्रति संवेदनशील हो सकें।

विद्यालय में चलनेवाली कोई गतिविधि केवल गतिविधि मात्र नहीं है, बल्कि उसका बच्चों के मानसिक विकास और सामाजिक व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पर आप कई विद्यालयों की कक्षाओं में लड़कों और लड़कियों को अलग-अलग बैठने के पैटर्न को देख सकते हैं। यह पैटर्न कैसे बना, इसकी पड़ताल जरूरी है। यदि आप प्रारम्भिक स्तर की शुरुआती कक्षाओं का अवलोकन करें तो वहां आप पाएंगे कि बच्चों में जेण्डर आधारित सामाजिक विभेद नहीं है। बच्चे बिना इस धारणा के कि वह लड़का है या लड़की, किसी भी साथी बच्चे के साथ बैठना, बात करना,

खेलना, लड़ाई, आदि काम करते हैं। लेकिन, जैसे-जैसे कक्षाएं बढ़ने लगती हैं तो आप देखेंगे कि छठी-सातवीं-आठवीं आते-आते कक्षा में जेण्डर आधारित एक पैटर्न बन जाता है। लड़कों और लड़कियों के जगह के बीच फासला बन जाता है, उनके आपसी सम्प्रेषण का तरीका भी बदल जाता है। यह सब कैसे हुआ, इसका जवाब विद्यालय के अंदर की शिक्षा में खोजने पर नहीं मिलेगा। हमारी संस्कृति में एक जेण्डर की अवधारणा बहुत गहरी पैठी हुई है। बड़े होने की प्रक्रिया में बच्चे उन गहरी मान्यताओं को भी सीखते हैं जो उनके विद्यालय में भी साथ-साथ जाते और सीखने की प्रक्रिया के दौरान लिए गए प्रत्येक गौण या महत्वपूर्ण निर्णय के समय उभरते हैं, उन लड़कियों के मामलों में भी जो इन बाधाओं के बावजूद स्कूल पहुंची हों और वहां बनी रही हों।

विद्यालय की पाठ्यचर्या की जो संरचना होती है वह भी जेण्डर विभेद को बनाने में अहम भूमिका निभाती है। माध्यमिक पाठ्यचर्या में जो अधिक आसान विकल्प माने जाते हैं, जैसे मानविकी, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान तथा भाषाएं, ये विकल्प ही लड़कियों को उपलब्ध होते हैं। गणित, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र तथा जीवविज्ञान तथा उनकी प्रयोगशालाएं उनकी मानसिक दुनिया से काफी दूर रहते हैं। इसी प्रकार अन्य पाठ्येतर गतिविधियों में भी उनके विकल्प नृत्य या गायन तक सीमित रहते हैं, बनिस्बत खेलकूद जैसी गतिविधियों के जिनमें व्यक्ति से शारीरिक क्षमताओं की मांग की जाती हो।



क्रियाकलाप

- प्रारम्भिक स्तर के पाठ्यपुस्तकों से वैसे प्रसंगों की पहचान करें जो जेण्डर की अवधारणा से सम्बंधित हैं। यह हो सकता है कि उनके माध्यम से जेण्डर की रूढ़ीवादी विचार ही प्रोत्साहित हो रही हो या ऐसा भी हो सकता है कि उनके माध्यम से रूढ़ीवादी धारणाएं टूट रही हों।

शिक्षा व्यक्तिगत विकास की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चों द्वारा किसी भूमिका विशेष को चुनने में वयस्कों की अपेक्षाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। माता-पिता व शिक्षक लड़कों की तुलना में लड़कियों से बहुत कम उम्मीदें रखते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया से मात्रा इतनी उम्मीद रखी जाती है कि समुदाय की अपेक्षाओं के अनुरूप लड़कियां विवाह के लिए आवश्यक योग्यताएं पा लें। जब लड़कियां बड़ होते समय इन अपेक्षाओं को आत्मसात कर लेती हैं, तो ये अपेक्षाएं ही उनके लिए, वयस्कों की अपेक्षाएं, मानसिक अवरोध बन जाती हैं। ये अवरोध उनके 'अस्मिता' की वृद्धि को रोकते हैं और यह भाव जगाते हैं कि उन्हें स्वयं अपने लक्ष्य चुनने की स्वतंत्रता नहीं है। शिक्षा में ये मनो-अवरोध उतनी ही बड़ी चुनौती प्रस्तुत करते हैं, जितनी बड़ी चुनौती आधुनिक अर्थ व्यवस्था में भागीदारी के लिए ज्ञान और कौशल अर्जित करना प्रस्तुत करता है। बालिकाओं को इन बाधाओं को पहचानने के बाद उन्हें लांघने में सक्षम बनाने का काम केवल बौद्धिक रूप से उत्प्रेरक बाल-शिक्षणशास्त्र ही कर सकता है, जो ज्ञान के संदर्भ में विज्ञान, गणित व सामाजिक विज्ञान सब पर लागू किया जाए। केवल जब स्कूली पाठ्यचर्या में सतत सावधानी बरती जाएगी तब ही हम बालिकाओं को इतना 'सशक्त बालिका' बना सकेंगे कि वे न केवल अपनी सम्भावनाओं को पहचानें बल्कि एक ऐसा उत्पादक जीवन चाहें जो हमारे समाज द्वारा परिभाषित परम्परागत भूमिकाओं तक सीमित न हो। इस संदर्भ में हम विद्यालय में 'मीना मंच' जैसी अवधारणाओं के साथ-साथ बालिकाओं के लिए बिहार सरकार की साईकिल योजना से सीख ले सकते हैं, जिन्होंने जेण्डर की रूढ़ीवादी धारणाओं को तोड़ने का काम किया है।



क्रियाकलाप

- अपने विद्यालय की गतिविधियों का अवलोकन करें और जेण्डर संवेदनशीलता लाने के विभिन्न अवसरों की पहचान करें। उनकी चर्चा अपने अध्ययन केन्द्र पर करें।
- क्या आपके अपने शिक्षण के तरीकों में जेण्डर संवेदनशीलता शामिल है? अपने शिक्षण का मूल्यांकन करें।

- बिहार राज्य में जेण्डर समता को प्रोत्साहित करनेवाली कुछ शैक्षिक योजनाओं के बारे में पता लगाएं और उनके प्रभावों का विश्लेषण करें।
- मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना का प्रभाव ग्रामीण शिक्षा पर किस प्रकार पड़ा है, इसके बारे में कुछ लोगों की प्रतिक्रिया को दर्ज करें और अध्ययन केन्द्र पर चर्चा करें।



वीडियो देखने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें



https://www.youtube.com/watch?v=M8Q_ENrzg5o



2.6 समेकन तथा सीखने-सिखाने में सहयोगी ई-संसाधन

इस इकाई के माध्यम से हमने लिंग और जेण्डर के अंतर को स्पष्टता में समझा। हमने जाना कि 'लिंग' या सेक्स शब्द पुरुष और स्त्री के बीच एक जैविक अर्थ की तरफ इशारा करता है जबकि जेंडर का तात्लुक उसके साथ गुंथे सांस्कृतिक अर्थों से है। सेक्स एक जैविक और शारीरिक संरचना

है जो किसी मनुष्य का स्त्री, पुरुष या नपुंसक होना तय करता है। दूसरी ओर जेंडर एक सामाजिक संरचना है जो किसी मनुष्य के 'लिंगबोध' को दर्शाता है, जिसके आधार पर समाज में उनकी भूमिका तय होती है। लिंग आमतौर पर समय-काल और परिस्थिति के आधार पर नहीं बदलता। यह तो जैविक रूप से निर्धारित और जन्मजात होता है। जबकि, जेंडर की भूमिका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों के आधार पर बदलती रहती है। साथ ही, हमने जेण्डर से सम्बंधित समाज के विभिन्न उदाहरणों का विश्लेषण भी किया। अंत में हमने जेण्डर समानता को लाने में शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण किया और यह जाना कि शिक्षा की वर्तमान संरचना में कई प्रकार से जेण्डर विभेद को कायम रखनेवाले कारक भी शामिल हैं। लेकिन, साथ ही हमने इस बात को भी समझा कि जेण्डर समानता लाने में शिक्षा की भूमिका सबसे अहम है, जिसका विस्तार केवल विद्यालय के बाहर समुदाय तक होना जरूरी है।

इकाई की विस्तृत समझ के लिए निम्नलिखित ई-संसाधनों का भी उपयोग जरूर करें :

- इकाई के विषयवस्तु पर निर्मित आई.सी.टी. / ऑडियो-विजुअल / एनिमेशन सामग्री।
- प्रारम्भिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों पर आधारित डिजिटल सामग्री, जो इस इकाई से सम्बंधित हों।
- इकाई के विषयवस्तु से सम्बंधित फिल्म, डॉक्युमेंटरी, प्रेजेन्टेशन, वेब-रिसोर्स, ओपेन रिसोर्स, आदि।



2.7 स्वमूल्यांकन

1. जेण्डर और लिंग की अवधारणा में क्या अंतर है? उदाहरण के माध्यम से समझाएं।
2. जेण्डर की अवधारणा के सैद्धांतिक आधारों का विश्लेषण करें तथा यह समझाएं कि जेण्डर का महत्व किसी लड़के या लड़की के जीवन में क्यों है?

3. समाजीकरण की प्रक्रिया में जेण्डर अपनी भूमिका कैसे निभाता है? अपने अनुभवों से कुछ उदाहरणों को प्रस्तुत करें।
4. जेण्डर संवेदनशीलता लाने में शिक्षा की क्या भूमिका है? विश्लेषण करें।
5. बिहार विशेष के संदर्भ में विभिन्न प्रयासों के माध्यम से लड़कियों की सामाजिक एवं शैक्षिक स्थिति में आए बदलावों का विश्लेषण करें।

इकाई

3

विद्यालय और समाजीकरण

- 3.1 परिचय
- 3.2 उद्देश्य
- 3.3 पूर्व अनुभव
- 3.4 शिक्षा, विद्यालय तथा समाज : अंतर्सम्बंधों की समझ
- 3.5 विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया : विभिन्न कारकों की भूमिका व प्रभावों की समझ
- 3.6 शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालय : सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक आधार
- 3.7 समेकन तथा सीखने—सिखाने में सहयोगी ई—संसाधन
- 3.8 स्वमूल्यांकन



3.1 परिचय

आपने अनुभव किया होगा कि समाज अपने विभिन्न रूपों में सामाजिक मानदण्ड, मूल्य, विश्वास, मनोवृत्ति, आशा तथा दृष्टिकोणों को हस्तगत एवं विकसित करने की व्यवस्था करता है। माता-पिता, पड़ोस एवं समुदाय के बड़े बुजुर्ग तथा एक समूह विशेष द्वारा बच्चों में एक सामाजिक अवस्थिति एवं चेतना का विकास किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया अनौपचारिक व औपचारिक स्तर पर संगठित होती है। कभी-कभी समाजीकरण की प्रक्रियाओं को प्राथमिक तथा द्वितीयक स्तर की प्रक्रिया में विभाजित किया जाता है ; जिसमें माता-पिता, परिवार, पड़ोस के बुजुर्ग तथा समुदाय प्राथमिक स्तर की प्रक्रिया से संबंधित हैं, जबकि विद्यालय, धर्म तथा राज्य द्वितीयक स्तर की प्रक्रिया से। शिक्षा समाजीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है। इस संदर्भ में शिक्षा को एक सयास रूप से संचालित होनेवाली प्रक्रिया या समाजीकरण को संचालित करने वाली व्यवस्था, संगठन या संस्था के रूप में जाना जाता है।

आधुनिक समाज शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्तियों के समाजीकरण की व्यवस्था करता है। विद्यालय समाजीकरण के इसी एजेण्डे का एक संस्थायीकृत एवं सांगठनिक प्रारूप है। समाज, शिक्षा तथा विद्यालय एक दूसरे से परस्पर अन्तःक्रिया करते हुए बच्चे तथा बचपन दोनों को पुनः निर्मित करते हैं। अतः एक शिक्षक को इनके अंतःक्रियात्मक संबंधों की गतिशीलताओं की समझ आवश्यक है। इसके अतिरिक्त विद्यालय एक विशेष व्यवस्था है जिसमें मानव अभिकर्ता — छात्र, शिक्षक, प्रशासक तथा अन्य प्रतिभागी (स्टेकहोल्डर) अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि तथा दृष्टिकोणों के माध्यम से एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करते हैं। ये एक निश्चित सामाजिक-सांस्कृतिक तथा राजनैतिक अवस्थिति एवं चेतना के साथ अंतःक्रिया करते हैं। विद्यालय के बाहर का सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक परिवेश इस अंतःक्रिया को प्रभावित करता है। प्रस्तुत इकाई में उक्त गतिशीलताओं के संदर्भ में व्याप्त विमर्शों की समझ प्राप्त की जायेगी। एक लोकतांत्रिक शिक्षक को एक विद्यालय विशेष में शिक्षक होने तथा शिक्षण को सम्पादित करने की सीमाओं की समीक्षायी समझ तथा उनको

शिक्षाशास्त्रीय सम्भावनाओं में रूपांतरित करने की अपरिहार्यता एवं विकल्पों का बोध कराया जाएगा।



3.2 उद्देश्य

इस इकाई के माध्यम से आप:

- विद्यालय को बच्चों के समाजीकरण के विस्तारित संस्था के रूप में वर्णित कर पाएँगे।
- बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में परिवार, समाज तथा विद्यालय के अंतर्निर्भरता, साझेदारी एवं अंतर्द्वन्द्वों को स्पष्ट कर पाएँगे।
- विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में समाजीकरण की प्रक्रिया को निर्मित करनेवाले क्रियाओं/प्रक्रियाओं एवं अन्य कारकों को रेखांकित कर पाएँगे।
- विद्यालय की गतिविधियों को प्रभावित करने में स्थानीय आर्थिक-राजनैतिक कारकों/परिस्थितियों के प्रभावों को व्यक्त कर पाएँगे।
- एक शिक्षक के रूप में उपरोक्त समझ के आधार पर उपयुक्त रणनीति बनाकर विद्यालयीय व्यवस्था में उसका प्रयोग कर पाएँगे।



3.3 पूर्व अनुभव

पिछली दो इकाइयों में हमने बच्चे से सम्बंधित वैसे पहलुओं का अध्ययन किया, जिनको लेकर वे विद्यालय में आते हैं। अतः उन इकाइयों की समझ का अनुभव आपको इस इकाई को समझने में काम आएगा। इसके साथ ही, आपको स्वयं अपनी शिक्षा के दौरान विद्यालय का एक विशिष्ट अनुभव हुआ होगा। उसका प्रयोग भी आप इस इकाई के विभिन्न अवधारणाओं को समझने में जरूर करें।

3.4 शिक्षा, विद्यालय तथा समाज : अंतर्सम्बंधों की पड़ताल

अपने एक रूप में विद्यालयी शिक्षा, वयस्कों द्वारा बच्चों तथा बचपन के परिसर में एक सकारात्मक हस्तक्षेप है और परवर्ती समाजीकरण का सशक्त माध्यम है। आगे के विभिन्न दृष्टान्तों के माध्यम से हम विद्यालयी शिक्षा और इसके समाजीकरण की प्रक्रिया का विश्लेषण करेंगे।



(दृष्टान्त : 3.4-अ)

मटुकपुर गाँव के उत्तर-पश्चिमी छोर पर तारकनाथ का परिवार रहता था। तारकनाथ के परिवार में पत्नी, तीन बच्चों के आलावा वृद्ध पिता श्री वंशीधर रहते थे। बड़ी बेटी सरला 13 वर्ष की, मझला बेटा मंटू 11 वर्ष का तथा सबसे छोटी बेटी रुपा 9 वर्ष की थी। उनके घर के बाहर एक नीम का पेड़ था जहाँ उनकी बड़ी बेटी सरला बोरा बिछाकर पढ़ाई कर रही थी; वही उनके दोनों भाई-बहन आपस में झगड़ा कर रहे थे। शोर-शराबा सुनकर उनकी माँ शांति घर के काम को छोड़ कर बच्चों को फटकार लगाने लगी और दोनों को अपने दीदी की तरह काम करने को कहकर वापस चली गई। फिर भी बच्चे झगड़ते रहे। बड़ी बेटी सरला ने भी दोनों बच्चों को शांत करने की कोशिश की लेकिन झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा था। तभी बच्चों के पिता तारकनाथ जो सुबह-सुबह टहलने गए थे, वापस आ गए। उन्होंने बच्चों से झगड़े का कारण पूछा। छोटी बेटी अपने बड़े भाई मंटू से

पेन्सिल माँग रही थी, लेकिन वह देने को तैयार नहीं था क्योंकि पेन्सिल उसकी थी। पिता ने समझाया अगर पेन्सिल उसकी है तो भी वो अपनी छोटी बहन को दे दे। तो मंटू ने तुरंत जबाब दिया — मैं नहीं दूँगा। मैं ना इससे कुछ लेता हूँ और ना ही इसको कुछ दूँगा। बीच माँ शांति आयी और झल्लाहट में अपने पति से कहा — ना जाने भगवान ने तरह-तरह के बच्चे क्यों बनाए हैं। देखो सरला अपना काम मन लगाकर करती है, घर के कामों में भी मदद करती है। इसका तो किसी से बनता ही नहीं है ना जाने इसके दिन कैसे कटेंगे। आज 11 साल का है कल बड़ा होगा, पढ़ने के लिए बाहर जायेगा, अपना घर परिवार होगा तो सभी जगह इसको दूसरे के मदद की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसके इस व्यवहार से कौन इसे मदद करेगा। तारकनाथ ने कहा — इसके शिक्षक और विद्यालय के दोस्त भी ऐसा ही कह रहे थे। विद्यालय में भी यह किसी से सहयोग नहीं करता, पता नहीं विद्यालय में क्या सीखता है? तभी शांति कहने लगी कि इस रूपा को भी कम ना समझो, एक नंबर की लड़ाकन है यह। अपना पेन्सिल कहीं फेंक दिया और मंटू से लड़ रही है। इतना ही नहीं, मैंने कहा कि तुम बड़ी हो गई हो घर के छोटे-छोटे कामों में हाँथ बटाओ तो उसने सीधे जवाब दे दिया कि हमें दीदी की तरह नहीं बनना, मैं तो पापा की तरह बाहर का काम करूँगी। यह कहती है कि मंटू घर का काम क्यों नहीं करता? यह तो मुझसे बड़ा है। शांति कि बात पर तारकनाथ ने कहा — यह लड़की है, इसे समझाओ नहीं तो समाज में लोग क्या कहेंगे। रूपा ने तपाक से जवाब दिया — विद्यालय में शिक्षिका कहती है कि समाज लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार करता है। उन्हें केवल घर का काम करने को कहता है। इसलिए मुझे जो अच्छा लगेगा करूँगी। मैं घर का काम नहीं करूँगी।

दोनों पति पत्नी बच्चों को अच्छी आदतें, व्यवहार और सबसे मिलजुल कर रहने एवं अनुशासन की बात सिखा रहे थे तथा उन्हें पढ़ाई-लिखाई की अहमियत भी बात बता रहे थे कि पढ़ाई से सोचने-समझने की क्षमता विकसित होती है और अपना जीवन बेहतर बन सकता है। परन्तु बच्चों पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। इसी बीच बच्चों के दादा आ गए। उन्होंने भी सरला की प्रशंसा की परन्तु शेष दोनों बच्चों के बारे में शिकायत किया कि ये पढ़ते-लिखते नहीं हैं, पता नहीं आज के युग में क्या करेंगे? तारकनाथ ने कहा—जो नहीं पढ़ेंगे

वो मूर्ख बने रहेंगे, कौन पूछेगा इन्हें। तारकनाथ के पिता ने कहा—विद्यालय जा कर भी ये संस्कार व व्यवहार नहीं सीख रहे हैं पढ़ाई का मतलब नहीं समझ रहे हैं। देखा नहीं हमारी जाति में जो पढ़े—लिखे लोग हैं उनकी कितनी प्रतिष्ठा है और वे क्षेत्र के सम्मानित लोगों व अधिकारियों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत व बहस भी करते हैं। इसी बीच शांति ने बच्चों से कहा कि अब विद्यालय जाने में देर हो रही है, जल्दी तुमलोग बैग उठाओ और विद्यालय जाओ। यह सुन कर बच्चे शीघ्रता से विद्यालय की ओर प्रस्थान किये। रास्ते में उन्होंने कुछ कुत्तों को लड़ते हुए देखा। बस क्या था। मंदू व रुपा ने उन्हें ईंट-ढेलों से मारना शुरू कर दिया। सरला उन्हें रोक रही थी, परन्तु वे उसकी नहीं सुन रहे थे। 25-30 वर्ष के कुछ युवकों की नजर उन पर पड़ी तो उन्होंने बच्चों को ऐसा करने से रोका और उन्हें कहा कि तुमलोग यह क्या कर रहे हो? किसी जीव को परेशान करना ठीक बात नहीं है। तुम अपनी दीदी की भी बात नहीं मानते? तुम लोगों को विद्यालय जाने में भी देर हो रही है, विद्यालय जाओ। लेकिन बच्चों ने उसे अनसुना कर दिया और ढेला मारना जारी रखा। किसी तरह समझा-बुझा कर व शिक्षा के महत्व की बात कर उन युवकों ने बच्चों को विद्यालय की ओर भेजा।

विद्यालय के ठीक पहले एक बरगद के पेड़ के नीचे 8-10 लोग बैठे हुए थे। कुछ ताश खेल रहे थे तो कुछ देख रहे थे। अचानक अब्दुल की नजर उन बच्चों पर पड़ी। उसने बच्चों से देर होने की वजह पूछी। तभी अन्य लोगों का भी ध्यान उन बच्चों पर गया। उनमें से एक ने कहा—अरे ये तो तारकनाथ के बच्चे हैं। बड़ी वाली तो ठीक है, लेकिन ये दोनों तो बहुत बदमाश हैं। यह लड़का तो बिलकुल अपने पिता से अलग है। इसकी किसी से पटती ही नहीं है। यह सबके साथ झगड़ा करता है। हमारे बच्चे बताते हैं कि यह किसी से कोई भी चीज बांटना ही नहीं चाहता। दो-तीन लोगों ने भी इस बात का समर्थन किया। दूसरे ने कहा कि यह छोटी तो क्रान्तिकारी है। यह सबका जवाब देती है, जब भी इसे कुछ समझाओ तो उसका उल्टा करती है। तभी किसी ने कहा अरे भाई तुम लोग यह क्या लेकर बैठे हो? जाने दो, बच्चों को विद्यालय जाने में देर हो रही है ये बच्चे विद्यालय में ही सुधर पाएँगे। अच्छा बच्चों अब तुमलोग जाओ। बच्चे विद्यालय की ओर बढ़ गए।

विमर्श के बिन्दु :

- उपरोक्त दृष्टांत में तीन बच्चों को दर्शाया गया है। जो बच्चे व बचपन के संदर्भ में पायी जाने वाली विविधता के तीन भिन्न रूप हैं। आप अपने बचपन को किस रूप के करीब पाते हैं?
- समाज की दृष्टि से बच्चों की देखभाल व विकास हेतु जिन व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा प्रभाव डाला जाता है, उनका उल्लेख करें।
- उपरोक्त दृष्टांत में तीनों बच्चों के सामाजिक व्यवहार/अभिमुखता के संदर्भ में प्रचलित माता-पिता, बड़े बुजुर्ग तथा समुदाय के मान्यताओं, दृष्टिकोणों, मूल्य-निर्धारण व संवेदनशीलता को रेखांकित करें तथा विद्यालय में उनके समायोजन से सम्बंधित मुद्दों एवं संभावनाओं का दृष्ट्यावलोकन करते हुये अपने विचार प्रस्तुत करें।
- आप कहाँ तक सहमत हैं कि बच्चों में समाजीकरण हेतु माता-पिता, परिवार, आस-पड़ोस, बड़े बुजुर्गों व विद्यालय के समाकलित प्रयासों की आवश्यकता है ?



क्रियाकलाप

- अपने आस-पास तथा विद्यालय के बच्चों को उपरोक्त दृष्टांत में दर्शाये गये बचपन के तीन रूपों के अनुरूप सूचीबद्ध करें व रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(दृष्टांत : 3.4-ब)

सहरसा जिले के पंचगछिया गाँव के मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक व अध्यापकों के बैठक में तय हुआ कि बच्चों के सीखने-समझने के स्तर में सुधार व उन्नयन के लिए अभिभावकों की सहायता ली जाय।

इन्हीं दिनों स्कूल में बच्चों की छात्रवृत्ति भी वितरित होनी थी। यह तय हुआ की छात्रवृत्ति देने के लिए सभी अभिभावकों को एक ही दिन बुलाया जाय और उस दिन बच्चों की छात्रवृत्ति भी वितरित की जाय और लगे हाथ बच्चों के विषय में भी बात हो जायेगी। बैठक की तिथि व समय की सूचना सभी अभिभावकों तक पहुँचाई गयी। बैठक के दिन 9 बजे से ही अभिभावक विद्यालय में आने शुरू हो गए। प्रवेश करते ही उनकी मुलाकात 2-3 शिक्षकों से हो गयी जो शायद अभिभावकों के स्वागतार्थ ही वहाँ खड़े थे। बैठक लगभग 9:30 बजे से प्रारम्भ होनी थी। 9:45 तक सभी अभिभावक सभा कक्ष में आ गए। प्रधानाध्यापक, मुखिया, सरपंच तथा अन्य शिक्षाप्रेमियों का इंतजार हो रहा था। 9:50 तक सभी लोग आ गए। बैठक प्रधानाध्यापक के स्वागत भाषण से प्रारम्भ हुई। प्रधानाध्यापक ने बच्चों की अनुपस्थिति, उनके द्वारा गृहकार्य ना करना, बच्चों की शैक्षिक प्रगति, विद्यालय में अभिभावकों के सहयोग तथा विद्यालय में स्वच्छता आदि मुद्दा प्रस्तुत किया; साथ-साथ सभी अभिभावकों व अन्य प्रतिभागियों से अपील की कि वे खुलकर अपने मुद्दे, समस्याएँ व विचार रखें। बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रारम्भ हुई लेकिन जैसे-जैसे बात आगे बढ़ी, अभिभावकों का समूह लगभग 3 उपसमूहों में विभाजित हो गया। एक उपसमूह के लोग विनम्रतापूर्वक अपनी बातें रख रहे थे तथा विद्यालय को हर आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिये अपनी तत्परता जता रहे थे। दूसरा उपसमूह भी विनम्रता से अपनी बात रख रहा था लेकिन उतनी रुचि से नहीं। प्रधानाध्यापक व अन्य अध्यापकों की बातों से यह पता लगा कि इनके बच्चे 15-20 दिनों में 1 या 2 दिन ही स्कूल आते हैं। बैठक में ये फुसफुसाहट भी थी की इनके बच्चे प्राइवेट विद्यालयों में भी पढ़ते हैं। तीसरा उपसमूह जो की लगभग 40 प्रतिशत अभिभावकों का था के सदस्य विद्यालय के विभिन्न समस्याओं पर सवाल कर रहे थे - मसलन, विद्यालय का अधिकांश समय खिचड़ी बनाने और खिलाने में चला जाता है, बच्चों को लिखने-पढ़ने नहीं आता, शिक्षक केवल गप्प करते हैं, कक्षाएँ खाली जाती हैं, शिक्षक भेदभाव भी करते हैं; बच्चों के सामने झगड़ा भी करते हैं। शिक्षकों ने भी आरोप लगाया आपके बच्चों में पढ़ने का संस्कार नहीं है, आप अपने बच्चों पर समय नहीं देते, आप इनसे घर का काम कराते हैं आदि-आदि। इस तरह अभिभावकों का यह उपसमूह सभी लोगों के सामने झगड़ने लगा। प्रधानाध्यापक और मुखिया जी ने किसी तरह सभी को शांत कराया।

बैठक के अंत में मुखिया जी ने सभी को सम्बोधित करते हुए कहा की शिक्षक और अभिभावक दोनों अपनी जिम्मेदारियाँ बच्चों के प्रति समझें और विद्यालय के उभरे इन मूलभूत मुद्दों का हल निकालने का प्रयास करें और स्कूल में अच्छी पढ़ाई—लिखाई हो ऐसा वातावरण बनाएँ। अंत में धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव के बाद सभी को चाय पर आमंत्रित किया गया और अभिभावकों से कहा गया कि वे अपने बच्चों की छात्रवृत्ति प्राप्त करें।

विमर्श के बिन्दु :

- उपरोक्त दृष्टांत में विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा शिक्षकों द्वारा बच्चों व अभिभावकों के प्रति व्यक्त दृष्टिकोणों व मुद्दों की सूची बनाएँ।
- उपरोक्त दृष्टांत में अभिभावकों द्वारा विद्यालय के प्रति व्यक्त दृष्टिकोणों व मुद्दों की सूची बनायें।
- दोनों सूचियों का मिलान करते हुये विद्यालय/शिक्षक तथा समुदाय/अभिभावक के मध्य अंतःक्रिया की विवेचना सहयोगात्मक, विरोधात्मक व तटस्थ संबंधों के आलोक में करें। एक शिक्षक के रूप में विद्यालय तथा अभिभावकों के बीच विरोधात्मक व तटस्थ दृष्टिकोणों/प्रवृत्तियों को शैक्षिक रूप में उर्वर संभावनाओं में तब्दील करने के लिये आप किस प्रकार की रणनीति अपनाएँगे।
- जब आप स्वयं विद्यालय में एक विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर रहे थे, उस समय विद्यालय तथा परिवार/समुदाय के बीच किस प्रकार के संबंध थे। वर्तमान में आप जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उसका परिवार/समुदाय के साथ संबंध पूर्व संबंध से किन मायनों में समान अथवा भिन्न है, स्पष्ट करें।



क्रियाकलाप

- अपने विद्यालय के 10 छात्र-छात्राओं के अभिभावकों से उनके बच्चों से संबंधित शैक्षिक व व्यवहारगत समस्याओं के संदर्भ में जानकारी लेकर उसकी सूची बनाएँ। अभिभावक विद्यालय व शिक्षकों को इसके लिये किन-किन बिंदुओं पर दोषी मानते हैं, उसकी भी सूची तैयार करें।

(दृष्टांत : 3.4—स)

बिहार में गंडक नदी के किनारे गौसियाँ नाम का एक गाँव है। गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय है। उस विद्यालय में रमेश बाबू नये प्रधानाध्यापक बन कर आये। रमेश बाबू जब कार्यभार ग्रहण करने हेतु विद्यालय गए तब विद्यालय की दुर्दशा देखकर अत्यंत दुखी हुए। बरसात का दिन था। विद्यालय भवन जो देखने से तो लगता था कि हाल ही में बन कर तैयार हुआ है परन्तु भवन के कई हिस्सों से बरसात का पानी लगातार टपक रहा था। और तो और विद्यालय भवन का एक हिस्सा बरसात के पानी के लगातार रिसने से बहराकर गिर गया था। नव निर्मित चहारदीवारी भी कई जगहों से टूटी हुई थी और उसकी ईंटें भी वहाँ से नदारत थीं। वहाँ के शिक्षक दीनानाथ से पूछने पर पता चला कि बीते जाड़े में ही भवन बन कर तैयार हुआ था। उस समय के प्रधानाध्यापक, मुखिया जी, विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष, बी. ई. ओ. साहब तथा गाँव के कुछ दबंग लोगों के बीच काफी कहासुनी हुई थी। लेकिन पता नहीं कैसे यह सब मामला शांत हो गया। दीनानाथ से यह भी पता चला कि विद्यालय में वैसे तो करीब दो सौ छात्रों का नामांकन है परन्तु सिर्फ दक्खिन टोला के ही बच्चे पढ़ने आते हैं। बाकी के छात्रों का नाम तो विद्यालय में चलता है परन्तु वे पढ़ने के लिये रामनाथपुर बाजार के प्राइवेट विद्यालय में जाते हैं। रमेश बाबू ने लंबी साँस लेते हुए विद्यालय परिसर की ओर देखा। पूरा परिसर उबड़-खाबड़ व झाड़-झंखाड़ से भरा हुआ था। सभी छात्र लगातार टपकते हुए पानी से बचने के लिये भवन के एक कोने में

सटके हुए थे। मैले-कुचैले कपड़ों में बरसात के पानी की तरह बहते हुए नाक को शर्ट की बाँह से पोछते हुए बच्चे दीवार के किनारे जाने के लिये आपस में झगड़ रहे थे। कमरे के अंदर टपकते हुए पानी से बचने के लिये छाता लगाये रमेश बाबू अपने बचपन की यादों में खो गए। उन्हें याद आया की एक बार जब बरसात में उनकी कक्षा चल रही थी और कमरे में एक जगह से पानी टपकने लगा था तो कैसे यह खबर गाँव में पहुँचते ही लोगों ने सीमेंट, बालू, ईटें आदि जुटायी और पूरन राजमिस्त्री व अन्य लोगों ने उसे घर के काम से भी बड़ा काम मानते हुए ठीक किया। उन्हें यह भी याद आया कि विद्यालय को सुन्दर बनाने के लिये उनके दादा, गाँव के अन्य लोग व सारे छात्र किस प्रकार फूलों की क्यारियाँ बनाते थे, तरह-तरह के फूल लगाते थे। उस समय विद्यालय में सिर्फ थोथा ज्ञान ही नहीं दिया जाता था बल्कि बागवानी व खेती के गुरु भी सिखाये जाते थे। अगल-बगल के पेड़-पौधों व जीव-जन्तुओं से भी गहरे रिश्ते का बोध कराया जाता था। बरसात के दिनों में जब नदी में पानी भर जाता तब नाव चलाना भी सिखाया जाता था। हल्की-फुल्की बीमारियों में काम आने वाली जड़ी-बूटियों की पहचान व उनका प्रयोग भी बताया जाता था। गाँव की सफाई व सौंदर्यीकरण में भी मास्टर जी व सारे छात्र सहयोग देते थे। स्कूल में आम, जामुन, लीची, केला, अमरुद आदि के पेड़ लगे हुए थे। परन्तु उन पेड़ों पर लदे हुए फलों को गाँव का कोई भी व्यक्ति नुकसान नहीं पहुँचाता था। पकने के बाद वे सारे फिर छात्रों में बाँटे जाते थे। विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गाँव के लोग बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते थे। गाँव में होने वाले किसी भी बड़े काम में विद्यालय के शिक्षकों से जरूरी सलाह ली जाती थी। बच्चे यदि घर पर शराब करते तो घर के लोग यह कहते कि आदत सही कर लो नहीं तो इसकी शिकायत मास्टर साहब से की जाएगी। कैसे उस दौर में गाँव के जीवन से विद्यालय का तथा विद्यालय के जीवन से गाँव का गहरा रिश्ता था। पर हाय! आज.....। क्या हो गया है लोगों को? आज वे क्यों विद्यालय को अपना नहीं मान रहे हैं? अपने विचारों में गहरे डूबे हुए रमेश बाबू को मास्टर दीनानाथ ने जैसे अचानक जगा दिया। दीनानाथ ने कहा की बरसात के कारण बच्चे काफी परेशान हैं। आज 'रेनी डे' घोषित कर बच्चों की छुट्टी कर दीजिए। रमेश बाबू ने हामी में सिर हिलाया। छुट्टी हो गयी बच्चे बोरे से सिर ढकते हुए घर की ओर भागे। रमेश बाबू भी भारी मन से घर की ओर चले।

घर पर भी रमेश बाबू विद्यालय की दशा के बारे में सोचते रहे। रात बड़ी बेचैनी में बीती। लेकिन उन्होंने एक संकल्प किया कि वो विद्यालय और गाँव के गहरे रिश्ते को फिर से जीवित करेंगे। अगले दिन इस संकल्प के साथ उन्होंने विद्यालय के शिक्षकों की एक बैठक बुलाई। लेकिन ज्यादातर शिक्षक वैसे थे जो यह मान बैठे थे की यह स्थिति सुधर नहीं सकती। परन्तु रमेश बाबू ने उनसे असहमति जताते हुए विश्वास के साथ एक रणनीति बनाई कि बच्चों की छोटी-छोटी टोलियाँ बनाई जाय और उन्हें गाँव के विभिन्न लोगों के पास भेज कर विद्यालय के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाने की अपील की जाय। टोलियाँ बनाई गयी, प्रत्येक टोली का नेतृत्व एक-एक शिक्षक को सौंपा गया। टोली ने अपना कार्य किया और कार्य के दौरान उभरे मुद्दों की चर्चा रमेश बाबू से की। टोलियों ने बताया कि लोगों ने मुख्यतः तीन प्रकार से प्रतिक्रियाएँ दी। कुछ लोगों ने सहयोग से सीधे मना कर दिया और कहा की उनके बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ते हैं, उन्हें इस सरकारी विद्यालय से क्या काम? कुछ लोगों ने विद्यालय में हुए भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए विरोधी स्वर अपनाये और कहा कि इस प्रकार के फालतू कामों से कुछ नहीं होने वाला है। आपका काम पढ़ाना है ना की समाज सुधार और हमारे बच्चों से भी यह फालतू काम मत कराइए। परन्तु कुछ लोग ऐसे भी मिले जो बहुत उत्साहित होकर सहयोग की इच्छा व्यक्त किये।

टोलियों द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर रमेश बाबू ने सहयोग की इच्छा रखने वाले लोगों, विद्यार्थियों व शिक्षकों की मदद से विद्यालय की सफाई कराई, उबड़-खाबड़ व झाड़-झंखाड़ से भरे परिसर को ठीक कराया। सुंदर फूलों, पौधों व फलदार पेड़ों को लगवाया। गाँव के कुछ राजमिस्त्रियों से सहयोग की प्रार्थना की व चंदा जुटाकर निर्माण सामग्रियाँ लायी गयी। विद्यालय भवन ठीक कराया गया। लेकिन रमेश बाबू इतने से संतुष्ट नहीं हुए। वे चाहते थे की विद्यालय भी गाँव के लिये कुछ योगदान दे सके। वे समस्त सहयोगियों के साथ गाँव में फैली गन्दगी व जल-जमाव की समस्या को दूर करने में जुट गए। इससे प्रेरित होकर अन्य लोग भी जो प्रारम्भ में विरोधी व तटस्थ भाव रख रहे थे पूरे मनोयोग से सहयोग हेतु आ गए। ऐसा लगने लगा की विद्यालय व पूरा गाँव एक ही परिवार है और अब पूरा परिवार

एकजूट होकर सबके बेहतरी की दिशा में चल रहा है। रमेश बाबू के चेहरे पर मुस्कान लौट आयी।

विमर्श के बिन्दु :

- उपरोक्त दृष्टांत में विद्यालय तथा समुदाय के बीच संबंध को जीवन्त बनाने में प्रधानाध्यापक द्वारा अपनायी गयी रणनीति की एक अध्यापक के रूप में समीक्षा करें।
- उपरोक्त दृष्टांत में विद्यालय की बेहतरी हेतु प्रधानाध्यापक के प्रयासों के संदर्भ में सामुदायिक असहयोग के कारणों व तर्काधारों की विवेचना करें।
- एक अध्यापक के रूप में आप विद्यालय व समुदाय के बीच विश्वासपरक साझेदारी को अधिक उर्वर बनाने के लिये कौन-कौन सी रणनीतियाँ अपनाएँगे।
- विद्यालय 'समाज का', 'समाज के लिये' तथा 'समाज के द्वारा' है। इस उक्ति की व्याख्या अपने संचालित सामुदायिक कार्यों की वांछनीयता के संबंध में करें।



क्रियाकलाप

- अपने आस-पड़ोस के बुजुर्गों से उनके दौर के विद्यालय और समाज के अंतर्संबंधों को स्पष्ट करने वाले दस दृष्टान्तों का संग्रह करें तथा उसके प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित करें।

विषय-वस्तु की समझ :

हम पहली इकाई में यह चर्चा कर चुके हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया मुख्यतः दो चरण हैं — प्राथमिक तथा परवर्ती। प्राथमिक चरण पर

माता-पिता, परिवार, आस-पड़ोस तथा समुदाय जहाँ समाजीकरण के मुख्यतः सरल पक्ष से संबंधित हैं वहीं परवर्ती स्तर पर विद्यालय, धर्म व राज्य समाजीकरण के मुख्यतः जटिल पक्ष से संबंधित हैं। चूँकि समाज जटिल समग्र है, अतः उच्च स्तर के समाजीकरण हेतु समाज ने संचित ज्ञान, समझ, व्यवहार, भाव, आस्था व विश्वास की शिक्षा दिये जाने के लिये विद्यालय नामक संस्था को निर्मित किया जहाँ अध्ययन कर बच्चे समाज की विभिन्न जटिलताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने में दक्ष बन सके। इस प्रकार एक संस्था के रूप में शिक्षा व विद्यालय मूलतः उच्च स्तर के समाजीकरण के बड़े दायित्व का निर्वहन करते हैं, साथ ही समाज के रीति-रिवाजों, मान्यताओं व मूल्यों आदि को संशोधित, निर्मित व पुनर्निर्मित भी करते रहते हैं। इस प्रकार शिक्षा व विद्यालय तथा समाज के मध्य परस्पर पूरकता का संबंध है।

आपने ऊपर दिये गए तीन दृष्टान्तों का अध्ययन किया, उससे संबंधित विमर्श के बिंदुओं पर चिंतन किया तथा दिये गए क्रियाकलापों के माध्यम से वास्तविक परिस्थिति में शिक्षा, विद्यालय तथा समाज के अंतर्संबंधों के बारे में अपनी समझ विकसित की। पहले दृष्टान्त में आपने देखा कि बालक-बालिकाओं जिनका समाजीकरण हो रहा है, में समाज के अनुरूप व्यवहार करने वाली बड़ी बेटी सरला को सामाजिक स्वीकृति मिली है जबकि तटस्थ रहने वाले मझले बेटे मंटू तथा विरोधी स्वर वाली छोटी बेटी रुपा की हर जगह आलोचना हो रही है। सारे लोग मंटू व रुपा के व्यवहार में सुधार की निरंतर शिक्षा दे रहे हैं। इन तीन पात्रों के माध्यम से आपने यह देखा कि समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान बालक-बालिकाएँ मुख्यतः तीन प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं— सहयोगपरक अनुकूलन, तटस्थ भाव तथा विरोधी प्रतिक्रियाएँ। समाज में सहयोगपरक अनुकूलन प्रशंसित होता है। जबकि तटस्थ भाव व विरोधी प्रतिक्रियाएँ हतोत्साहित की जाती हैं व उनके व्यवहार परिवर्तन का निरंतर प्रयास किया जाता है। साथ ही समुदाय की यह भी आस्था है कि विद्यालय में ही उनके व्यवहार का समुचित रूपांतरण हो पायेगा। इस प्रकार समुदाय विद्यालय को समाजीकरण की उच्चकृत संस्था के रूप में देखता है।

दूसरे दृष्टान्त में आपने यह देखा कि समाजीकरण के दायित्व को किस प्रकार विद्यालय व समुदाय एक दूसरे पर थोप रहे हैं। समुदाय बच्चे को विद्यालय भेज कर ही अपने कर्तव्यों की पूर्णाहुति मान लेता है, जबकि विद्यालय जो तमाम कारणों से अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से नहीं निभा

पा रहा है, समुदाय से भरपूर सहयोग चाहता है। इस दृष्टान्त में भी समुदाय के तीन प्रकार के दृष्टिकोण सामने आते हैं— सहयोगी, तटस्थ व विरोधी। सहयोगी समूह की आस्था है कि समाजीकरण समुदाय और विद्यालय के सम्मिलित प्रयास से ही संभव है जबकि तटस्थ समूह उस विद्यालय को अपना मानता ही नहीं है क्योंकि उनके बच्चे प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ते हैं और उनका संबंध विद्यालय से सिर्फ वजीफा व अन्य सुविधाएँ प्राप्त करने तक का है। वही विरोधी समूह सारी कमियों के लिये सिर्फ विद्यालय को जिम्मेदार मानता है और अपने उत्तरदायित्व से भागता है। यहाँ यह बात समझना होगा कि विद्यालय व समाज दोनों के सम्मिलित प्रयास ही समाजीकरण की प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं।

तीसरे दृष्टान्त के माध्यम से आपने यह महसूस किया कि किस प्रकार आज का समाज विद्यालय के प्रति असंवेदनशील हो गया है; वह विद्यालय (खासकर सरकारी विद्यालय) को अपना नहीं मान रहा है। विद्यालय की व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहयोग प्रदान करने की बजाय उसे क्षति पहुँचाने की बढ़ती प्रवृत्ति को भी आपने महसूस किया होगा। दृष्टान्त के माध्यम से बुजुर्गों के समय के विद्यालय और समुदाय के गहरे रिश्ते को भी आपने समझा होगा। पहले समुदाय विद्यालय को यह जताता था की विद्यालय उसका अपना है परन्तु आज विद्यालय को यह सिद्ध करना पड़ रहा है कि वह समुदाय का, समुदाय के लिये व समुदाय द्वारा है। आपने दृष्टान्त में यह भी पढ़ा की एक संस्था के रूप में शिक्षा, शिक्षायी विषय, व्यवस्थाओं व आयोजनों में प्रकृति, परिवार व समुदाय के साथ गहरे रिश्ते के विकास के लिये जगह बुजुर्गों के समय के विद्यालयों में तो थी परन्तु आप अनुभव कर रहे होंगे कि आज के शिक्षायी व्यवस्थाओं में अपने अगल-बगल के पेंड़-पौधों, पशु-पक्षियों, जीव-जन्तुओं, नदी-नालों व प्राकृतिक विविधताओं तथा अपने आस-पड़ोस के लोगों से जुड़ाव व उनके प्रति प्रेम-संवेदना के लिये पर्याप्त अवसर नहीं है। अतः एक संस्था के रूप में शिक्षा व विद्यालय की समाज के प्रति भूमिका के संदर्भ में वर्तमान विद्यालयीय व्यवस्थाओं का अवलोकन व तदनुरूप सुधार आवश्यक है। वहीं समाज को भी विद्यालय के प्रति उसकी भूमिकाओं के संदर्भ में जागरूक बनाने की जरूरत है। शिक्षायी विषयों में प्रकृति व समाज से जुड़ाव के अवसर देने, विद्यालयीय आयोजनों में उसको व्यवहार में लाने तथा समाज के हार्दिक सहयोग के माध्यम से ही समाजीकरण की प्रक्रिया बेहतर संचलित हो सकती है। परन्तु आवश्यक यह भी है कि समाजीकरण की प्रक्रिया

लोकतांत्रिक हो; उसमें तमाम मतों, विचारों, भावनाओं व संवेदनशीलताओं के लिये भी कहीं ना कहीं स्थान हो फिर चाहे वह उन बच्चों द्वारा ही क्यों ना दिया गया हो जो उस समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं।



क्रियाकलाप

- विद्यालयी शिक्षा और समाज के बीच कें विभिन्न अंतर्सम्बंधों को अपने कई दृष्टांतों के माध्यम से समझा। आप अपने अनुभव से कुछ दृष्टांतों को स्वयं लिखें और अध्ययन केन्द्र पर साथियों के साथ साक्षा करें।
- विद्यालयी शिक्षा को समाज किस प्रकार प्रभावित करती है और समाज को विद्यालय में चलनेवाली शिक्षा कैसे प्रभावित करती है, दोनों से सम्बंधित कुछ उदाहरणों को प्रस्तुत करें।
- आपके विद्यालय में शिक्षा के बारे में आस-पास के समुदाय के लोगों का क्या दृष्टिकोण है, यह आपके विद्यालय और समुदाय के अंतर्सम्बंधों को समझने में बहुत कारगर होगा। अतः समुदाय के कुछ लोगों का साक्षात्कार लेकर उसका विश्लेषण करें।

3.5 विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया- विभिन्न कारकों की भूमिका व प्रभावों की समझ

विद्यालय में चलनेवाली समाजीकरण की प्रक्रिया में विभिन्न कारकों की जटिल भूमिका होती है। इन कारकों का प्रभाव केवल बच्चों पर ही नहीं बल्कि समूचे समाज पर परोक्ष रूप से पड़ता है। आईए, विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया को निम्नलिखित दृष्टांतों के माध्यम से समझने की कोशिश करें।



(दृष्टान्त : 3.5-अ)

रामपुर का उत्कृष्ट मध्य विद्यालय रोज की तरह 8 बजे सुबह प्रारम्भ हुआ। प्रार्थना प्रारम्भ हुई। सभी बच्चे, कक्षावार, पंक्तिबद्ध खड़े होकर प्रार्थना में भाग ले रहे थे। जैसे-जैसे प्रार्थना आगे बढ़ रही थी कुछ बच्चे अधीर हो रहे थे। रेनू और समिता आपस में फुसफुसाते हुए कुछ बात कर रहे थे। वहीं पंक्ति के पीछे के कुछ बच्चे प्रार्थना में चुपचाप खड़े थे तथा गाने में भाग नहीं ले रहे थे। कुछ बच्चे गर्मी से परेशान होकर गिर रहे थे। कुछ शिक्षक इन बच्चों को छाया में ले जा रहे थे। इसी बीच पी० टी० शिक्षक श्रीमती मंजू की नज़र बात करते हुए रेनू और समिता पर पड़ी तो उन्होंने दोनों को डाँटते हुए प्रार्थना में भाग लेने का निर्देश दिया। साथ ही 'बिहार गीत' समाप्त होने के बाद समस्त बच्चों को सावधान होने का आदेश देकर प्रार्थना में एकाग्रता के साथ भाग लेने के बारे में बताने लगी। हालांकि प्रार्थना में भी उत्तर पश्चिम कोने पर खड़े दो तीन शिक्षक आपस में बात करते हुए हँस रहे थे। प्रार्थना खत्म होने के बाद बच्चे अपने-अपने कक्षा की तरफ बढ़े। रास्ते में बच्चों के बीच धूप में बच्चों के गिरने, रेनू और समिता को मिली फटकार तथा मंजू मैम के द्वारा सभी बच्चों को अनुशासित रहने के सलाह पर छोटे-छोटे समूहों में बात हो रही थी। बच्चे रास्ते

में मिलने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं का अभिवादन भी कर रहे थे। जिसमें कुछ शिक्षक जवाब देते और कुछ बिना बोले या बिना किसी जवाबी मुद्रा के आगे बढ़ते जा रहे थे। कक्षा प्रारम्भ हुई। शिक्षिका ने उपस्थिति लिया तथा गणित का शिक्षण कार्य शुरू हुआ। शिक्षिका ने एक सवाल श्यामपट्ट पर लिखकर बच्चों को हल करने के लिये कहा और कोई दूसरा व्यक्तिगत कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। बच्चे आपस में बात करने लगे और लड़ने लगे। तभी राजू को गिरने से चोट लगी। शिक्षिका का ध्यान उस तरफ गया।

उसने राजू को डाँटना प्रारम्भ कर दिया। तब कक्षा मानिटर ने नम्रतापूर्वक हस्तक्षेप करते हुए कहा कि-मैडम-मैडम ! यह गलती सौरभ की है। शिक्षिका ने सौरभ को भी डाँटा और दोनों को बैठने को कहा। शिक्षिका के जाने के बाद बच्चों के बीच बातचीत होने लगी। बातचीत का बिंदु मैडम का कक्षा में खड़ा होने की स्थिति थी। ब्रजेश कह रहा था कि मैडम बोर्ड पर लिख कर बोर्ड के ही सामने खड़ी हो जाती हैं। उसपर राकेश ने कहा - तुम तो मैडम से ऐसे ही चिढ़ते हो। इस पर राखी ने कहा - हाँ ! तुम सही कह रहे हो। मैडम बहुत अच्छी हैं। वह स्मार्ट लगती हैं। वो जब सामने खड़ी होती हैं तो उनके खड़े होने का तरीका हम को बहुत अच्छा लगता है। इस पर शुभा ने कहा - वाकई मैडम अच्छी हैं। कक्षा के बाहर भी मिलने पर वह प्यार से सर पर हाथ रखती हैं और हालचाल भी पूछती हैं। इस पर धीरज ने कहा - मैडम तुम सब लड़कियों को प्यार करती हैं; लड़कों को तो केवल डाँटती ही हैं। इसपर गुलशन ने कहा - मैडम से अच्छी कोई भी शिक्षिका इस विद्यालय में नहीं है। मैं तो बड़ी होकर उन्हीं की तरह बनना चाहूँगी। इस पर एक लड़की ने कहा - तुमको उनमें क्या अच्छा लगता है ? इस पर गुलशन ने कहा - मुझे उनका कपड़ा पहनना, उनके बात करने का तरीका तथा कक्षा के बाहर भी बच्चों से प्यार करना यह सब अच्छा लगता है। इस पर शोभित ने कहा-हाँ, मैडम खाली घंटी में कुछ न कुछ पढ़ती रहती हैं। कभी किसी से गप्पें मार कर समय बर्बाद नहीं करती। इस पर एक लड़का संजय ने कहा - हाँ तुम बिलकुल सही कहती हो। मैडम बहुत अच्छी हैं सबको बहुत प्यार करती हैं। गुलशन ने कहा - ब्रजेश कहता है कि मैडम केवल बच्चों को डाँटती हैं। शोभित ने कहा - यह गलत कह रहा है। मैडम किसी को नहीं डाँटती। गलती करोगे तो समझाएँगी नहीं ? वर्ग के

लगभग सभी लड़कों ने शोभित की बात का समर्थन किया। इसी बीच अगली शिक्षिका का प्रवेश हुआ। इस घंटी के समाप्त होने के बाद अतुल अपने दोस्तों से बात कर उन्हें मना रहा था कि उसके एक – दो दोस्त सामने टूटी हुई बिल्डिंग में चलें क्योंकि कल उसका क्रिकेट बॉल वहाँ चला गया था; परन्तु वे तैयार नहीं हो रहे थे; क्योंकि पकड़े जाने पर डांट पड़ सकती है। एक लड़की ने भी इसका समर्थन किया। इसी बीच शिक्षिका आ गयी तथा कक्षा फिर से चलने लगी। फिर भोजनावकाश की घंटी बजी। सभी बच्चे बरामदे तथा खुले मैदान में शोर मचाते हुए जाने लगे। शिक्षक-शिक्षिकाएँ भी उस स्थान की ओर प्रस्थान किए। भोजन के लिये पांत लगी। सारे बच्चे पांत में बैठ गए। कुछ मैले कुचैले कपड़ों में, कुछ के नाखून बढ़े हुए। उनकी दशा को देखने से ही उनके आर्थिक व सामाजिक परिवेश का पता चल रहा था। कुछ बच्चों का समूह भोजन परोसने में शिक्षिकाओं की मदद कर रहा था। भोजन परोसते हुए वे बच्चे लगातार उन बच्चों को ज्यादा देना चाहते थे जो उनके मित्र थे या देखने में संभ्रांत दिखते थे। तभी एक बच्चे ने अपने बगल के बच्चे की थाली से कुछ निकालने का प्रयास किया। परिणामस्वरूप आपस में झगड़ा होने लगा कि इस बच्चे ने मेरे भोजन को हाथ लगा दिया; मैं तो खाना नहीं खाऊँगा। किसी तरह झगड़ा का निपटारा कर दिया गया।

भोजनावकाश खत्म हुआ और कक्षा की घंटी भी लग गई। परन्तु शिक्षक-शिक्षिकाओं का ध्यान इस ओर नहीं गया। वे अपने-अपने बातों में मशगूल थे। बातों का मुख्य विषय पैसों का निवेश, गाँव की राजनीति, खेती-बाड़ी, बढ़ती महंगाई आदि थी। यह रोज कि परंपरा हो गयी थी; शिक्षक-मंडली बातचीत में मशगूल रहती है तथा बच्चे खेलते या झगड़ते रहते हैं। इन दिनों शिक्षकों की बैठकी में राधा मैडम, पुष्पा मैडम, संतोष पासवान सर तथा जाफर सिद्दीकी सर भी बैठने लगे थे। ये शिक्षक पहले नहीं बैठते थे। लेकिन दूसरे सभी इन पर ताने दिया करते थे। कभी-कभी अकेले भी कर दिया करते थे। उधर बच्चे आपस में लड़ाई-झगड़ा कर रहे थे, कुछ मार-पीट कर रहे थे, कुछ गालियों का प्रयोग कर रहे थे। सातवीं-आठवीं पीरियड में दो बच्चे बात कर रहे थे। उनमें से एक कह रहा था-आज हमारे पास कुछ पैसे हैं, मैं घर से कुछ पैसे लाया हूँ, हम सब बाजार चलते हैं वहाँ वीडियो गेम खेलेंगे, कुछ खाएँगे पिएँगे। ये दोनों बच्चे और भी बच्चों जैसे नील,

मंटू, दिनेश, नीलिमा, पिकी, कौशल, शमीम, जावेद को भी ले जाना चाहते थे। इसमें से नीलिमा नहीं जाना चाहती थी। उसने कहा कि माँ ने मुझे मना किया है; हमें पढ़ाई करनी है। यह चर्चा चलती रही। अंत में बच्चों ने सोचा कि इनके समूह में रहने से बहुत सुविधाएँ मिलेंगी व मजा भी आएगा। यदि इनके साथ नहीं जायेंगे तो ये तंग करेंगे। यह सोच कर बच्चे जाने के लिये राजी हो गए।

दूसरी ओर प्रधानाध्यापक गाँव के एक व्यक्ति से चर्चा करने में व्यस्त थे। उसी बीच कक्षा में काफी कोलाहल होने लगा, घंटी समाप्त होने के 10 मिनट पहले प्रधानाध्यापक ने बच्चों के पास पहुँच कर कारण की पड़ताल करना चाहा। एक बच्चे ने कहा कि—सर हमलोगों के गेम की कक्षा है; और पी० टी० शिक्षक से बॉल माँगा जा रहा है तो वो दे ही नहीं रहे हैं। अभी यह बात चल ही रही थी कि गाँव का एक व्यक्ति काफी रोष में विद्यालय परिसर में प्रवेश किया। उसने बताया कि मेरा बच्चा तो विद्यालय आना ही नहीं चाहता है; बताता है कि शिक्षक मुझ से साफ़-सफाई का काम तो करवाते हैं; परन्तु जब पानी देने, चॉक देने या बैठने की बात होती है तो, वे हमेशा भेदभाव करते हैं; मेरा मन विद्यालय में नहीं लगता है। प्रधानाध्यापक ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए न्यायोचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। इसी बीच छुट्टी की घंटी बजी और सारे विद्यार्थी अपने-अपने घर की ओर चल पड़े। कुछ लड़कियाँ आपस में चर्चा करती हुई घर जा रही थीं। चर्चा का मुख्य बिंदु था कि ये लड़के तो जब मन करता है कक्षा में रहते हैं, नहीं मन करता है तो भाग जाते हैं। हमलोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि घर और बाहर सबों का ध्यान हमारी ओर लगा रहता है। एक ने कहा मंटू तो इतना शैतान है कि शिक्षिका की अनुपस्थिति में हमेशा हमें तंग करते रहता है। पता नहीं क्यों शिक्षिकाएँ भी उससे कुछ क्यों नहीं कहती? दूसरे ने कहा—अरे हमें तो घर के काम में भी हाथ बटाना पड़ता है और पढ़ना भी पड़ता है। इन लड़कों का क्या ? ना घर का कोई काम है ना कोई जिम्मेदारी; मस्ती में घुमते रहते हैं। हम तो बोझ से लदे रहते हैं। दूसरी ने कहा—यार घर से स्कूल अच्छा लगता है; यहाँ दोस्तों से भी मिलते हैं तथा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शिक्षक यह भी बताते हैं कि भविष्य में क्या बनाना अच्छा होगा और कैसे बना जा सकता है ? इस पर एक लड़की ने कहा कि बनना क्या है ? हम शिक्षक या डाक्टर बनेंगे, नेता या सैनिक तो लड़के ही बनेंगे।

श्रुति ने कहा कि अधिकांश शिक्षक यही सलाह देते हैं। केवल जवाहर सर तथा कांति मैडम कहते हैं कि लड़के या लड़की में कोई अंतर नहीं है। जो लड़के बनेंगे वह लड़कियाँ भी बन सकती हैं। बल्कि लड़कियाँ ज्यादा अच्छा कर रही हैं। इस तरह बातें करते हुए बच्चियाँ गाँव में प्रवेश करती हैं।

विमर्श के बिंदु :

- आपके अनुसार विद्यालय में प्रार्थना के आयोजन की क्या जरूरत है ?
- समाजीकरण की प्रक्रिया में छात्र-छात्राओं के आपसी संवादों की क्या भूमिका है ? स्पष्ट करें।
- विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का उल्लेख करें।
- 'विद्यालयीय जीवन आलोचनात्मक चेतना (बुद्धिबोध) को विकसित करता है।' इस कथन से आप कितना सहमत हैं ? अपने पक्ष में उपयुक्त तर्क दें।



क्रियाकलाप

- आप अपने विद्यालय में होने वाली औपचारिक व अनौपचारिक गतिविधियों व व्यवहारों का अवलोकन करें तथा उसकी सूची विद्यालय व शिक्षक-संचालित, छात्र संचालित तथा अन्य इन तीन कोटियों के अन्तर्गत बनाएँ। आप यह भी अवलोकन करें कि बच्चे-बच्चियों के समाजीकरण की प्रक्रिया में अधिक प्रभावी कौन-कौन सी गतिविधियाँ व व्यवहार हैं ? इस संदर्भ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(दृष्टान्त : 3.5—ब)

रुकुंपुरा गाँव की बात है। गाँव के दक्षिण-पश्चिम किनारे पर अवस्थित खेल के मैदान में कुछ बच्चे क्रिकेट खेलने के बाद गोधुली बेला में एक जगह एकत्र होकर विभिन्न मुद्दों तथा विद्यालय के अनुभव पर चर्चा कर रहे थे। समूह में लगभग सभी बच्चों ने इसी वर्ष पड़ोस के उच्च विद्यालय के नवीं वर्ग में दाखिला लिया था। अपने इस नए विद्यालय से सम्बंधित अनुभवों पर परिचर्चा करते हुए एक बच्चे ने जिसका नाम मोनू था कहा कि यार नया विद्यालय तो अपेक्षाकृत बड़ा है। बहुत सारे शिक्षक, कैंटीन, बड़ा खेल का मैदान एवं खेलने के बहुत सारे सामान भी हैं तथा वहाँ कई प्रकार की गतिविधियाँ भी करायी जाती हैं। लेकिन पता नहीं वहाँ मन क्यों नहीं लगता है। डर भी लगता है। इस पर गोलू ने कहा — यार यह तो होगा ही क्योंकि विद्यालय नया है; हम वहाँ के बाकी बच्चों को भी बहुत नहीं जानते क्योंकि वे दूसरे-दूसरे गाँवों से आते हैं। हमारे रमेश भैया भी यही कह रहे थे कि जब उन्होंने उस उच्च विद्यालय में प्रवेश लिया था तब उनका भी मन नहीं लगता था। लेकिन बाद में वहाँ उनके कई दोस्त बन गए और उनका मन लगने लगा। इस पर उनमें से एक जिसका नाम फुरकान था ने कहा — यार हमें तो यह उच्च विद्यालय अच्छा लगता है, क्योंकि अब हमें घर वाले भी उम्र में बड़ा मानने लगे हैं। पहले कहीं घर से बाहर जाने ही नहीं देते थे परन्तु अब बहुत रोक-टोक नहीं करते। अब हम भी अपने आप को बड़े मानने लगे हैं। इस पर कुणाल ने कहा — यार पहले तो गाँव का मध्य विद्यालय भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन धीरे-धीरे दोस्तों के प्यार एवं शिक्षकों के स्नेह के कारण एक दिन भी विद्यालय छोड़ने का मन नहीं करता था। समय बीतने के साथ-साथ मैं तो पढाई-लिखाई में भी अच्छा हो गया। तभी सोनू ने पूछा — आखिर तुम लोगों को क्या अच्छा लगता था विद्यालय में। कुणाल ने तपाक से कहा — क्यों तुम्हें याद नहीं है ? गणित के शिक्षक कितने अच्छे थे। कितने अच्छे तरीके से गणित पढ़ाते थे। और यही नहीं यदि हम कभी गृह-कार्य नहीं करते थे तो बड़े धैर्य से उसका कारण सुनते थे और हमें समझाते थे। मोनू ने कहा कि—याद करो, उस समय जब तक हम समझ नहीं जाते थे तब तक विज्ञान की शिक्षा विषय को बड़े धैर्य से समझाती थीं। तभी फुरकान ने कहा कि मुझे तो सबसे ज्यादा मजा खेल-कूद की घंटी में आता

था या फिर जब बाल-संसद की बैठक करने का मौका मिलता था। तुम्हें तो याद ही होगा कि हमलोगों की दोस्ती कबड्डी खेलने के दौरान हुई थी। इस पर गोलू ने हामी भरते हुए कहा—और पता है, सबसे अधिक मजा तो तब आता था जब हम कुछ अच्छा कार्य करते थे और प्रधानाध्यापक हमें बुला कर प्रोत्साहित करते थे या टॉफी देते थे। राहुल ने बीच में ही रोकते हुए कहा कि मुझे और मेरे जैसे कुछ बच्चों का तो विद्यालय में बिल्कुल मन ही नहीं लगता था। राहुल की इस बात पर सोनू ने कहा कि यह सही बात है कि कुछ शिक्षक तुम लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया करते थे। तभी फुरकान ने बात बदलते हुए कहा कि अरे वो सूट पहन कर आने वाली मैडम हमलोगों को कितना परेशान करती थीं। हम जब लड़कियों से बात करते या वो हमसे बात करतीं तो मैडम इतना डाँटती थी कि बहुत से लड़के—लड़कियां तो रोना शुरू कर देते थे। गोलू ने कहा—फिर भी मुझे विद्यालय अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ दोस्तों का साथ अच्छा लगता था। हम बातें करते थे, मिल-जुल कर खाते थे और गप्पें लड़ाते थे तथा खेलने को भी मिलता था। परन्तु मुझे वह लंबी प्रार्थना बहुत बुरी लगती थी। इसलिये मैं विद्यालय जान—बूझ कर प्रार्थना के बाद पहुँचता था। परन्तु मुझे उससे भी बुरा कुछ शरारती बच्चों की टोली को देख कर लगता था जो किसी को पढ़ने नहीं देते और तंग किया करते थे। फिर भी कम से कम इतनी शिक्षा तो मिली ही थी, जो आज नवें वर्ग में काम आ रही है। राहुल ने फिर बोला हमें तो विद्यालय बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हमें केवल सफाई के कार्य करने पड़ते थे और मास्टर जी भी बेवजह हमलोगों को जाति का नाम लेकर डाँटते रहते थे। इस पर सोनू ने कहा—सफाई तो हमसे नहीं होता। हमने घर में भी ऐसा नहीं किया। तभी राहुल ने कहा—मास्टर जी तो सिर्फ हमलोगों से सफाई कराते थे। हाँ, सिर्फ पाठक सर ही यह भेद-भाव नहीं करते थे। गोलू ने बात बदलते हुए कहा—इस विद्यालय में तो केवल खेलना होता है, पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं होती। और तो और गाँव के कुछ लोग हमेशा विद्यालय की गतिविधियों में रोक-टोक करते रहते हैं जिससे पढ़ाई नहीं हो पाती। इस प्रकार बातें करते हुए सभी बच्चे अपने-अपने घर को चल पड़े।

विमर्श के बिंदु :

- क्या आप मानते हैं कि विद्यालय का जीवन, परिवार व आस-पड़ोस के जीवन से अधिक विस्तृत होता है और वहाँ विविधताओं के कारण समाजीकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से चलती है ? अपना मत देते हुए उसके पक्ष में तर्क दें।
- समाजीकरण के संदर्भ में आप किसी बच्चे-बच्ची के विद्यालय के साथी-समूह तथा आस-पड़ोस के साथी समूह में क्या भिन्नताएँ पाते हैं ? स्पष्ट करें।
- उपरोक्त दृष्टान्त में राहुल की पीड़ा के कारणों व उसके समाजीकरण के संदर्भ में उस पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना करें।



क्रियाकलाप

- आप अपने विद्यालय में बच्चों द्वारा खेले जाने वाले खेलों की सूची बनायें। अपने विद्यालय के पाँच बच्चों के विद्यालयीय साथी समूह से यह पता करें कि इन खेलों की उनके इस साथी समूह के निर्माण में क्या भूमिका है ? तत्संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

विषय-वस्तु की समझ

आपने यह विचार किया होगा कि हमारे बचपन के शुरुआती दिन परिवार व आस-पड़ोस तक ही सीमित रहते हैं। इस परिवार व आस-पड़ोस में बच्चों के समाजीकरण का प्रथम चरण चलता है, परन्तु वहाँ उनको उतनी विविधताओं का सामना नहीं करना पड़ता, जितनी विविधताएँ उन्हें विद्यालय में मिलती है। भिन्न-भिन्न उम्र, लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, संस्कृति, आचार-व्यवहार, आर्थिक-सामाजिक दशा आदि से संबंधित बच्चों, शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों आदि की मौजूदगी, बच्चों के लिये समाज के एक लघु

रूप का विम्ब प्रस्तुत करता है; और इस प्रकार समाजीकरण हेतु बच्चों को विद्यालय में ज्यादा अवसर प्राप्त होता है। विद्यालय में बच्चे ना सिर्फ समाज के विविध रूपों से परिचित होते हैं वरन विभिन्न प्रकार की गतिविधियों, आयोजनों व भूमिकाओं से भी होकर उन्हें गुजरना पड़ता है। प्रार्थना, योग—व्यायाम, खेल—कूद, कक्षा—शिक्षण, सांस्कृतिक गतिविधियों, बागवानी, वृक्षारोपण, प्रभातफेरी, रैलियों, विभिन्न दिवसों को मनाये जाने हेतु आयोजित कार्यक्रमों तथा अपने साथी—समूहों, शिक्षकों व अन्य लोगों के साथ होने वाले संवादों, वस्तुओं के आदान—प्रदान आदि के माध्यम से और विद्यालय—प्रतिनिधि, कक्षा—प्रतिनिधि, बाल—संसद व विद्यालय में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में मिलने वाली भूमिकाओं व उत्तरदायित्व आदि के माध्यम से बच्चों के अंदर संवेदनशीलता, मैत्री, समूह—भावना तथा परस्पर सहयोग व जिम्मेदारी की भावनाओं का विकास होता है। बच्चे के विद्यालयीय जीवन में ऐसे अनेकों कारक मौजूद होते हैं जिनके माध्यम से समाजीकरण की प्रक्रिया संचालित होती है।

परन्तु कभी—कभी विद्यालयों में बच्चों के समाजीकरण की यह प्रक्रिया सहभागात्मक की बजाय दमनकारी स्वरूप धारण कर लेती है। बच्चों की समझ व संवेदनाओं को महत्व ना देते हुए विद्यालयीय घटक अपने निर्मित आधारों के अनुरूप अनुकूलन हेतु बच्चों को बाध्य करते हैं। यह स्थिति बालमन को गंभीर कुण्ठाओं व अंतर्विरोधों से भर देती है और कभी—कभी बच्चा परिवार व आस—पड़ोस के माध्यम से स्वाभाविक ढंग से सीखे हुए व्यवहारों व मूल्यों को भूलाकर नकारात्मक व्यवहार करने लगता है। और इस प्रकार दमनात्मक समाजीकरण, विसमाजीकरण (De-Socialization) [पूर्व समाजीकरण के प्रभाव को नष्ट कराने वाला] तथा नकारात्मक समाजीकरण (Negative Socialization) [त्याज्य व निषेधित व्यवहार प्रतिमान को ग्रहण करना] की दिशा की ओर ले जाने का काम करने लगती है। अतः विद्यालयीय वातावरण में चलने वाले सोद्देश्य समाजीकरण (Deliberate Socialization) की प्रक्रिया में बच्चों की समझ व संवेदनाओं के लिये भी जगह होनी चाहिए ताकि सही मायने में यह प्रक्रिया बाध्यकारी की बजाय लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप चयनात्मक व मूल्यांकनात्मक हो सके। अतः विद्यालयों में एक समझ विकसित करने की आवश्यकता है कि बच्चे भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान हैं।

विद्यालयीय जीवन के विभिन्न कारक बच्चों के समझ सामाजिक अंतःक्रिया के विभिन्न अवसर प्रस्तुत करते हैं। यह सामाजिक अंतःक्रिया मूलतः सहयोग

(Cooperation), प्रतियोगिता (Competition), संघर्ष (Conflict), व्यवस्थापन (Accommodation) तथा आत्मसातीकरण (Assimilation) के रूप में होती है। इसकी विशेष समझ आपको 'बाल विकास और सीखना' विषयपत्र में मिलेगी।

दृष्टान्त 3.5—अ के माध्यम से आपने समझा कि प्रार्थना से एकाग्रता व अनुशासन का विकास होता है और अनुशासन समाजीकरण की प्रक्रिया में अत्यंत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आपने यह भी समझा कि अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक किस प्रकार स्वयं उसका पालन नहीं करते। और यहाँ प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री पाओलो फ्रैरे की वह पीड़ा ठीक समझ में आती है कि शिक्षक अनुशासन का नियम बनाते हैं और छात्र उसका पालन करते हैं; वह अनुशासन शिक्षक स्वयं पर लागू नहीं करते। विद्यालयी वातावरण की यह बड़ी विडम्बना है। आपने इस दृष्टान्त के माध्यम से यह भी समझा कि विद्यालय में छात्र-छात्राओं के आपसी संवाद जिनका संदर्भ शिक्षक-शिक्षिकाओं का व्यवहार, छात्रों के प्रति उनकी संवेदना व समझ, शिक्षकों द्वारा बच्चों के साथ किए जाने वाले भेद-भाव, बच्चों के आपसी झगड़े, परिवार द्वारा बच्चे-बच्चियों के बीच किया जाने वाला भेद-भाव, खेल-कूद, सैर-सपाटा आदि है, के माध्यम से बच्चों के अंदर समाज के विविध पक्षों की समझ विकसित होती है। समाज की विधेयात्मक व नकारात्मक प्रवृत्तियों के प्रत्यक्ष व बोध द्वारा बच्चे का सामाजिक व्यवहार संशोधित, निर्मित व पुनर्निर्मित होते रहता है। बच्चे विद्यालय में अनुशासन भी सीखते हैं और गाली भी, सहयोग भी सीखते हैं और संघर्ष व मार-पीट भी, प्रेम का भी बोध करते हैं और तिरस्कार का भी, कर्तव्यपरायणता भी सीखते हैं और तथाकथित घुमक्कड़पन भी। और इस प्रकार विभिन्न द्वंद्वों के बीच उनके विचारों का संश्लेषण होता है। यह संश्लेषण बच्चे की मूल प्रवृत्ति तथा उसके परिवार व आस-पड़ोस के संपर्क में स्वाभाविक रूप से हुए समाजीकरण के आलोक में होता है। इस प्रकार परिवार व आस-पड़ोस के स्तर पर हुए समाजीकरण का विद्यालय में विस्तार होता है।

दृष्टान्त 3.5—ब के माध्यम से आपने यह देखा कि प्रारंभिक स्तर की विद्यालयीय शिक्षा प्राप्त बच्चे जो उच्च विद्यालय में गए हैं किस प्रकार यह स्वीकार कर रहे हैं कि जब वो पहली बार विद्यालय गए थे तो उनका मन नहीं लगता था परन्तु बाद में विद्यालय ने उन्हें इतना कुछ दिया कि विद्यालय से निकलने का उन्हें मन ही नहीं करता था। अर्थात् जब बच्चा घर व आस-पड़ोस के माहौल से निकल कर पहली बार विद्यालय पहुँचता

है तो वहाँ के विस्तार व नियंत्रित तथा अनुशासनात्मक वातावरण के साथ तालमेल बैठाने में उसे वक्त लगता है क्योंकि वह उसके बाल-सुलभ मन के विपरीत प्रतीत होता है। परन्तु धीरे-धीरे वह समाज के उस लघुरूप विद्यालय में कई संबंधों को सृजित करता है, अपने स्व का विकास करता है, उस नये माहौल में खुद को चयन व मूल्यांकन के आलोक में ढालता है और तब वह खुद का विस्तार हुआ महसूस करता है। इस प्रकार उसके समाजीकरण की प्रक्रिया चलती है।



क्रियाकलाप

- विद्यालय में समाजीकरण के विभिन्न गतिविधियों का विश्लेषण करें और उसमें अपनी भूमिका की समीक्षा करें। विद्यालय में चलनेवाले समाजीकरण की किन-किन गतिविधियों में आपकी सक्रिय भूमिका होती है।



वीडियो देखने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें



<https://www.youtube.com/watch?v=YjkPxuQm6l0>

3.6 शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालय : सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आधार

विद्यालय में चलनेवाली शिक्षण की प्रक्रिया के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आधारों की समझ से परवर्ती समाजीकरण के आयामों को समझने में मदद मिलेगी। आगामी दृष्टान्तों के माध्यम से इसके विश्लेषण की कोशिश की गई है।



(दृष्टान्त : 3.6—अ)

मिथिलेश मंडल की करीमपुर मध्य विद्यालय में विज्ञान के शिक्षक के रूप में नई नियुक्ति हुई। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बी.एससी. और बी. एड. की डिग्री अर्जित की थी। मंडल बाबू अपने विषय में दक्ष थे तथा विद्यालय की उन्नति के लिए सदैव नए तरीके से सोचते थे। एक दिन की बात है मिथिलेश बाबू की कक्षा को बागवानी का कार्य करना था। सभी बच्चे स्कूल के मैदान में छोटी-छोटी क्यारियाँ बना रहे थे। मिथिलेश बाबू के हाथ में भी कुदाल थी। काम चल ही रहा था कि इसी बीच गाँव के बड़े किसान जो गाँव में परंपरागत रूप से मालिक कहलाते थे अचानक वहाँ आ पहुँचे। बिना सोचे समझे ही उन्होंने मिथिलेश बाबू को झाड़ लगाना शुरू कर दिया। हमारे बच्चों से कुदाल चलवा रहे हैं? क्या इसी काम के लिये ये यहाँ आते हैं? अपने घर में तो ये काम करते ही नहीं हैं और आप यहाँ काम करा

रहे हैं। तभी प्रधानाध्यापक ने आकर मामले को किसी तरह शांत किया। उसके बाद बच्चे अपनी-अपनी कक्षा में चले गए। एक दिन की बात है; बच्चे मध्याह्न भोजन कर रहे थे और अपनी पसंद के अनुसार अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। बच्चों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी पहले-पहल मिथिलेश बाबू को दी गयी थी। बच्चे चाव से खा रहे थे। तभी प्रधानाध्यापक आ पहुँचे। उन्होंने मिथिलेश बाबू को समझाते हुए कहा कि आपने यह क्या किया है? कुछ बच्चों के अभिभावक देखेंगे तो हंगामा करेंगे। क्योंकि कुछ अभिभावक नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे एक विशेष समुदाय के बच्चों के साथ बैठ कर खाना खाएँ। मिथिलेश बाबू को प्रधानाध्यापक की यह बात अच्छी नहीं लगी और वे उनसे तर्क करने लगे। इस पर प्रधानाध्यापक ने कहा कि यह यहाँ की परंपरा है। मैं आपसे इसीलिए कहता हूँ कि यह विद्यालय, समाज में चलता है अतः समाज के रिवाजों का ध्यान रखना होगा। जवाब देते हुए मिथिलेश बाबू ने कहा कि विद्यालय समाज को सही दिशा देने के लिये स्थापित की गयी है, अतः कम से कम यहाँ तो इन रूढ़ियों को बदलना आवश्यक ही है। प्रधानाध्यापक ज्यादा विवाद में ना पड़ते हुए वहाँ से निकल गए। परन्तु विद्यालय में होने वाले इन तमाम घटनाओं ने मिथिलेश बाबू के स्वयं के मूल्यों जो लोकतंत्र के मूल भावनाओं की बुनियाद पर निर्मित थे तथा वहाँ के समाज के सांस्कृतिक-आर्थिक व राजनैतिक मूल्यों व परम्पराओं के मध्य एक गंभीर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गयी। वे इसे ठीक करने की दिशा में गंभीरता से प्रयास करना चाहते थे। मिथिलेश बाबू ने बालकेंद्रित शिक्षण पद्धति का प्रशिक्षण लिया था, वे इस विद्यालय में भी इसका प्रयोग करना चाहते थे; परन्तु कभी-कभी सामग्रियों, अन्य व्यवस्थाओं, पैसे व सहयोगियों की कमी इसमें बड़ी बाधा बन जाती थी। वे अक्सर अपने पास से भी कुछ पैसे लगा देते। मिथिलेश बाबू चाहते थे कि सभी बच्चे नियमित रूप से तथा समय पर विद्यालय पहुँचें। लेकिन उन्होंने पाया कि विद्यालय में अनुपस्थिति एक जटिल समस्या है। वे इसका कारण ढूँढ़ने लगे। उन्हें सबसे महत्वपूर्ण कारण गाँव की जीवन पद्धति लगी। कृषि कार्य के व्यस्ततम समय में तो अनुपस्थिति रहती ही थी पर्व-त्योहारों में भी बच्चे जब दो दिनों की छुट्टी होती थी तब छः दिन विद्यालय नहीं आते थे। यदि दूर के रिश्तेदारों के यहाँ शादी-विवाह हो तो उस समय बच्चों की उपस्थिति महीनों तक नहीं रहती थी। हलाँकि मिथिलेश बाबू ने पाया कि इस

गाँव में पढ़े-लिखे लोगों की भी संख्या ठीक-ठाक है, तथा सभी समुदाय के लोग शिक्षा के महत्व को समझते हैं व अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। परन्तु गाँव में पठन-पाठन में आने वाली बाधाओं की स्थिति के प्रति लोगों में संवेदनशीलता का अभाव है। कुछ ही दिनों बाद विद्यालय में शिक्षा समिति का चुनाव था। मिथिलेश बाबू ने इस उपयुक्त अवसर पर इन सारे मुद्दों को सभा में रखने की योजना बनाई। उस सभा में उन्होंने गाँव के लोगों से विद्यालय की सभी परेशानियों व जातिगत भेद-भावों को दूर करने तथा श्रम के प्रति सम्मान का भाव विकसित करने की अपील की। विभिन्न बिंदुओं पर काफी बहस हुई। मिथिलेश बाबू ने लोकतंत्र, संविधान, धर्म तथा आदर्श समाज का हवाला देते हुए ढेर सारे तर्क प्रस्तुत किये; भेद-भाव को दूर किये जाने के लिये तमाम उदाहरणों, कहानियों व महापुरुषों के जीवन-वृत्तों का सहारा लेकर गाँव के लोगों को संवेदित किया। गाँव के लोगों पर मिथिलेश बाबू की गंभीर बातों का असर हुआ, उन्होंने वादा किया की सारी दुर्व्यवस्थाओं व भेदभावों को दूर किया जायेगा। मिथिलेश बाबू के प्रयासों व गाँव के सहयोग से विद्यालय की समस्याएँ धीरे-धीरे दूर हो गई।

विमर्श के बिंदु :

- उपर्युक्त दृष्टान्त का संदर्भ लेते हुए यह बताएँ कि समुदाय की सामाजिक व सांस्कृतिक मान्यताएँ विद्यालयीय गतिविधियों को किस प्रकार नियंत्रित करती हैं और साथ ही समाजीकरण की प्रक्रिया को भी किस प्रकार प्रभावित करती हैं?
- उपर्युक्त दृष्टान्त में प्रधानाचार्य द्वारा समुदाय की मान्यताओं को यथावत स्वीकार कर लेने के संदर्भ में आपके क्या विचार हैं ? क्या प्रधानाचार्य के इस प्रवृत्ति को आप उचित मानते हैं। अपने मत के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें।
- उपर्युक्त दृष्टान्त में शिक्षक मिथिलेश बाबू द्वारा अपनाई गयी रणनीति का संदर्भ लेते हुए यह बतायें कि यदि आपके विद्यालय में ऐसी स्थिति होती तो आप किस प्रकार की रणनीति बनाते ?



क्रियाकलाप

- अपने आस-पास के समुदाय की उन सामाजिक व सांस्कृतिक मान्यताओं तथा आर्थिक कारणों की सूची तैयार करें जो आपकी समझ से विद्यालय की गतिविधियों व वहाँ पर चल रहे समाजीकरण की प्रक्रिया को किसी ना किसी रूप में प्रभावित करते हैं। संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(दृष्टान्त : 3.6-ब)

भोजपुर जिले में मोहनपुर नाम का एक गाँव था। गाँव के दक्षिण-पश्चिमी छोर पर मुख्यतः समाज के वंचित वर्गों का एक टोला था। वहाँ विद्यालय तो था लेकिन कोई भी शिक्षक वहाँ जाना नहीं चाहते था। जब भी कोई नया शिक्षक वहाँ नियुक्त होता था तो वो तरह-तरह के प्रयासों से अपना किसी दूसरे विद्यालय में या शिक्षा विभाग के कार्यालय में प्रतिनियोजन करा लेता था। टोले में निवास करने वाले लोग आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर थे। उनके पास ना तो अपनी जमीन थी, ना पशु और ना ही उनकी कोई सामाजिक व राजनैतिक पहुँच ही थी। उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। टोले के विद्यालय का न चलना उन्हें हमेशा सालता था। एक बार टोले के कुछ जागरूक लोगों ने प्रखंड जाकर नए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से अपनी व्यथा सुनायी। पदाधिकारी ने उनकी समस्या का समाधान करने हेतु स्थल निरीक्षण का वादा किया। एक दिन सुबह आठ बजे पदाधिकारी श्रीमती नीरजा उनकी बस्ती में पहुँचीं। वहाँ के लोगों ने उन्हें देखते ही उग्र होकर विद्यालय की तमाम समस्याओं को गिनाना शुरू कर दिया। गाँव के कुछ वृद्ध लोगों ने मामले को शांत किया और अपनी समस्याओं को एक-एक करके सुनाया। वहाँ के निवासी मंगरू ने कहा कि मेरी मुनिया टोले के विद्यालय के बंद होने के बाद पास के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पढ़ती थी, लेकिन विद्यालय में उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। विद्यालय में सफाई का सारा काम मुनिया या हमारे समुदाय के अन्य बच्चों से ही करवाया

जाता था। विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने का बहाना बना कर इन्हें कक्षा के बाहर बैठा दिया जाता था। साथ ही साथ संपन्न कृषक परिवार के बच्चे भी इन्हें तंग किया करते थे। उब कर मुनिया तथा हमारे समुदाय के अन्य बच्चों ने विद्यालय जाना छोड़ दिया। हम इतने गरीब हैं कि अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में नहीं भेज सकते, और ना ही हम इतने

पढ़े-लिखे हैं कि उन्हें घर पर पढ़ा सकें। हमारी तो जिंदगी किसी तरह कट रही है, पर हमारे बच्चों की जिंदगी ठीक ढंग से कटे इसके लिये जरूरी है कि वे शिक्षा प्राप्त कर पाएँ जिससे वे समाज में मान-प्रतिष्ठा पा सकें। नीरजा जी ने विद्यालय पहुँच कर देखा कि किस तरह विद्यालय सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक सन्दर्भों से प्रभावित होता है। उन्होंने एक रणनीति बनायी और गाँव वालों की सहमति से विद्यालय को पुनर्जीवित करने हेतु दो निष्ठावान एवं कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकों का प्रतिनियोजन उस विद्यालय में किया। सबसे बड़ी बात यह थी कि इन शिक्षकों पर गाँव वालों का विश्वास था। इन परिवर्तनों के बाद गाँव वालों ने अपने बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू किया। नीरजा जी ने पड़ोस के विद्यालय में भी जाकर शिक्षकों को अभिमुख किया कि वे संवेदनशील होकर बच्चों के हित के लिये काम करें। साथ ही भेद-भाव करने वाले शिक्षकों पर कड़ाई से कारवाई करने की बात कही। 20-25 दिन के बाद नीरजा जी जब उस गाँव में पहुँचीं तो उस गाँव का नजरिया बदला हुआ था। नीरजा जी हर 20-25 दिन में दौरा करती रहती थीं तथा अभिभावकों को प्रेरित करती थीं जिससे बच्चे स्कूल जाने लगे तथा गाँव और क्षेत्र के शैक्षिक माहौल में बदलाव आया।

विमर्श के बिंदु :

- उपर्युक्त दृष्टान्त में वंचित वर्ग के टोले के विद्यालय में शिक्षकों के योगदान न देने के कारणों की विवेचना करें।
- उपर्युक्त दृष्टान्त में मुनिया के साथ विद्यालय में हो रहे व्यवहारों के सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ को समझाते हुए मुनिया के समाजीकरण पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना करें।

- उपर्युक्त दृष्टान्त में टोले के उन जागरूक लोगों जिनके प्रयासों से टोले का विद्यालय प्रारम्भ हो पाया की राजनीतिक चेतना का उस समुदाय के बच्चों के पुनः विद्यालय जाने के बाद नवीन परिस्थितियों में वहाँ होने वाले समाजीकरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की विवेचना करें।



क्रियाकलाप

- अपने संकुल क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों में से उन विद्यालयों की पहचान करें तथा सूची बनाएँ जो आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बस्तियों में स्थापित हैं। उनमें से किसी एक विद्यालय में जाकर वहाँ की समस्याओं का अवलोकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(दृष्टान्त : 3.6—स)

गर्मी की छुट्टियाँ थीं। पटना से गया जाने वाली ट्रेन में रामचरण अपने बेटे पंकज के साथ बैठा था। रिश्तेदारी में होने वाली एक शादी में बाप-बेटे जा रहे थे। रामचरण एक किसान था और उसका लड़का पंकज गाँव के ही प्राथमिक विद्यालय में पाँचवीं का छात्र था। ट्रेन में काफी भीड़-भाड़ थी। रामचरण के बगल में झक सफ़ेद कुर्ता-पायजामा पहने एक गाँव के मुखिया रमादीन बैठे थे। उनके साथ एक अखबार के पत्रकार शौकत भी थे। सामने वाली सीट पर एक विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर नीलाम्बर तथा उनके बगल में किसी प्राथमिक विद्यालय में पंचायत शिक्षक के रूप में काम कर रहा एक युवक नवीन भी बैठा था। यात्रा की बोरियत दूर करने के लिये बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। रामादीन ने पंकज से पूछा—किस क्लास में पढ़ते हो? पंकज ने कहा पाँचवीं में। किस विद्यालय में? पंकज ने बताया कि गाँव के ही सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। जवाब सुन कर रमादीन ने चेहरे पर तिरस्कार का भाव बनाते हुए कहा — अच्छा.....। नवीन से

रहा नहीं गया। उसने मुखिया जी से पूछ दिया कि आप सरकारी विद्यालय का नाम सुन कर नाक-भौं क्यों सिकोड़ रहे हैं ? मुखिया जी ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में आज-कल पढ़ाई कहाँ हो रही है? मैं तो एक गाँव का मुखिया हूँ, मैं रोज देखता हूँ, सारे शिक्षक वेतन तो मजे से पाते हैं परन्तु पढ़ाने का नाम नहीं जानते। ऐसे में सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिये भेजना बच्चे का भविष्य खराब करना है। नवीन ने तपाक से पूछा—इसके लिये जिम्मेदार कौन है? सरकारी व्यवस्था के करीब तो आप ही लोग रहते हैं; आपने कभी सोचा है इस संदर्भ में? प्राथमिक शिक्षक तो जनगणना, पशु गणना, मकान गणना, पल्स-पोलियो, चुनाव आदि में लगातार व्यस्त रहता ही है जो समय बचता है वो मध्याह्न भोजन व तरह-तरह के रिपोर्टों को बनाने में ही बीत जाता है। प्रधानाध्यापक व दो शिक्षक तो सिर्फ हिसाब-किताब व रिपोर्टों को तैयार करने तथा उसे शिक्षा विभाग तक पहुँचाने में ही लगे रहते हैं। तो आप ही बताइये कि वो विद्यार्थियों के बारे में कब सोचें व उन्हें कब पढ़ाएँ? आपकी व्यवस्था ही ऐसी है की पढ़ाई व बच्चों के निर्माण से ज्यादा महत्वपूर्ण तमाम रिपोर्ट तैयार करना है ताकि यह प्रदर्शन किया जा सके कि यहाँ की शिक्षा काफी अच्छी चल रही है। ऐसे में क्या आपको शिक्षकों से जो आज के दौर में सिर्फ सरकारी कर्मचारी बन कर रह गए हैं बड़ी उम्मीद करना वाजिब है ? बात को बीच में ही काटते हुए प्रोफेसर नीलाम्बर ने कहा कि आज सरकारी विद्यालयों में वही बच्चे पढ़ने आते हैं जिनके घर की आर्थिक दशा काफी खराब है। और वो बच्चे भी पढ़ने के लिये कम और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये ज्यादा आते हैं। जो देश आज भी भूख की समस्या से जूझ रहा हो वहाँ यदि बच्चों को विद्यालय के बहाने पोषक आहार मिल जा रहा है यह बहुत बड़ी बात है। पत्रकार शौकत ने नीलाम्बर को बीच में ही रोकते हुए कहा—आप बात तो ठीक कह रहे हैं, परन्तु हाल ही में मैंने पटना जिले के एक बड़े क्षेत्र का इसी मुद्दे को लेकर सर्वे स्टडी किया था जो अखबार में भी आया था। इस स्टडी से कई महत्वपूर्ण बातें सामने आयीं। एक जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात मुझे पता चली वो यह है कि विद्यालयों में बेहतर सुविधाओं व शिक्षण के माहौल के लिये समाज के अगड़े वर्ग का जो निरंतर दबाव था वो कम हुआ है। इसके पीछे कई लोगों ने यह बताया कि मध्याह्न भोजन योजना का भी इसमें योगदान है। लोग बच्चे के मध्याह्न भोजन को अपने सम्मान से जोड़ कर

देखते हैं। उन्हें विद्यालय में अपने बच्चे द्वारा मुफ्त का खाना खाना बुरा लगता है। और दूसरी बात तो आप जानते ही हैं कि अभी भी जाति, धर्म व तमाम रूढ़ियों से लोग उबर नहीं पाये हैं; उन्हें अपने बच्चों का उनके हिसाब से अपने से छोटी जातियों के बच्चों के साथ बैठ कर भोजन करना नागवार गुजरता है। अतः धीरे-धीरे इस तथाकथित अगड़े वर्ग ने अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों से निकाल कर प्राइवेट विद्यालयों में डालना शुरू कर दिया। और धीरे-धीरे सरकारी विद्यालय समाज के सिर्फ पिछड़े वर्ग का विद्यालय बन कर रह गया और यह वर्ग विद्यालयों पर प्रभावी दबाव नहीं बना पा रहा है। यद्यपि प्राइवेट विद्यालयों में भी सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिये सरकार ने 25: गरीब विद्यार्थियों के प्रवेश की व्यवस्था की है; परन्तु इसकी हकीकत यह है कि उन गरीब बच्चों को उन प्राइवेट विद्यालयों में विद्यालय प्रशासन तो हिकारत की नजर से देखता ही है साथ ही उसके सहपाठी भी उनका मजाक उड़ाते हैं। कई विद्यालयों ने तो उनके लिये अलग कक्षाएँ तक बना ली हैं ताकि वो अन्य बच्चों के साथ घुल-मिल न पाएँ क्योंकि तथाकथित अगड़े वर्ग के अभिभावक ऐसा नहीं चाहते हैं। यह अत्यंत ही गंभीर विषय है; एक बेहतर विद्यालय व समाज का निर्माण तब तक नहीं हो पायेगा जब तक लोग इस दुर्भावना से नहीं उबरेंगे। उनका विद्यालय और हमारा विद्यालय के द्वंद्व से उबरना होगा। रामचरण जो इन सारे संवादों को गंभीरता से सुन रहा था ने कहा कि यदि समाज के महत्वपूर्ण लोग अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाना प्रारम्भ कर दें तो समस्याएँ धीरे-धीरे सुलझ सकती हैं। उनका विद्यालय और हमारा विद्यालय की दूरियाँ मिट सकती हैं और सही मायने में सबका विद्यालय बन सकता है।

विमर्श के बिंदु :

- उपर्युक्त दृष्टान्त में सरकारी विद्यालयों के शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर उठाये गए प्रश्नों के प्रति आपके क्या विचार हैं? स्पष्ट करें।
- उपर्युक्त दृष्टान्त में एक पंचायत शिक्षक नवीन द्वारा शिक्षण के दौरान आने वाली बाधाओं की चर्चा की गयी है। आपके विचार से नवीन द्वारा उठाये गए प्रश्न कितने सही हैं ? अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें।

- उपर्युक्त दृष्टान्त के आलोक में तथाकथित समाज के अगड़े व पिछड़े वर्ग के दृष्टिकोणों में मध्याह्न भोजन के मायनों को स्पष्ट करें।
- उपर्युक्त दृष्टान्त के आलोक में 'उनका विद्यालय', 'अपना विद्यालय' व 'सबका विद्यालय' की अवधारणाओं को स्पष्ट करें।



क्रियाकलाप

- आप अपने विद्यालय के समस्त शिक्षकों के विद्यालयीय दिनचर्या का अवलोकन करें। सुबह विद्यालय आने से लेकर विद्यालय से वापस घर या शिक्षा विभाग के कार्यालय जाने तक शिक्षक कौन-कौन से कार्य करते हैं इसकी सूची बनाइये व प्रत्येक कार्य में शिक्षक द्वारा दिये गए समय को उसमें अंकित कीजिये। शिक्षक द्वारा शिक्षण हेतु दिये गए समय की पर्याप्तता के परिप्रेक्ष्य में अपने विचार प्रस्तुत कीजिये।

विषय-वस्तु की समझ

आपने यह अनुभव किया होगा कि शिक्षा, शिक्षण व विद्यालय की व्यवस्था समाज ने अपनी आशाओं के अनुरूप किया है। चूँकि समाज जीवंत है अतः उसकी आशाएँ भी चिरस्थायी नहीं हैं अतः समाज की इकाई के रूप में व्यक्ति व समान सोच व समझ रखने वाला उनका समूह निरंतर सामाजिक आशाओं को संशोधित, निर्मित व पुनर्निर्मित करते रहता है। इस प्रकार शिक्षा, शिक्षण व विद्यालयीय व्यवस्था के आधार, संदर्भ, लक्ष्य, उद्देश्य व दिशा निरंतर संशोधित, निर्मित व पुनर्निर्मित होते रहते हैं। हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनैतिक जीवन तथा चिंतन शिक्षा, शिक्षण व विद्यालयों की दिशा तय करते हैं। चूँकि हमारा समाज ग्रामीण, शहरी तथा नगरीय; पिछड़े, मध्यम वर्ग तथा अगड़े; आर्थिक सुविधासंपन्न, सामान्य व सुविधाहीन; राजनैतिक समझ व शक्ति संपन्न, समर्थक व हासिए पर जीने वाले; और विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों व भाषाओं वाला है; अतः राज्य द्वारा विकसित व पोषित शिक्षा, शिक्षण व विद्यालयों के स्वरूप व दशा में

भी पर्याप्त भिन्नताएँ हैं। इस प्रकार इनके संदर्भ में किन्हीं निश्चित सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनैतिक आधारों की सर्वव्यापकता को स्थापित करना व सामान्यीकृत निर्णय लेना उचित नहीं होगा। परंपरा व रूढ़ियों द्वारा स्थापित वाद (Thesis) और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व व न्याय की मान्यताओं वाले लोकतांत्रिक मूल्यों के रूप में प्रतिवाद (Anti-thesis) के द्वंद्व से उपजा संश्लेषणात्मक संवाद (Synthesis) ही शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालयों के लिये आधार प्रस्तुत करता है। चूँकि विद्यालय भिन्न-भिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक परिवेश में स्थापित हैं अतः उनके संश्लेषण का स्वरूप भी भिन्न-भिन्न है। इसलिए एक शिक्षक के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने विद्यालय को वहाँ के परिवेश के अनुरूप समझे व तदनुरूप वहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ व व्यवहार को विकसने का वातावरण तैयार करे। अतः विद्यालय जहाँ स्थित है उस जगह के इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, वहाँ घटने वाली प्रमुख घटनाओं, वहाँ के समुदाय की मान्यताओं व विश्वासों, वहाँ के लोगों की आशाओं, वहाँ के प्रभुत्व वर्ग के प्रभुता के कारणों व उस वर्ग का समुदाय के प्रति मतों व अभिवृत्तियों, वहाँ हासिए पर जीने वाले लोगों की पीड़ाओं व समस्याओं तथा प्रभुता संपन्न लोगों के प्रति उनके अभिवृत्तियों आदि की समझ वहाँ के शिक्षक को आवश्यक रूप से विकसित करनी पड़ेगी ताकि वहाँ के बच्चों के विकास तथा विद्यालय व समाज के परस्पर जुड़ाव हेतु अपनाई जाने वाली रणनीतियों व व्यूह-रचनाओं के निर्माण में उपरोक्त समझ का सदुपयोग किया जा सके।

एक दूसरी बात जिसपर हमें चिंतन करना चाहिए वह एक संस्था के रूप में शिक्षा व शिक्षायी विषय-वस्तु है जो विद्यालयीय व्यवस्था के केंद्र में है जिसके इर्द-गिर्द विद्यालय का समस्त आयोजन संचालित हो रहा है। समाज अपनी क्रमशः बदलती जरूरतों, मान्यताओं व विश्वासों के अनुरूप शिक्षा के इस 'क्या?' को निर्मित करते रहता है और इस प्रकार शिक्षायी विषय-वस्तु में भी आवश्यक परिवर्तन होते रहता है। अतः शिक्षायी विषय-वस्तु स्वतंत्र न होकर समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था व राजनीति सापेक्ष है। समाज की आशाएँ व जरूरतें, संस्कृति की मान्यताएँ व विश्वास, अर्थव्यवस्था की आवश्यकताएँ तथा राजनीति की दृष्टि आदि शिक्षायी विषय-वस्तु को तय करते हैं। अतः हमें शिक्षायी विषय-वस्तु को इस विस्तृत दृष्टिकोण से देखना होगा ताकि आवश्यकता व उपयोगिता के आधार पर निरंतर इसका आकलन, मूल्यकरण व मूल्यांकन होता रहे और

इस प्रकार अनुपयोगी विषय-वस्तु के पीछे छात्रों, विद्यालयों व शिक्षकों के लगने वाले समय व श्रम को बचाया जा सके।

यहाँ हमें शिक्षण के आधारों को भी समझने की जरूरत है। आप स्वयं अपने विद्यालय में शिक्षण के अभिकर्ता के रूप में हैं। चूँकि शिक्षण के अभिकर्ता के रूप में एक शिक्षक भी विभिन्न समाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक परिवेश से संबंधित होता है अतः इसकी संभावना बनती है कि उसके शिक्षण में भी उपर्युक्त की झलक दिखे। बहुधा हम लोगों ने अपने प्रारंभिक शिक्षाकाल में शिक्षकों के शिक्षण व्यवहार में बहुत भिन्नताएँ देखी हैं जो आज के विद्यालयीय व्यवस्था में भी दिखती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ शिक्षक पढ़ाते वक्त कक्षा के सिर्फ तेज विद्यार्थियों की ओर ही ध्यान देते हैं; संभवतः उसका मानना हो कि शिक्षा सिर्फ बौद्धिक रूप से उन्नत लोगों के लिये ही है। कई शिक्षक सिर्फ सम्प्रांत व धनी परिवार के बच्चों को पढ़ाने में ही रुचि लेते हैं तो कई कक्षा के कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देते हैं और कई शिक्षक आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग से आने वाले बच्चों को विशेष तरजीह देते हैं। सबके ऐसा करने के पीछे भिन्न-भिन्न आधार हैं। यह बात तो शिक्षण के दौरान ध्यान देने की हुयी। इससे इतर कुछ और ध्यान देने योग्य बातें हैं, मसलन शिक्षण के दौरान आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग से आने वाले बच्चों को हतोत्साहित किया जाना; विशेष रूप से सक्षम (वर्णितमदजसल [इसमक] या शारीरिक व मानसिक रूप से भिन्न क्षमता वाले) बच्चे-बच्चियों को शिक्षण के दौरान तिरस्कृत किया जाना; वैसे बच्चे-बच्चियों को डांटना फटकारना जो शिक्षण के दौरान न समझ आने पर प्रश्न करते हैं आदि। शिक्षकों की राजनीतिक विचारधारायें मसलन प्रभुत्ववादी, राष्ट्रवादी, साम्यवादी या जनतांत्रिक आदि भी शिक्षण के दौरान कक्षा वातावरण व सीखने के अवसरों को भिन्न प्रकार से सृजित करते हैं। इस प्रकार शिक्षक द्वारा आयोजित भिन्न प्रकार के शिक्षण भी छात्र-छात्राओं के समाजीकरण की प्रक्रिया को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।

आपने यहाँ, दृष्टान्त 3.6—अ के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार लोकतान्त्रिक मूल्यों की गहरी समझ वाले नव नियुक्त शिक्षक मिथिलेश मंडल जी का करीमपुर मध्य विद्यालय के आस पास के समुदाय के सामाजिक व सांस्कृतिक मान्यताओं व समझ के साथ संघर्ष चलता है और बाद में उस गाँव के लोग मिथिलेश बाबू की बात को देर से ही सही परन्तु मानने के लिये तैयार होते हैं। इसके माध्यम से आप वाद, प्रतिवाद

तथा संश्लेषणात्मक संवाद को समझ सकते हैं। आप ने दृष्टान्त के माध्यम से समाज के अगड़े वर्ग में श्रम के प्रति सम्मान का अभाव देखा और यह भी देखा कि विद्यालय किस प्रकार उसका विकास कर रहा है। आपने यह भी अनुभव किया कि सामाजिक व सांस्कृतिक परम्पराएँ किस प्रकार विद्यालय में चलने वाली समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं यथा विशेष समुदाय के बच्चों के साथ बैठ कर भोजन करना। गाँव की अर्थव्यवस्था व जीवन पद्धति छात्रों के विद्यालय में उपस्थिति व अन्य विद्यालयीय गतिविधियों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, यह भी आपने समझा। समग्र रूप में आपने यह भी समझा कि एक शिक्षक किस प्रकार इस स्थिति का सामना करे तथा उसमें आवश्यक परिवर्तन लाये।

दृष्टान्त 3.6—ब के माध्यम से आपने यह अनुभव किया कि विद्यालयों में किस प्रकार छुपे रूप में वंचित वर्गों के बालक—बालिकाओं के साथ भेद—भाव बरता जाता है। यह भेद—भाव मसलन सिर्फ उन्हीं बच्चों से साफ—सफाई कराया जाना, उन्हें तंग करना, उनका तिरस्कार करना आदि इतना प्रभावी होता है कि उन बच्चों को शिक्षा की प्रक्रिया से पलायित होने पर मजबूर कर देता है। आपने यह भी अनुभव किया कि किस प्रकार वंचित वर्गों के टोले में स्थित उस विद्यालय में शिक्षक के रूप में बहाल होने से लोग कैसे कतराते हैं। आपने यह भी समझा कि किस प्रकार वहाँ के समुदाय की जागरूकता तथा सरकारी अधिकारी के प्रयास से शैक्षिक माहौल में परिवर्तन लाया जाता है।

दृष्टान्त 3.6—स में आपने मुखिया, किसान, पंचायत शिक्षक, प्रोफेसर व पत्रकार के बीच होने वाले संवादों के माध्यम से राजनीति, समाज व शिक्षकों के दृष्टिकोणों के मध्य फर्क व उनके संघर्ष को समझा। अतः शिक्षा, शिक्षण व विद्यालय के आधारों को समझने के लिये हमें उन समस्त दृष्टिकोणों को समझना होगा। सरकारी विद्यालयों को 'उनका विद्यालय' मानने की मानसिकता के पीछे के कारणों को भी आपने दृष्टान्त के माध्यम से समझा। मध्याह्न भोजन योजना के पिछड़े तथा तथाकथित अगड़े वर्ग के लिये अलग—अलग सामाजिक मायनों को भी आपने समझा। विद्यालय तथा समाज के बीच बढ़ती दूरियों व प्राइवेट विद्यालयों में सरकारी आदेश से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के होने वाले प्रवेश और उन विद्यालयों में उनके साथ किये जाने वाले व्यवहारों की वास्तविकता को भी आपने समझा। दृष्टान्त के संवादों का निहितार्थ शिक्षा, शिक्षण व विद्यालयीय व्यवस्था में व्याप्त समस्याओं के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनैतिक आधारों

की व्यापक समझ विभिन्न पक्षों, मुद्दों व मतों के संदर्भ में विकसित करना है। अतः जब हम उपर्युक्त के संदर्भ में अपनी समझ बना रहे हों तो सभी प्रकार के विचारों व भावनाओं को महत्व देना होगा।



क्रियाकलाप

- क्या सभी विद्यालयों में एक ही प्रकार की सांस्कृतिक-राजनीतिक प्रक्रिया चलती है या अलग-अलग संदर्भों में उनमें काफी भिन्नताएं होती हैं। आपने आज तक जितने विद्यालयों को अनुभव किया है, उनके आधार पर विश्लेषण करें।
- अपने आस-पास के किन्हीं दो विद्यालयों के आर्थिक स्थिति से सम्बंधित कुछ आंकड़ों को जुटाएं और उनका विश्लेषण करें।
- सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों में चलनेवाली सामाजिक-सांस्कृतिक प्रक्रिया की तुलनात्मक विश्लेषण करें।



वीडियो देखने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें



<https://www.youtube.com/watch?v=kZcwYGTllul>



3.7 समेकन तथा सीखने-सिखाने में सहयोगी ई-संसाधन

इस इकाई के माध्यम से हमने समझा कि विद्यालय परवर्ती समाजीकरण का एक अहम संस्था है। विद्यालय तथा समाज के परस्पर सहयोग के माध्यम से ही समाजीकरण की प्रक्रिया बेहतर हो सकती है। विद्यालय में चलने वाली औपचारिक पाठ्यचर्या और साथ-साथ अनौपचारिक गतिविधियों व व्यवहारों के माध्यम से समाजीकरण की प्रक्रिया संचालित होती है। चूँकि विद्यालय भिन्न-भिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक परिवेश में स्थापित है अतः उनके संश्लेषण का स्वरूप भी भिन्न-भिन्न है। इसलिए एक शिक्षक के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने विद्यालय को वहाँ के परिवेश के अनुरूप समझे व तदनुरूप वहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ व व्यवहार को विकसने का वातावरण तैयार करे।

इकाई की विस्तृत समझ के लिए निम्नलिखित ई-संसाधनों का भी उपयोग जरूर करें :

- इकाई के विषयवस्तु पर निर्मित आई.सी.टी. / ऑडियो-विजुअल / एनिमेशन सामग्री।
- प्रारम्भिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों पर आधारित डिजिटल सामग्री, जो इस इकाई से सम्बंधित हों।
- इकाई के विषयवस्तु से सम्बंधित फिल्म, डॉक्युमेंटरी, प्रेजेन्टेशन, वेब-रिसोर्स, ओपेन रिसोर्स, आदि।



3.8 स्वमूल्यांकन

1. शिक्षा और विद्यालय के अंतर्सम्बंधों का विश्लेषण करें। इस संदर्भ में कुछ उदाहरणों को भी प्रस्तुत करें।

2. विद्यालय में समाजीकरण के विभिन्न कारकों की चर्चा करें। उन कारकों के प्रभावों का सोदाहरण उल्लेख करें।
3. विद्यालय की शैक्षिक प्रक्रिया के सांस्कृतिक आधारों का विश्लेषण करें।
4. विद्यालय की प्रक्रिया को राजनीतिक घटक किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। उदाहरणों के माध्यम से विश्लेषित करें।
5. विद्यालय की गतिविधियों कस उसकी आर्थिक स्थिति से क्या सम्बंध हो सकता है? इसका बच्चों की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? उदाहरणों के माध्यम से समझाएं।

इकाई

4

शिक्षा और ज्ञान : विविध परिप्रेक्ष्यों की समझ

- 4.1 परिचय
- 4.2 उद्देश्य
- 4.3 पूर्व अनुभव
- 4.4 शिक्षा की अवधारणात्मक समझ
 - 4.4.1 शिक्षा के आधारों की समझ
 - 4.4.2 शिक्षा के उद्देश्य एवं मूल्यों की समझ
 - 4.4.3 विद्यालय में शिक्षा की प्रकृति
- 4.5 ज्ञान की अवधारणात्मक समझ
 - 4.5.1 ज्ञान की अवधारणा से सम्बंधित दार्शनिक परिप्रेक्ष्यों की समझ
 - 4.5.2 ज्ञान के विविध स्वरूप एवं अर्जन के तरीकें
- 4.6 समेकन तथा सीखने—सिखाने में सहयोगी ई—संसाधन
- 4.7 स्वमूल्यांकन



4.1 परिचय

ज्ञान जीवन का आधार है जिसे प्राप्त करने की प्रक्रिया ही वास्तव में शिक्षा है। व्यक्ति जहाँ एक ओर अपने शारीरिक पक्ष के देखभाल के लिए भोजन पर निर्भर करता है, वही दूसरी ओर वह अपनी तरह के दूसरे व्यक्तियों के साथ गतिशील संबंधों की एक प्रणाली विकसित करता है। यह उसके सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के रूप में पहचानी जाती है। वास्तव में मानव का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास शिक्षा द्वारा संभव हो पाता है। शिक्षा के द्वारा ही नये विचार, ज्ञान, अनुभवों तथा जीवन के विभिन्न नये रूपों का अदान-प्रदान होता है। शिक्षा के द्वारा ज्ञान, अनुभव एवं कौशल का विकास होता है तथा फलस्वरूप व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन का पुनर्निर्माण होता है। इस तरह शिक्षा जीवन की मुख्य क्रिया है पर यह समाज, समुदाय, परिवेश, परिस्थिति अथवा व्यक्ति विशेष के संदर्भ में परिवर्तनशील भी है। यही कारण है कि जब शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य या प्रकृति पर चर्चा होती है तब शिक्षा से संबंधित बहुत सारे विमर्श एक दूसरे के समानांतर खड़े हो जाते हैं। साथ ही विद्यालय में शिक्षायी प्रक्रियाओं को विभिन्न मान्यताओं एवं दृष्टिकोणों से निरंतर रूबरू होना होता है जिनके पीछे भी कई ज्ञानमीमांसीय आधार होते हैं। इसमें प्रश्नों एवं उनके उत्तर को उनके बुनियादी मान्यताओं व विचारों के संदर्भ में समझा जाता है। इस तरह क्या सीखा या क्या सिखाया जाये? इत्यादि के बुनियाद में ज्ञान के मुद्दे अन्तर्निहित होते हैं और इन्हें ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण से समझना अति महत्वपूर्ण है जो स्वयं में गतिशील हैं। दूसरे अर्थों में शिक्षा से संबंधित विमर्श या सरोकार बहुत हद तक इसके अर्थ एवं उद्देश्यों की वर्तमान जीवन में प्रासंगिकता तथा नये अर्थ की आवश्यकता से प्रभावित होते हैं। एक शिक्षक को उनके परिप्रेक्ष्य में अपनी शिक्षायी प्रक्रिया को विकसित करने हेतु शिक्षा के विभिन्न ज्ञानमीमांसीय एवं दार्शनिक पक्षों को अपने विद्यालयी प्रक्रियाओं में यथोचित रूप से शामिल करना होता है।



4.2 उद्देश्य

इस इकाई के माध्यम से आप :

- शिक्षा के विभिन्न दृष्टिकोणों एवं आधारों से परिचित होकर उनका विश्लेषण कर सकेंगे।
- शिक्षा के उद्देश्यों, मूल्यों तथा प्रकृति के संबंध में विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों की मान्यताओं एवं तर्कों की शिक्षाशास्त्रीय विवेचना कर पाएंगे तथा उसके आलोक में शिक्षायी रणनीति तैयार कर सकेंगे।
- ज्ञान की अवधारणा से सम्बंधित दार्शनिक पहलुओं पे
- विश्लेषण कर सकेंगे।
- ज्ञान को प्राप्त करने के विभिन्न साधनों व माध्यमों की सामान्य समझ विकसित कर सकेंगे तथा विद्यालय में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में उनका विश्लेषण कर सकेंगे।

4.3 शिक्षा की अवधारणात्मक समझ

हमारे दैनिक जीवन के हर कार्य को करने के लिए किसी न किसी प्रकार के शिक्षा और ज्ञान की आवश्यकता होती है। अतः हमारे जीवन में इनका इस्तेमाल हर रोज होता है।

यह हो सकता है कि उनके स्वरूपों को हम नहीं पहचानते हो, क्योंकि उनका प्रयोग हम अलग-अलग नहीं करते हैं। इस इकाई को प्रभावी तौर से समझने के संदर्भ में आपके उन अनुभवों का विशेष महत्व है।



4.4 शिक्षा की अवधारणात्मक समझ

शिक्षा शब्द का बहुत ही सीधा-सादा और सरल अर्थ है—सीखना-सिखाना। परन्तु आपने लक्ष्यों, सीखने-सिखाने की प्रक्रियाओं, कार्यों, अपेक्षाओं, प्रभावों और वास्तविकताओं के परिप्रेक्ष्य में यह एक बहुत ही व्यापक और साथ ही, जटिल प्रक्रिया है। इसे एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है, परन्तु इसके उद्देश्यों का स्वरूप इतना उलझा हुआ और अस्पष्ट रहता है कि अंततः यह एक उद्देश्यहीन प्रक्रिया बन कर रह जाती है। जहां इससे एक ओर इतिहास की धरोहर को संभाले रखने की अपेक्षा की जाती है, वहीं दूसरी ओर, माना जाता है कि यह वर्तमान का पथ आलोकित करे परन्तु इसकी दृष्टि किसी अज्ञात पथ की ओर हो, यानि इसका स्वरूप भविष्यद्रष्टा हो। इसी प्रकार जहां एक ओर इसे व्यक्ति के विकास के सशक्त माध्यम के रूप में देखा जाता है, वहीं सामाजिक विकास का साधन भी यही मानी जाती है। एक ओर इसे अपने आस पास की भौगोलिक परिस्थितियों से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, तो दूसरी ओर, अंतर्राष्ट्रीय समझ, सहयोग व शांति की जिम्मेवारी भी इसी के कंधे पर रहता है।

वस्तुतः शिक्षा के क्षेत्र की 'दिशाएं व धाराएं' इतनी व्यापक एवं बहु आयामी हैं कि इन्हें किसी एक दिशा व धारा में बांधना अथवा परिभाषित करना कठिन है। प्रत्येक समाज अपनी अपेक्षाओं, अपने लक्ष्यों अथवा जीवन-दर्शन के अनुसार इसे परिभाषित करता है। इसकी प्रकार मानव की प्रकृति, क्षमताओं अथवा योग्यताओं के स्वरूप अथवा उनसे की जानेवाली अपेक्षाओं के अनुकूल भी इसे परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है।

कोई शिक्षा को अत्यंत व्यापक दृष्टि से देखता है, तो कोई अत्यंत संकुचित दृष्टिकोण से। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति जीवन के उद्देश्यों को अपने दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है। उसका जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण अपने अनुभवों पर निर्भर करता है। शिक्षा जीवन के इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन मानी जाती है। मनुष्य जन्म से अंत तक कुछ न कुछ सीखता ही नहीं सिखाता भी रहता है। वह क्षण प्रतिक्षण नए-नए अनुभव प्राप्त करता व करवाता रहता है जिससे उसका दिन-प्रतिदिन का व्यवहार भी प्रभावित होता रहता है। उसका यह सीखना व सिखाना विभिन्न समूहों, उत्सवों, पत्र-पत्रिकाओं, दूरदर्शन आदि से अनौपचारिक रूप में होता है। इस प्रकार सीखना-सिखाना अनौपचारिक सीखना-सिखाना कहलाता है, तथा यही शिक्षा का व्यापक अथवा विस्तृत अर्थ है। जब बच्चा औपचारिक

कक्षाओं में निश्चित समय में निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर अनेक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करके सीखता है, तब उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसे शिक्षा का संकुचित अर्थ माना जाता है।

यहां यह भी स्पष्ट है कि शिक्षा, समाज में चलनेवाली, समाज के लिए व समाज के द्वारा ही निर्धारित होनेवाली प्रक्रिया है। और, समाज परिवर्तनशील एवं गतिशील है। अतः शिक्षा भी एक गतिशील व परिवर्तनशील प्रक्रिया मानी जाती है। यही कारण है कि शिक्षा को किसी अंतिम रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। तथापि कुछ सामान्य प्रवृत्तियों के आधार पर इसे परिभाषित किया गया है। ये परिभाषाएं वैयक्तिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, आदि दृष्टियों से भिन्न-भिन्न संदर्भों में की गई हैं। दूसरे शब्दों में इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि सामान्य तौर पर शिक्षा की व्याख्या अथवा स्पष्टता अपने-अपने अनुभवों पर आधारित विभिन्न चिंतनधाराओं, विचारधाराओं के परिप्रेक्ष्य में की जाती रही है। एक ही समय में अलग-अलग विचारधाराओं के कारण शिक्षा के स्वरूप को निश्चितरूप से एक बंधे-बंधाए ढांचे में नहीं बांधा जा सकता। यही कारण है कि विभिन्न विचारकों के अनुसार शिक्षा को किसी एक निश्चित परिभाषा में नहीं ढाला जा सकता अपितु अलग-अलग प्रकार से, इसकी व्याख्या भी अलग-अलग परिप्रेक्ष्यों में अनेक प्रकार से की गई है। कहीं इसे शब्दार्थ की दृष्टि से, तो कहीं इसे लक्ष्यों, कार्यों, प्रक्रियाओं, अथवा सीमाओं की दृष्टि से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इस सबके बाद भी इतना सा लगभग निश्चित है कि यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। यद्यपि इसका कोई अंतिम रूप निर्धारित नहीं किया जा सकता तथापि प्रत्येक समाज अपनी भावी पीढ़ी व समाज के विकास के परिप्रेक्ष्य में इसका रूप निर्धारित करते रहने का प्रयास निरन्तर करते रहता है।



क्रियाकलाप

शिक्षा की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और यह विश्लेषण करें कि उनका फोकस शिक्षा के किस परिप्रेक्ष्य पर है:

1. “मनुष्य की भीतरी पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है”

— विवेकानन्द

2. "शिक्षा बच्चे के शरीर, मन एवं आत्मा में विद्यमान श्रेष्ठ तत्वों का पूर्ण विकास है"
— महात्मा गांधी
3. "शिक्षा नए समाज को बनाने की एक प्रक्रिया है"
— संत विनोबा भावे
4. "शिक्षा मनुष्य के मष्तिष्क के संपूर्ण विकास का नाम है"
— डा. जाकिर हुसैन
5. "शिक्षा व्यक्ति की सृजनात्मक शक्ति को खोलने की कुंजी है"
— के.जी. सैयदीन
6. "शिक्षा मनुष्य के नैतिक विकास का साधन है"
— डॉ. राधाकृष्णन
7. "शिक्षा व्यक्ति के समन्वित विकास की प्रक्रिया है"
— जे. कृष्णमूर्ति
8. "शिक्षा सत्य को खोजने का मार्ग है"
— सुकरात
9. "शिक्षा व्यक्ति की उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रखकर अपने उतरदायित्वों का निर्वाह कर सके"
— जान ड्यूई
10. "शिक्षा व्यक्ति को दूरदर्शी, साहसी, बुद्धिमान बनाने का साधन है"
— विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49
11. "शिक्षा बच्चों को व्यावहारिक जीवन जीने की कला सीखने की प्रक्रिया है"
— माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53
12. "शिक्षा राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक विकास का शक्तिशाली साधन है। शिक्षा राष्ट्रीय संपन्नता एवं राष्ट्र कल्याण की कुंजी है"
— राष्ट्रीय शिक्षा आयोग-1964-66

उपरोक्त चर्चाओं एवं क्रियाकलाप के आधार पर हम शिक्षा की अवधारणा के बारे में सार रूप से यह कह सकते हैं कि —

- शिक्षा एक प्रक्रिया है
- यह प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण है

- मूलरूप से ये उद्देश्य परिवर्तन तथा विकास सम्बंधी हैं।
- यह परिवर्तन तथा विकास वैयक्तित अथवा समाज संबंधी हो सकता है।
- यह प्रक्रिया सुनियोजित अर्थात औपचारिक अथवा सहज अर्थात अनौपचारिक रूप से चलनेवाली हो सकती है।



क्रियाकलाप

अपने आस-पास के समुदाय के लोगों से चर्चा करें कि उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है? खासकर उपेक्षित समुदाय के लोगों से बातचीत करके यह जानने का प्रयास करें कि वे किस प्रकार की शिक्षा को बेहतर मानते हैं? अंत में यह विश्लेषित करें कि समाज में शिक्षा के बारे में क्या-क्या अवधारणाएँ हैं।

4.4.1 शिक्षा के आधारों की समझ

शिक्षा की अवधारणा को समझने के साथ-साथ यह समझना भी जरूरी है कि वे कौन से तत्व हैं जो इसे आधार प्रदान करते हैं। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है— वे कौन-कौन से विषय हैं जिनसे शिक्षा नामक प्रक्रिया अपने विभिन्न अंगों जैसे शिक्षा के उद्देश्य, बुनियादी ज्ञान, शिक्षण विधियाँ, पाठ्यसहगामी, आदि के लिए सहायता लेती हैं। अर्थात वे कौन-कौन से विषय हैं जिनके माध्यम से 'शिक्षा क्या है?', 'शिक्षा कैसी होनी चाहिए?', 'शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं अथवा कैसे होने चाहिए?', 'शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे किया जाता है?', आदि प्रश्नों को सम्बोधित किया जाता है।

हालांकि, शिक्षा एक ऐसा ज्ञानानुशासन है जिससे कोई भी विषय अछुता नहीं है। लेकिन, यदि हम इसके आधारों की बात करें तो कुछ प्रमुख विषय अवश्य उभर कर आते हैं जिसके आधार पर 'शिक्षा' अपनी सैद्धांतिक जमीन तैयार करती है। इनमें चार प्रमुख विषय हैं—मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र और इतिहास। इनकी संक्षिप्त चर्चा आगे की जा रही है ताकि आप शिक्षा में इनकी भूमिका से परिचित हो सकें।

शिक्षा के आधार के रूप में मनोविज्ञान

जरा विचार कीजिए कि अगर कोई शिक्षक पढ़ाते समय अपने विद्यार्थी की रुचियों, योग्यताओं, समस्याओं, मानसिक स्तर अथवा उसके अन्य पक्षों का ध्यान नहीं रखता या नहीं जानता तो क्या सीखने-सिखाने की क्रिया पूरी तरह सफल हो सकती है? शायद नहीं।

इसलिए शिक्षक के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह अपने विद्यार्थी की रुचियों, योग्यताओं, मानसिक स्तर आदि को भली-भांति समझे। जब तक वह बच्चे के विकास के अनेकोनेक पहलुओं को भली-भांति नहीं समझेगा, वह अपने पढ़ाने की प्रक्रिया में पूरी तरह से सफल नहीं हो सकेगा। बच्चे की ये रुचियाँ, क्षमताएँ, मानसिक स्तर, आदि बच्चे के मनोवैज्ञानिक पक्ष हैं। अतः कहा जाता है कि शिक्षा के उद्देश्य तय करते समय, शिक्षण विधियों को अपनाते/चुनते समय, और पाठ्यक्रम की सामग्री बनाते समय शिक्षक को बच्चे के मनोवैज्ञानिक पक्षों का ध्यान रखना पड़ता है। इस तरह शिक्षा और मनोविज्ञान में गहरा सम्बंध है। वास्तव में आज की शिक्षा को बालकेन्द्रित शिक्षा माना जाता है। इसका यही भाव है कि शिक्षा की प्रक्रिया लागू करते समय बच्चे के मनोवैज्ञानिक पक्षों को केन्द्र में रखना चाहिए अर्थात् उनकी रुचियों, योग्यताओं, समस्याओं आदि का ध्यान रखना चाहिए।

एक प्रसिद्ध कथन है—“एक संपूर्ण बच्चा विद्यालय आता है”। इसका समान्य अर्थ यही है कि जब बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय आते हैं तो वे अपने साथ-साथ अपनी रुचियों, क्षमताओं, समस्याओं, मानसिक स्तर को साथ लाते हैं। हर बच्चा अपने इन मनोवैज्ञानिक पक्षों में दूसरे से भिन्न होता है। हर बच्चे के अनुभव दूसरे बच्चों के अनुभवों से अलग होते हैं। अतः शिक्षा का सामान्य कार्य है, बच्चे का बहुमुखी विकास करना या उसकी मूल प्रवृत्तियों, आवश्यकताओं, आदि में संशोधन करना। यानि बच्चे में जो योग्यताएँ हैं, उसकी जो रुचियाँ, आदि-आदि उन्हीं का विकास अथवा संशोधन करना। इस तरह शिक्षा बच्चे के मनोवैज्ञानिक पक्षों का ही विकास व संशोधन है। इसीलिए शिक्षा में मनोविज्ञान ज्ञानानुशासन से वैसे सिद्धांतों एवं विषयवस्तुओं को अपनाया गया है जिनके आधार पर बच्चों के व्यक्तित्व एवं उनके सीखने-सिखाने की प्रक्रिया की सैद्धांतिक समझ बन सके। आप इस डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की पाठ्यचर्या का विश्लेषण करेंगे तो इसके विभिन्न विषयपत्रों में आपको मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की चर्चा मिलेगी, उदाहरण के तौर पर—बाल विकास और सीखना, भाषा और शिक्षा, आदि।



क्रियाकलाप

अपने डी.एल.एल. पाठ्यचर्या-पाठ्यक्रम तथा विद्यालयी पाठ्यपुस्तकों के उन विषयवस्तुओं की पहचान करें जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलू से जुड़े हुए हैं। उनकी सूची बनाएं और अध्ययन केन्द्र पर चर्चा करें।

शिक्षा के आधार के रूप में समाजशास्त्र

इसमें दोराय नहीं है कि किसी भी समाज की संरचना, उसकी जरूरतें, उसमें उपलब्ध अलग-अलग तरह के स्रोत ही उस समाज की शिक्षा की नीति की आधारभूमि तय करते हैं। कहा भी जाता है, शिक्षा का रूप वैसा ही होता है जैसा हमारा समाज है और जैसा समाज हम बनाना चाहते हैं। असल में शिक्षा प्रक्रिया के तीनों ही प्रमुख अंग-विद्यार्थी, शिक्षक तथा पाठ्यक्रम सभी समाज के ही अंग हैं। शिक्षा के उद्देश्य समाज की जरूरतों के अनुसार तय किए जाते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया के विभिन्न अंग निरंतर ही समाज के स्वरूप से प्रभावित होते रहते हैं। शिक्षण की सामग्री का निर्माण तथा शिक्षण पद्धतियां समाज के स्वरूप पर ही निर्भर करती हैं। शिक्षा के स्वरूप में आनेवाले परिवर्तन भी समाज की बदलती जरूरतों पर निर्भर हैं। शिक्षा के स्वरूप में आनेवाले परिवर्तन भी समाज की बदलती जरूरतों पर निर्भर करते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया जहां एक ओर वर्तमान की स्थितियों से तथा भावी स्वरूप से प्रभावित होती है या बदलती है वहीं उस समाज की संस्कृति से नियंत्रित भी होती है। यही कारण है कि शिक्षा की प्रक्रिया को एक सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है।

असल में सामाजिक परिस्थितियों को छोड़कर शिक्षा की कल्पना भी दूभर होती है। क्योंकि शिक्षा प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जानेवाली सारी सामग्री समाज से ही आती है। यदि थोड़ा और गहराई से सोचा जाए तो स्पष्ट होगा कि शिक्षा एक प्रकार से समाज से ही निर्देशित होती है। हर समाज अपने रूप को बदलने अथवा इसी रूप में रखने के लिए शिक्षा की योजनाएं बनाता है व उसके लक्ष्यों को तय करता है। जैसे सन 1964-66 में भारत सरकार ने समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा को रूप देने के लिए समाज की अनेक अवस्थाओं और आवश्यकताओं का बहुत

बारीकियों के साथ परीक्षण करके उन्होंने उस समय भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित किया था। इसमें तीन प्रमुख बातें थीं— राष्ट्र की एकता, राष्ट्र के विकास के लिए अधिक से अधिक उत्पादन ताकि समाज की जरूरतें पूरी की जा सकें, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण ताकि लोगों में तर्कशक्ति पनप सके। इसी तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति—1986 की समीक्षा हेतु 1990 में गठित आचार्य राममूर्ति समिति ने अपने प्रतिवेदन का नाम 'प्रबुद्ध और मानवीय समाज की ओर' रखा। इस नाम से भी इस बात की ओर इशारा मिलता है कि शिक्षा का लक्ष्य सूझबूझ वाले तथा इंसानियत को जानने व समझनेवाले लोगों को बनाना है।

शिक्षा और समाज के अंतर्सम्बन्धों को समझने में समाजशास्त्रीय सिद्धांतों और विषयवस्तुओं से खासी मदद मिलती है। समाज में बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया हो, या फिर असमानता, वंचना, सामाजिक न्याय, समावेशी समाज, आदि, शिक्षा में इन सब की सैद्धांतिक समझ का आधार हमें समाजशास्त्र से मिलता है। यदि कहा जाए तो शिक्षा के सामाजिक—सांस्कृतिक आयामों को समझने में समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्यों की विशेष जरूरत होती है।



क्रियाकलाप

अपने डी.एल.एल. पाठ्यचर्या—पाठ्यक्रम तथा विद्यालयी पाठ्यपुस्तकों के उन विषयवस्तुओं की पहचान करें जो शिक्षा के समाजशास्त्रीय पहलू से जुड़े हुए हैं। उनकी सूची बनाएं और अध्ययन केन्द्र पर चर्चा करें।

शिक्षा का दार्शनिक आधार

दर्शनशास्त्र का प्रमुख कार्य शिक्षाशास्त्र को एक बौद्धिक आधार देना है। कोई भी शिक्षा व्यवस्था तब तक पूर्ण या प्रभावशाली नहीं हो सकती जब तक वह सुव्यवस्थित दार्शनिक चिंतन पर आधारित न हो। यह शिक्षा को एक 'तार्किक—चिंतन' का आधार प्रदान करता है। इस दृष्टि से शिक्षा सम्बंधी विभिन्न आयामों को एक सैद्धांतिक आधार प्रदान करना दर्शनशास्त्र

का प्रमुख लक्ष्य है। यह भी माना जाती है कि 'शिक्षा दर्शन' शिक्षा सम्बंधी 'आत्म चेतना' से प्रेरित 'आलोचनात्मक मीमांसा' है। इसके अंतर्गत शिक्षा सम्बंधी विभिन्न धारणाओं, अवधारणों, संकल्पनाओं अथवा चिंतनों के निहितार्थों की जांच-पड़ताल, विमर्श या खोज की जाती है। सामान्य अनुभवों अथवा विशेष रूप से अपनाई गई दार्शनिक तकनीकों से प्राप्त शिक्षा सम्बंधी सूचनाओं, जानकारीयों या ज्ञान को अधिक स्पष्टता प्राप्त होने लगती है। कारण स्पष्ट ही है कि शिक्षा के उद्देश्यों का सम्बंध व्यक्ति के जीवन लक्ष्यों से गहरे रूप से जुड़ा रहता है। बुनियादी तौर पर 'जीवन लक्ष्य' जीवन दर्शन का ही रूप है।

शिक्षा के दार्शनिक तत्वों के बिना शिक्षा की प्रकृति को समझना मुश्किल है। यह भी माना जाता है कि इसका मूल उद्देश्य 'शिक्षा व्यवस्था' को एक ऐसा ठोस आधार देना है जिसके द्वारा मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं की पहचान करके उन समस्याओं को दूर किया जा सके। इस रूप में दर्शन शिक्षा संबंधी विभिन्न गतिविधियों के आधार के रूप में कार्य करता है। अतः इसके अंतर्गत विभिन्न दार्शनिक मान्यताओं, विचारों अथवा सिद्धांतों के जो शिक्षा-सम्बंधी निहितार्थ होते हैं, उनकी चर्चा रहती है। दर्शन शिक्षा के निम्न प्रकार के प्रश्नों के जवाबों को खोजने में सहायता करता है—

- शिक्षा की प्रकृति क्या है अथवा कैसी होनी चाहिए?
- शिक्षा की सामग्री क्या होनी चाहिए?
- ज्ञान क्या है? ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है?
- ज्ञान की प्रामाणिकता कैसे परखी जाए?
- मूल्य क्या होते हैं? उनकी शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए?

ऐसे प्रश्नों के स्पष्टीकरण के लिए दर्शनशास्त्र शिक्षा को आधारभूत सामग्री देता है ताकि इन प्रकार के प्रश्नों का उत्तर पाया जा सके। अतः शिक्षा को दर्शनशास्त्र की विभिन्न विचारधाराओं के अंतर्गत उनके तत्व-मीमांसा, ज्ञान-मीमांसा तथा मूल्य-मीमांसा सम्बंधी मान्यताओं पर निर्भर रहना होता है। लेकिन, शिक्षा में दर्शन के प्रयोग का प्रश्न एक एकांगी प्रश्न नहीं है। यह अन्य अनेक सम्बद्ध विषयों के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य की अपेक्षा भी करता है। चूंकि शिक्षा एक सामाजिक विषय है, परिणामतः इसकी प्रकृति अन्तःशास्त्रीय है।



क्रियाकलाप

अपने डी.एल.एल. पाठ्यचर्या-पाठ्यक्रम तथा विद्यालयी पाठ्यपुस्तकों के उन विषयवस्तुओं की पहचान करें जो शिक्षा के दार्शनिक पहलू से जुड़े हुए हैं। उनकी सूची बनाएं और अध्ययन केन्द्र पर चर्चा करें।

शिक्षा के आधार के रूप में इतिहास

यह स्पष्ट है कि शिक्षा को एक सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में देखा गया है, जिसकी जड़े इतिहास से सिंचित होती रहती हैं। इसलिए शिक्षा स्वयं में एक 'ऐतिहासिक' विषय है। इसके इतिहास के विश्लेषण से ही हम जान पाते हैं कि विभिन्न राजनैतिक, आर्थिक या सामाजिक-सांस्कृतिक परिघटनाओं के कारण शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार निरन्तर परिवर्तित होता रहा है। आज जिसे शिक्षा माना जाता है, उसमें कई सदियों के दौरान चल आ रही शैक्षिक चिंतन एवं गतिविधियों के प्रभावों का समावेश है। अतः वर्तमान में शिक्षा की स्थिति को समझने के लिए इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों को जानना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, यदि शैक्षिक नीतियों का ही विषय लें तो इनमें राजनैतिक-सामाजिक परिस्थितियों के कारण निरन्तर परिवर्तन आते रहे हैं, इसकी सैद्धांतिक समझ के लिए शिक्षा के इतिहास का आधार जरूरी है। लेकिन, इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी, विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि शिक्षक-शिक्षा की पाठ्यचर्या में शिक्षा के ऐतिहासिक आधारों का समावेश बहुत ही सीमित दृष्टिकोण से होता रहा है।

इस डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में यह प्रयास किया गया है कि शिक्षा के ऐतिहासिक आधार को व्यापक एवं जीवन्त रूप से सम्बोधित किया जाए। आपके इसके विभिन्न विषयों में शैक्षिक इतिहास की समझ को पाएंगे, जैसे-विद्यालय और शिक्षा नीति, शिक्षा का साहित्य, आदि।



क्रियाकलाप

अपने डी.एल.एल. पाठ्यचर्या-पाठ्यक्रम के उन विषयवस्तुओं की पहचान करें जो शिक्षा के ऐतिहासिक पहलू से जुड़े हुए हैं। उनकी सूची बनाएं और अध्ययन केन्द्र पर चर्चा करें।

4.4.2 शिक्षा के उद्देश्यों एवं मूल्यों की समझ

जब हम किसी से यह पूछते हैं अथवा स्वयं विचार करने बैठते हैं कि 'शिक्षा का उद्देश्य क्या है' तब हमारे समक्ष कई प्रश्न उभर कर आते हैं, जैसे—समाज के किस कार्य को इससे अछूता छोड़ा जाय, क्या हम शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित कर सकते हैं, शिक्षा के उद्देश्य क्या समाज के उद्देश्यों से भिन्न है, इत्यादि। शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित यही सब सवाल इसे एक विमर्श का विषय बनाते हैं। भारतीय संदर्भ में इन प्रश्नों पर विमर्श के लिए हम भारत के संविधान जैसे दस्तावेज का सहारा लेते हैं। पर साथ में हमें यह भी समझना होगा कि संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, समानता और न्याय के मूल्यों को लेकर भी लोगों की समझ अलग-अलग हो सकती है। अतः इस संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा करना भी अति जटिल है।

शिक्षा के उद्देश्यों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है—व्यक्तिपरक व समाज की संरचना के स्तर पर। अर्थात् लोगों की शिक्षा कही जाने वाली प्रक्रिया से अपेक्षा हो सकती है कि उससे एक खास प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण होगा। वहीं, यह उम्मीद भी हो सकती है कि एक प्रकार की शिक्षा व्यवस्था से एक खास तरह के समाज को बनाने में सहायता मिलेगी। यहां शिक्षा व्यवस्था से तात्पर्य सिर्फ विद्यालय मात्र नहीं है बल्कि समाज की सभी संस्थाएं हैं जो व्यक्ति के संपर्क में आती हैं। अकसर हम स्कूली व्यवस्था को जरूरत से ज्यादा प्रभावशाली मान लेते हैं। अगर हम यह भी माने कि स्कूलों में सभी शिक्षक और पूरा माहौल एक विशेष दर्शन से पूरी तरह संचालित है, तो भी हमें याद रखना चाहिए कि व्यक्तित्व पर असर डालने वाले और भी कई महत्वपूर्ण कारक हैं। साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि 'क्या स्कूल और शिक्षा पर्यायवाची हैं?' जब कोई यह कहता है

कि आज स्कूलों में वैसा वातावरण नहीं है या शिक्षक-विद्यार्थी संबंध वैसा नहीं है जैसे पहले थे, तो वह एक स्तर पर यही आलोचना कर रहा है कि स्कूलों में जो हो रहा है उसे वह शिक्षा नहीं मानना चाहता। 'शिक्षा' शब्द एक सराहनीय प्रक्रिया के लिए प्रयोग होता है। इसलिये हमारे पास 'कुशिक्षा' या 'खराब शिक्षा' जैसे शब्द भी हैं। शिक्षा जैसी प्रक्रिया के बारे में सिर्फ शिक्षा विचारक ही नहीं बल्कि आम इंसान भी एक राय रखता है। उसका प्रमुख कारण तो यही है कि वो भी उसमें भागीदार है और उससे प्रभावित भी है। शिक्षा कैसे सबकी चिंता का विषय है यह इससे स्पष्ट होता है कि अकसर किसी प्रशिक्षित शिक्षक के पढ़ाने को लेकर उसके विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों की राय अलग-अलग हो सकती है। हो सकता है कि एक शिक्षिका रोज अपनी कक्षा को बाहर खेलने ले जाती हो पर विद्यार्थियों के अभिभावकों की अपेक्षा के हिसाब से यह एक निरर्थक गतिविधि हो। अतः शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रति भी कोई एक आदर्श समझ नहीं हो सकती। इनको समझने के भी विभिन्न दार्शनिक आधार हो सकते हैं।

चिंतन के बिन्दु :

आप विचार करें कि क्या नीचे दिए बिन्दू शिक्षा के उद्देश्य हो सकते हैं। आप इनसे कहां तक सहमत हैं। आप इसमें और कौन-कौन से उद्देश्यों को जोड़ना चाहेंगे।

- शिक्षा का उद्देश्य प्रेरणा देना और सीखने के अवसरों में वृद्धि करना, जिससे बच्चों में ज्ञानार्जन की कला का विकास हो सके।
- बच्चों में सतत नवीन ज्ञान हासिल करने की भावना को प्रश्रय देना, जिससे वे परिस्थितियों से सामंजस्य बना सकें।
- बच्चों में ज्ञान के अतिरिक्त विभिन्न कुशलताओं एवं वांछित मूल्यों का विकास करना।
- बच्चों में स्व-चिन्तन तथा जिम्मेदारीपूर्ण आचरण का विकास।
- उनमें सौन्दर्यबोध विकसित करना, जिससे वे अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति सम्मान का भाव रख सकें।
- सत्यनिष्ठा, ईमानदारी तथा आत्मविश्वास का विकास
- सामाजिक मूल्यों का संवर्धन

- लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेशन, जिससे एक समतामूलक समाज की स्थापना हो सके
- अपने और दूसरों के धर्म के प्रति समरसता के भाव का विकास
- अपने राज्य एवं देश के विविधता की समझ और उनके प्रति आदर का भाव
- परम्पराओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर आवश्यकतानुसार अपने जीवन शैली में स्थान देना
- समाज में व्याप्त समस्याओं का साहस और धैर्य के साथ सामना करना न कि उनसे हार मान लेना
- स्वयं एवं प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना, एवं पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना जिससे उसके संरक्षण की व्यवस्था की जा सके
- समाज में सामंजस्य बनाना, जिससे एक शांतिपूर्ण एवं अहिंसात्मक समाज का निर्माण किया जा सके

एक लम्बे समय तक माना जाता रहा है कि शिक्षा छात्रों एवं शिक्षकों के बीच के अंतः क्रिया की दो ध्रुवीय प्रणाली है, जिसका एक ध्रुव सीखने वाला छात्र तथा दूसरा ध्रुव सिखाने वाला शिक्षक होता है। मानव जीवन के प्रारम्भिक काल में जब जीवन अपेक्षाकृत सरल था तो समान्यतः शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया ही रही होगी। आज भी हम गाँवों में सहज तथा समान्य समूह में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया एवं बातचीत में सीखने-सीखाने की प्रक्रिया को सम्पन्न होते देख सकते हैं। परन्तु मानव जीवन के जटिलतर स्तर पर ज्ञान, मूल्य एवं अनुभवों से सीखने-सिखाने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत विशिष्ट हो जाती हैं। उसके लिए नये एवं औपचारिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है जिसमें न केवल सीखने तथा सीखाने वाले के अधिकार या भूमिका पूर्व में ही तय होती है, बल्कि क्या सिखाया जाय कैसे सिखाया जाय तथा कहाँ सिखाया जाय यह भी पहले ही तय हो जाता है। कई बार नियम तथा विषयवस्तु तय करने वाले सीखने-सिखाने वालों से भिन्न होते हैं। इस तरह यह प्रक्रिया तीन-ध्रुवीय हो जाती है जिसके पहला ध्रुव छात्र, दूसरे ध्रुव पर शिक्षक तथा तीसरे पर समाज होता है। इन अर्थों को एक साथ रखकर शिक्षा के अर्थ को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिससे बच्चों का अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी दोनों योग्यताओं एवं क्षमताओं का विकास होता है।

विमर्श के बिन्दु

- आपके अनुसार क्या शिक्षा महज एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है?
- क्या शिक्षा को ध्रुवीय गतिविधि के रूप में मानना चाहिए अथा इसको अंतक्रियात्मक गतिविधि के रूप में बढ़ावा दिया जाना चाहिए?
- क्या शिक्षा के लिए किसी अन्य व्यक्ति का होना अति आवश्यक है?
- क्या शिक्षा सिर्फ विद्यालय तक ही सीमित है?

बहुत से शिक्षाशास्त्रीयों का मानना है कि शिक्षा केवल विद्यालय शिक्षण तथा प्रशिक्षण तक ही सीमित न होकर बच्चों में जीवन के सम्पूर्ण अनुभवों से संबंधित होती है। चाहे ये अनुभव विद्यालय के अन्दर हो या विद्यालय के बाहर। शिक्षा मात्र साक्षरता या केवल 3(R) reading, writing, & recoding नहीं है बल्कि सम्पूर्ण क्रियाओं एवं गतिविधियों तथा समस्त स्थानिक-कालिक परिसर में गतिशील होती हैं अर्थात् विद्यालय के अतिरिक्त शिक्षा घर, समुदाय तथा समाज द्वारा प्रदत्त विकास के अवसरों तक भी पसरी होती है। एक प्रकार से शिक्षा सामाजीकरण की प्रक्रिया का ही एक दूसरा नाम है। यह कभी सामाजीकरण की एक विशिष्ट प्रक्रिया या कभी सामाजीकरण के समानांतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में समझी जाती है।



क्रियाकलाप

उपरोक्त चर्चा को आधार मानते हुए विचार करें कि क्या नीचे दी गयी गतिविधियां शिक्षा हैं? इस संदर्भ में अपने आस पास के लोगों से चर्चा करें तथा उनके विचारों को सूचीबद्ध करें :

नदी में तैरना	मछली पकड़ना	खेत में कार्य करना
बड़े बुजुर्गों के अनुभव	केवल कहानी की किताबें पढ़ना	बागों में तितली को पकड़ना

वर्षा में बचाव का उपाय खोजना	हस्त कौशल के माध्यम से छोटी-छोटी वस्तुओं का निर्माण	मिट्टी के छोटे-छोटे खिलौनों का निर्माण
------------------------------------	---	---

4.4.3 विद्यालय में शिक्षा की प्रकृति

विद्यालय सीखने-सिखाने की औपचारिक प्रक्रिया का स्थल हैं। समय के साथ-साथ औपचारिक संस्थाओं में भी विविधता आई है। औपचारिक संस्थाओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता सीखने-सिखाने वाले की स्थानिक एवं कालिक निकटता है। ये दोनों एक निर्धारित स्थान एवं समय में एक दूसरे से अन्तः क्रिया करते हैं। इसमें छात्र एवं शिक्षक भौतिक एवं वास्तविक रूप में एक-दूसरे के आमने सामने होते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से अन्तः क्रिया करते हैं। परन्तु शिक्षा की बढ़ती मांग तथा संस्थाओं के स्थानिक सीमाओं को लांघ कर शिक्षा प्राप्त करने की अभिलाषा ने औपचारिक शिक्षा के ताने बाने में परिवर्तन ला दिया। पत्राचार या खुले विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की नई व्यवस्था उभर कर आई जिसमें छात्रों एवं शिक्षकों के बीच प्रत्यक्ष एवं नियमित अंतःक्रिया की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। उदाहरण के लिए, केरल का एक विद्यार्थी बिना मेघालय गये वहाँ के विश्वविद्यालय से कोई भी कोर्स कर सकता है। जिसमें शिक्षक एवं छात्र अप्रत्यक्ष रूप से अध्ययन सामग्री के माध्यम से अंतः क्रिया करते हैं। इस व्यवस्था को गैर औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसके अतिरिक्त

जन संचार क्रांति ने भी गैर औपचारिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाया। काल्पनिक कक्षा ;टपतजनंस ब्लें तववउद्ध तथा ई-लर्निंग या ई-एजुकेशन जैसे शब्द गैर औपचारिक शिक्षा के नए उभरते हुआ अध्याय है।





क्रियाकलाप

नीचे शिक्षा के विभिन्न स्रोत दिए गए हैं। बतायें कि ये शिक्षा की किस प्रक्रिया से जुड़े हैं और पता करें कि उस प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं।

- ऑगन बाड़ी केन्द्र
- परिवार एवं समाज
- ई-लर्निंग या ई-एजुकेशन
- संस्थागत विद्यालय

शिक्षा के उद्देश्यों में आए बदलाव ने शैक्षणिक प्रणाली में ज्ञान प्राप्ति के तरीकों एवं इसमें अध्यापक की भूमिका को नए सिरे से तराशने और समझने की जरूरतों पर बल दिया है। आज हम इस अवधारणा पर बल दे रहे हैं कि शिक्षा बाल केन्द्रित होनी चाहिए। परन्तु आज भी शिक्षक पूरी शिक्षण प्रक्रिया पर हावी रहता है। ज्ञान की प्रक्रिया उन्हीं से शुरू होती और वे ही उसको नियंत्रित करते हैं। कक्षागत शिक्षण प्रक्रिया में उसी का वर्चस्व है। प्राचीन काल में यह वर्चस्व और शक्तिशाली था। वह चाहे तो कुछ लोगों को शिक्षा दे सकता था और चाहे तो कुछ लोगों को वंचित रख सकता था। परन्तु आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इस प्रक्रिया को प्रश्रय देना देश और राज्य के हित में समुचित नहीं समझा जाता।

आधुनिक शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में लगभग सभी शिक्षाविद् एक बालकेन्द्रित शिक्षा व्यवस्था की वकालत करते हैं जहां ज्ञान को प्राप्त करने में विद्यार्थी को पूरी स्वतंत्रता दी जाय तथा शिक्षक एक सहायक के तौर पर उनकी मदद करें। अगर मूल रूप से देखें तो रूसों का प्रकृतिवाद हो या पेस्टोलॉजी का अन्वेषणवाद, फ्रोबेल का किंडरगार्डन पद्धति हो या मारिया मान्टेसरी का मान्टेसरी पद्धति, सबों ने बच्चों को केन्द्र मानते हुए आध्यापकों की सापेक्षिक भूमिका निर्धारित करने का प्रयास किया है। भारतीय संदर्भ की बात करें तो गीजूभाई बधेका, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, कृष्णमूर्ति जैसे अनेक शिक्षाशास्त्रीयों ने अपने अपने तरीकों से ऐसे ज्ञान के निर्माण पर बल दिया है जिसका सृजन बच्चे स्वयं करें। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता

है कि इन समस्त प्रक्रियाओं का सूत्रधार अध्यापक है जो समय, परिस्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न रूपों में परिलक्षित होता है। इस चर्चा से एक बात उभर कर सामने आती है कि शिक्षाशास्त्री चाहे प्रकृतिवादी हो या आदर्शवादी, यथार्थवादी हो या प्रयोगवादी या फिर निर्माणवादी दृष्टिकोण के पक्षधर हों, इस बात को स्वीकार करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान अर्जन करना है। हाँ, यह सही है कि विधियाँ अलग-अलग हो सकती हैं जो, ज्ञान के विभिन्न स्वरूपों की व्याख्या कर सकती हैं या सम्पूर्ण रूप से एक बच्चों के विकास में सहायक हो सकती है।

शिक्षा की स्कूली प्रक्रिया को हम तीन हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। एक विषयगत ज्ञान-समझ (गणित, भौतिकी, इतिहास, भाषा आदि), दूसरा कला-काम का क्षेत्र (तमाम तरह के हुनर चाहे मुख्यतः उपयोगी हों या सुंदर) और तीसरा मूल्यों का। तीनों ही हिस्सों के प्रति हमारा व्यवहार क्या होगा यह हमारी नजर में शिक्षा के उद्देश्य से निर्धारित होगा। यहां यह बात रेखांकित करना आवश्यक है कि आपका दर्शन (सरल शब्दों में, अच्छे समाज व व्यक्ति के बारे में खयाल) ऐसा भी हो सकता है कि आप माने कि एक वर्ग के बच्चों के लिए तो कला की शिक्षा जरूरी है और दूसरे के लिए यह बेकार की चीज या एक तरह के बच्चों को साहसी होना चाहिए और दूसरी तरह के बच्चों को आज्ञाकारी। अपने मन और व्यवहार की पड़ताल करके हम जान सकते हैं कि जिन्हें हम शिक्षा के उद्देश्य कहते हैं क्या वो सबके लिए समान है या अलग-अलग पृष्ठभूमियों के बच्चों के लिए अलग-अलग हैं।



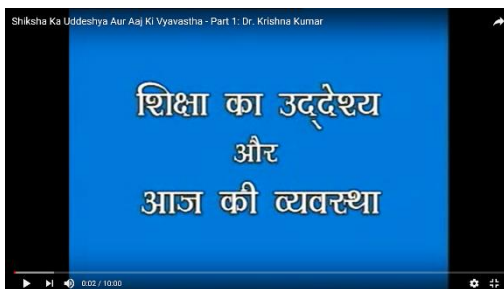
क्रियाकलाप

- आपके विद्यालय में विभिन्न वर्ग, समुदाय, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं। उनके अभिभावक से जानने का प्रयास करें कि उनकी नजरों में विद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। विद्यालय में शिक्षा की प्रक्रिया एक हैं फिर विद्यालय से जुड़े भिन्न समुदायों की शिक्षा को लेकर आकांक्षा, अपेक्षा एवं

व्याख्या अलग क्यों है? अपने अध्ययन केन्द्रों पर चर्चा करें एवं उभरे बिन्दुओं का अभिलेखीकरण करें।



वीडियो देखने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें



<https://www.youtube.com/watch?v=6n3l5ijNZhs>



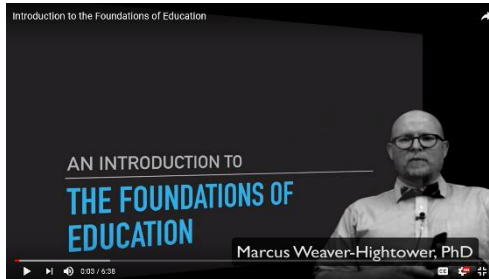
वीडियो देखने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें



https://www.youtube.com/watch?v=lzb_RnhsR_4



वीडियो देखने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें



<https://www.youtube.com/watch?v=hLBBsTzMFJE>



वीडियो देखने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें



<https://www.youtube.com/watch?v=0aOfCwxiE60>

4.5 ज्ञान की अवधारणात्मक समझ

हम ज्ञान किसे कहे, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसका कोई एक मानक परिभाषा नहीं बनायी जा सकती है। हर व्यक्ति के लिए ज्ञान के अलग-अलग मतलब होते हैं। तो विद्यालय में बच्चों एवं शिक्षक या शिक्षिका के लिए ज्ञान क्या है और वैसा क्यों? हमारे लिए इसे जानना जरूरी है। लेकिन, इसके लिए हमें सबसे पहले स्वयं ज्ञान की अवधारणा से परिचित होना होगा। आइए इससे सम्बंधित विभिन्न आयामों का विश्लेषण करते हैं।

4.5.1 ज्ञान की अवधारणा से सम्बंधित दार्शनिक परिप्रेक्ष्यों की समझ

दर्शनशास्त्र को ज्ञान के अध्ययन का शास्त्र कह दिया जाए तो संभवतः कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ज्ञान के अध्ययन के चार प्रमुख आयाम हैं:

- ज्ञान है क्या?
- ज्ञान के साधन क्या हैं?
- 'जाननेवाले' अर्थात् 'ज्ञाता' और ज्ञान के बीच क्या सम्बंध है?
- ज्ञान की सत्यता अथवा असत्यता कैसी परखी जाए?



ज्ञान के इन आयामों का अध्ययन 'ज्ञानमीमांसा' कहलाती है। यह दर्शनशास्त्र की एक प्रमुख शाखा है। इस संदर्भ में यह भी माना गया है कि शिक्षा और ज्ञान का सम्बंध 'अटूट संबंध' है। इस संबंध के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि –

“शिक्षा के लिए ज्ञान की समस्या, जिसकी ज्ञान-मीमांसा विवेचना करती है, उसी प्रकार महत्व की है, जैसी वास्तविकता की। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो यह ज्ञान-मीमांसा ही है जो शिक्षक को यह आश्वासन देती है कि वह जो कुछ अपने विद्यार्थियों को दे रहा है, वह सत्य है। क्या कुछ ऐसे

सिद्धांत हैं जिन पर उस समय विश्वास किया जा सकता है जब वह मानवीय सम्पत्तियों में से सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु अर्थात् ज्ञान के विकास के कार्य में संलग्न हो? या क्या उसे 'अन्तर्ज्ञान, अपने संवेदनों, किसी अमोघ ग्रंथ में श्रद्धा, अपने बड़ों की राय या किसी अन्य ऐसे ज्ञान के आधार पर जो सुविधा से मिल जाए विश्वास करना चाहिए।'

प्रायः हम इस बात से परिचित हो चुके हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया, बुनियादी तौर पर ज्ञान के आदान-प्रदान पर आश्रित एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। यहां यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि दैनिक जीवन में 'ज्ञान' शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। परन्तु सामान्य तौर पर इसे 'जानने' की प्रक्रिया में अभिव्यक्त किया जाता है। यह 'जानना', सूचना अथवा परिचय आदि अन्य अर्थों का सूचक हो सकता है—

“मेरे विद्यालय की शिक्षिका रीना को प्रोजेक्टर चलाना आता है।” इस वाक्य में ज्ञान का प्रयोग योग्यता के अर्थ में किया गया है।

“मैं अपनी कक्षा के सभी बच्चों को जानती हूँ।” इस वाक्य में जानने का अर्थ परिचय के संदर्भ में किया गया है।

“हम सब जानते हैं कि हमारे विद्यालय में कल खेलकूल प्रतियोगिता है।” इस वाक्य में जानने का प्रयोग सूचना के अर्थ में किया गया है।

ज्ञान के इन रूपों को 'सामान्य ज्ञान' के रूप में स्वीकार किया गया है। तथापि इनमें से 'सूचनात्मक ज्ञान' को मानवीय ज्ञान के मूल के रूप में देखते हुए माना गया है कि ज्ञान मीमांस अध्ययन की दृष्टि से यही ज्ञान महत्वपूर्ण है यद्यपि कुछ दार्शनिक इस प्रकार के सूचनात्मक ज्ञान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, और न ही इसे 'व्यवहार व सिद्धांत' के लिए आवश्यक मानते हैं। तथापि विचारकों की स्पष्ट मान्यता है कि ज्ञान का सूचनात्मक अर्थ ही मानवीय ज्ञान का मूल है और सिद्धांतों की रचना और व्यावहारिक खोज—दोनों के लिए आवश्यक है।

तथापि सामाजिक समूहों के बीच आपस में अंतःक्रिया, अनुभवों, विचारों—विमर्शों द्वारा देखने, समझने, विचारने, आदि से प्राप्त यह 'ज्ञान' प्रमाणित—अप्रमाणित विश्वासों पर टिका रहता है। वस्तुतः भ्रम, संशय आदि की स्थितियों का भी इसके स्वरूप व विकास में बहुत योगदान होता है। जैसे हम बहुत कुछ अतीत से सहज रूप में प्राप्त, परम्परा रीति—रिवाजों का हिस्सा होता है तथा मुहावरों, लोकोक्तियों के रूप उपलब्ध रहता है।

इसकी सत्यता का आधार केवल विश्वास रहता है। अतः माना जाता है कि परम्परा आदि से प्राप्त अथवा स्वयं के अपरीक्षित अनुभवों, विश्वासों आदि से सम्बद्ध ज्ञान को तब तक ज्ञान नहीं माना जा सकता जब तक इसे निश्चित, यथार्थ तथा असंदिग्ध सिद्ध न कर दिया जाए। भारतीय परम्परा में इस प्रकार के ज्ञान को 'प्रमा' कहा जाता है जिसका अभिप्राय है—प्रमाणित ज्ञान। ज्ञान मीमांसीय दृष्टि से ज्ञान से अभिप्राय है—भ्रमरहित, निश्चित, प्रमाणित ज्ञान अर्थात् प्रमा।

भारतीय परम्परा के अनुसार 'ज्ञान' शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है :

1. जानने के 'साधन' के रूप में : जिससे जाना जाता है (ज्ञायते अनेन इति ज्ञानं : जाना जाता है इससे, इस प्रकार यह ज्ञान है)
2. जानने की क्रिया के 'फल' के रूप में : जो जाना जा चुका है, वह ज्ञान है (ज्ञातम् इति ज्ञानम् : जाना जा चुका है जो वह ज्ञान है)

पाश्चात्य दार्शनिक परंपरा में भी ज्ञान संबंधी समस्या दर्शनशास्त्र की एक प्रमुख समस्या ही नहीं अपितु एक बुनियादी समस्या है। ज्ञानमीमांसा को दर्शनशास्त्र की प्रमुख शाखा माना गया है तथा इस संदर्भ में ज्ञान संबंधी अनेक प्रश्न, विभिन्न समस्याएं व शंकाएं उठायी जाती रही हैं तथा इसके परिणामस्वरूप चिंतन की नई धाराओं का प्रस्फुटन होता रहा है। दो प्रमुख धाराओं — बुद्धिवादी व अनुभववादी की चर्चा करते हुए दयाकृष्ण कहते हैं—

“पश्चिम में बुद्धिवादी परम्परा ग्रीक दार्शनिक प्लेटो और उससे पहले पाईथागोरस से शुरू होकर जर्मन दार्शनिक हेगल में अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है। इसके विपरीत इन्द्रिय-संवेद्य ज्ञान बुद्धि से स्वतंत्र है और केवल बुद्धि द्वारा अग्राह्य है। ...इसकी परम्परा साधारणः इंग्लैण्ड के दार्शनिक बेकन तथा लॉक से मानी जाती है। इसका चरम रूप लॉक के उस वाक्य में समझा जाता है जो सारे ज्ञान का उद्भव इंद्रियानुभव में मानता है। इसकी चरम अवस्था इस मत में पहुंचती है कि शुद्ध बुद्धि द्वारा ग्राह्य ज्ञान जैसी कोई चीज नहीं है।”

(ज्ञान—मीमांसा : दयाकृष्ण, 1973)

मूल समस्या 'ज्ञान' के सत्यापन अथवा प्रमाणीकरण की है कि आखिर कैसे निश्चित हुआ जाए कि 'प्राप्त किया गया ज्ञान' निश्चित, भ्रमरहित व यथार्थ है। साथ ही प्रमाणित करने वाले साधनों की प्रामाणिकता का प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाश्चात्य परम्परा में अनुभववादी विचारधारा में इन्द्रियों के अनुभवों अर्थात् प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान को 'वैज्ञानिक ज्ञान' के रूप में माना गया है। अतः इसके सत्यापन का प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 'ऐन्द्रिय अनुभूति' पर ही आश्रित है। इस ज्ञान को सूचनात्मक ज्ञान के रूप में जाना गया है। पाश्चात्य चिंतनधारा में इस शाखा के प्रमुख प्रतिपादक 'जॉन लॉक' के अनुसार कोई भी 'काल्पनिक अथवा व्यावहारिक' सिद्धांत पहले से विद्यमान नहीं होता, अपितु उन्हें इन्द्रियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। विभिन्न वस्तुओं के 'प्रत्यय' अथवा 'संकल्पनाएं' जन्मजात न होकर इन्द्रियों द्वारा अर्जित होती हैं। लॉक का मानना है कि मनुष्य का मन एक कोरी स्लेट होती है। इसमें पहले से कोई विचार विद्यमान नहीं होता, बल्कि अनुभव ही सम्पूर्ण ज्ञान का आधार है। जॉन लॉक की ज्ञान-प्राप्ति की प्रक्रिया के दो मार्ग हैं—

1. संवेदना के द्वारा तथा
2. चिन्तन के द्वारा।

संवेदना प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया है जिसमें हमारी इन्द्रियां बाहरी वस्तुओं के सम्पर्क में आती हैं। भारतीय दर्शन में इसे 'इन्द्रियार्थ-सन्निकर्षः प्रत्यक्षम्' कहा गया है।

भौतिक पदार्थ शारीरिक इन्द्रियों को उद्दीप्त करते हैं। इससे उत्पन्न उत्तेजना मस्तिष्क में पहुंचकर संवेदना उत्पन्न करती है। यही संवेदनात्मक ज्ञान है। स्पष्ट ही है कि इसके अनुसार वस्तुओं की सत्ता मन से स्वतंत्र है। संवेदना से बाहरी वस्तुओं का ज्ञान होता है।

चिंतन द्वारा भीतरी परिस्थितियों का ज्ञान होता है। इसे एक प्रकार से 'अंतर्दर्शन' की प्रक्रिया माना गया है। इससे सुख, दुःख, संशय, निश्चय, विश्वास, विचारणा आदि मानसिक परिस्थितियों का ज्ञान होता है। लॉक के अनुसार 'संवेदना व चिन्तन' द्वारा प्राप्त ये प्रत्यय 'सरल व बिखरे' हुए होते हैं, असंबद्ध होते हैं, जिन्हें पुनः संगठित करने की अर्थात् संबद्ध करने की आवश्यकता होती है। परंतु इन सरल प्रत्ययों को मन पुनः संगठित अथवा सम्बद्ध करता है।

पुनर्संगठन का कार्य मन तुलना, पुनरावृत्ति आदि के आधार पर करता है। मन की यह सक्रिय अवस्था है। इसके द्वारा संगठित प्रत्यय 'जटिल प्रत्यय' कहलाते हैं। इसप्रकार इंद्रियों के अनुभव के बिना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अतः लॉक के अनुसार ज्ञान 'असीमित' न होकर 'सीमित' है।

शैक्षिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, लॉक के अनुसार, कि बच्चों में चिन्तन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पहले उनकी इन्द्रियों को 'सूचना प्राप्त करने के रूप में' अधिक से अधिक अनुभव लेने का अभ्यास कराया जाना चाहिए। शिक्षण की प्रक्रिया में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना आवश्यक है। स्पष्ट ही है कि बच्चों की अवस्था आदि को भी ध्यान में रखना अनिवार्य होगा। वस्तुतः यह प्रक्रिया 'स्थूल से सूक्ष्म' के प्रति जाने की प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में, जब तक बच्चे वस्तुओं के यथार्थ, वास्तविक, अवलोकनीय, मूर्त स्वरूप से परिचित न होंगे तब तक वे अमूर्त विचारों की कल्पना न कर पाएंगे।

अनुभवों पर आश्रित होने के कारण यह सम्भव है कि, अपने-अपने अनुभवों में भिन्नता के कारण, प्रत्येक अनुभवकर्ता के 'ज्ञान के स्वरूप' भी पृथक हो। परिणामतः 'शिक्षा की प्रक्रिया' को भी एक 'वैयक्तिक रूप' से प्रस्तुत करने के प्रति संकेत है। पाश्चात्य चिन्तन परम्परा में, अपनी अपनी दार्शनिक विभिन्नताओं को मानते हुए भी, जार्ज बर्कले, डेविड ह्यूम जैसे प्रमुख चिन्तक भी 'ज्ञान' को अनुभवों का ही प्रतिरूप मानते हैं।

ज्ञान की दूसरी परम्परा बुद्धिवादी परम्परा है। इस परम्परा के अनुसार 'बुद्धि' यानि प्रमुखतः चिन्तन ही ज्ञान का आधार है। ज्ञान के दो रूप— 'सत् एवं असत्' मानते हुए बुद्धि को ही इसके निर्णय का आधार के रूप में देखा गया है। इस दृष्टि से ज्ञान 'सत्य' का पर्याय है तथा सत्य के अन्वेषण के लिए मन को विभिन्न पूर्व मान्यताओं से मुक्त रखा जाय तथा बिना प्रमाण के किसी भी तथ्य को स्वीकार न किया जाए। इस परम्परा में 'मन' अत्यंत सक्रिय है तथा 'सत्य प्रत्यय' जन्मजात है। बुद्धि की सीमा ही ज्ञान की सीमा है। इस दृष्टि से 'ज्ञान' को सार्वभौम रूप में भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। कहा जा सकता है कि 'सामान्यीकरण' ज्ञान की एक विशिष्टता है। इस धारा की मान्यता है कि समस्त ज्ञान मन से पहले ही विद्यमान रहता है। अनुभवों आदि के द्वारा इसकी अभिव्यक्ति आदि ही होती है। 'अंतर्सूत्र' को इसमें विशेष स्थान दिया गया है। पाश्चात्य दर्शन धारा में रेने देकार्त, बनेडिक्ट स्पिनोजा तथा डब्ल्यू लाइबनिट्ज का इस सिद्धांत को रूप देने में विशिष्ट स्थान है।

- एक बच्चा इन्द्रिय संवेदनाओं तथा संज्ञानात्मक योग्यता की संभवना से युक्त होता है।
- एक बच्चा स्वभाव से संवेदनशील, जिज्ञासु तथा क्रियाशील होता है।
- ज्ञान को निष्क्रिय रूप से खोजा नहीं जाता बल्कि निर्माण एवं पुनर्निर्माण किया जाता है।
- बच्चे अपेक्षा कृत अनौपचारिक एवं नैसर्गिक संदर्भ में ज्ञान-अनुभव को निर्माण/पुनः निर्माण करते हैं।

बतौर शिक्षक विद्यालय में एक ऐसे महौल का सृजन करना आवश्यक है जहाँ बच्चे कही या लिखी बात को आँखें मूंदकर स्वीकार करने की बजाय उसे आलोचनात्मक दृष्टि से परखें और उस पर प्रासंगिक सवाल उठाएँ तथा अपने तार्किक कौशल को विकसित कर दो बातों के बीच के अंतरसंबंध को समझ सकें तथा अपने द्वारा कही, लिखी बात की तर्क से पुष्टि कर सकें।

(बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2008)

ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न साधनों में संवाद का अपना विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान है। सामान्य अथवा शिचा के क्षेत्र में विशेष रूप से एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में 'संवाद' एक 'सक्रिय कक्षा' की आधारभूत ऐसी मौखिक गतिविधि है जिसमें किसी चिंतनशील विषय पर आपसी 'विचार-विमर्श' तब तक निरंतर बना रहता है जब तक संवाद में भाग लेनेवाले सभी प्रतिभागी सामूहिक रूप से कुछ सामान्य निष्कर्षों तक नहीं पहुँच जाते। 'संवाद' का संबंध मूल रूप से दर्शनशास्त्र की 'ज्ञानमीमांसा' शाखा की 'बुद्धिवादी' अथवा 'संज्ञानवादी' परम्परा से है। इसके अंतर्गत यह मानकर चला जाता है कि मनुष्य केवल एक कोरी स्लेट न होकर एक पूर्वनियोजित बुद्धिवाला, चिंतनशील, व चेतन प्राणी है जो अपने अनुभवों आदि के आधार पर 'भाषा' का प्रयोग करते हुए अपना पक्ष रख सकता है। बुनियादी तौर पर मौखिकी प्रक्रिया होने के कारण संवाद में 'भाषा' के रचनात्मक प्रयोग का अच्छा अवसर प्राप्त होता है। यहां यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि 'संवाद' दर्शनशास्त्र की एक प्रमुख एवं आधारभूत विद्या है जिसके द्वारा किसी दार्शनिक समस्या पर विचार विमर्श किया जाता है। जिज्ञासा जगाए रखना अथवा जगाते रहना इसका मूल आधार है।



- #### 4.5.2 ज्ञान के विविध स्वरूप एवं अर्जन के तरीकें

- इन कठिनाईयों को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि एक शिक्षक को शिक्षण रणनीति तैयार करते समय यह निर्णय लेना होगा कि ज्ञान के विभिन्न रूपों का प्रयोग कितना और किस रूप में करें। क्योंकि ज्ञान का आधार यदि सूचना, अवधारणा और संदर्भित अनुभव है तो उसे सही रूप में प्रयोग करना उसकी कुशलता है और बच्चों के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों

को प्रस्फुटित करने की एक संतुलित प्रक्रिया हो सकती है। सीखने-सिखने की प्रक्रिया में बतौर शिक्षक यह जानना आवश्यक है कि ज्ञान क्या है? तथा इसके प्राप्ति के साधन क्या हैं? एक बच्चा अपने आस पास की वस्तुओं, व्यक्ति एवं पर्यावरण से अंतःक्रिया करते हुए उसके बारे में, उस व्यक्ति या वस्तु विशेष के प्रति अपनी धारणा बनाता है। इस तरह से ज्ञान एक प्रक्रिया तथा उसका परिणाम दोनों है। जो विचार, अनुभव तथा कौशल सीखा जाना है वह ज्ञान तब कहलाता है जब वह सीखने वाले के संदर्भ में देखा जाता है।

सीखने वाले की इच्छा या आशय किसी वस्तु या स्थिति को ज्ञान बनाता है। बच्चा जैसे ही अपने इन्द्रिय द्वारा वस्तु के रूप, रंग या स्वाद को पकड़ने की इच्छा से आकर्षित होता है, उसे उस वस्तु का अनुभव होता है। इस तरह बच्चा जब अपने संज्ञानात्मक विशेषताओं के साथ वस्तुओं से अंतःक्रिया करता है उस वस्तु के बारे में अपनी धारणा बनाता है जो ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ज्ञान अन्तःक्रिया करने वाले के संज्ञानात्मक एवं इन्द्रियजन्य विशेषताओं पर निर्भर करता है जिससे ज्ञान का रूप तय होता है।



क्रियाकलाप

- आप किसी विषय का चुनाव कर लें जिसे आपने बड़ी रुची से पढ़ाया था। उनमें कौन-कौन से ऐसे सैद्धांतिक पक्ष थे जो आपके जीवन से आज भी जुड़े हैं। किन्हीं पांच बिन्दुओं को लिखें।
- उन पांच विषय-वस्तुओं को इकठा करें जो आज के दौर में बिल्कुल अप्रासंगिक लगते हों। उभरे हुए बिन्दु को लेकर अध्ययन केन्द्र पर आए जिससे उन बिन्दुओं पर समूह के विचार जाने जा सकें।

आपने महसूस किया होगा कि विभिन्न पक्षों का हमने जिस रूप में अध्ययन किया है वे उसी रूप में शायद हमारी जीवन की प्रक्रियाओं से मेल नहीं खाते। हम इतिहास में विभिन्न संग्रामों की चर्चा करते हैं क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस विषय को क्यों पढ़ाते हैं? उसका उपयोग क्या है?

उसका प्रयोग क्या है? क्या आप सोचते हैं कि ये ज्ञान को बढ़ावा देते हैं या नहीं? नहीं न, तो आइयें ज्ञान एवं उसके कुछ रूप और उनके अन्तर्संबंधों की पड़ताल करते हैं।

सूचना : सूचना ज्ञान संबर्धन का प्राचीनतम रूप है। इसका मुख्य आधार पाठ्य पुस्तक, आपसी चर्चा, शिक्षकों की बातें या आधुनिक युग में सूचना एवं संचार प्राद्यौगिकी के विभिन्न तरह की सूचना से बच्चों के मानसिक स्तर में वृद्धि करना हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सूचना अत्यावश्यक है जिससे जानकारी की सीमायें बढ़ सकें, परन्तु महज किताबों में लिखें या प्रत्यारोपित ज्ञान उन्हें एक निष्क्रिय शिक्षार्थि बना देता है, जो उनके ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को महज सवालों के जबाब देने तक सीमित कर देता है। फिर भी इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि सूचना ज्ञान का एक स्वरूप है यदि इसका आधार बच्चों के मानसिकता को ध्यान में रख कर किया जाय।

अवधारणा : अवधारणा व्यक्ति के चेतन और अवचेतन मन के द्वंद का परिणाम है। शिक्षा की प्रक्रिया में जब कोई बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसके बात व्यवहार, आचरण एवं वेशभूषा के आधार पर कही ना कही हमारे मन में एक विचार जन्म लेती है। उस विचार का प्रभाव जाने अनजाने हमारी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करती है। आमतौर पर ऐसे विचारों को नकारा नहीं जा सकता परन्तु एक लोकतांत्रिक शिक्षक इन अवधारणाओं को आधार बना कर अपनी शिक्षा की रणनीति तैयार करते हैं, जो जमीनी सच्चाई से जुड़ा हो। यह प्रक्रिया बच्चों के साथ भी होती है, वे किसी खास विषय या सूचना के प्रति अपने विचार कायम कर लेते हैं जिससे ये विषय उनके लिए बोझ हो जाता है। जिससे दिए गए विषय ज्ञान के प्रति उनकी अवधारणा स्पष्ट नहीं हो पाती। यह एक निर्विवाद सत्य है कि बच्चा केवल एक संज्ञानात्मक इकाई नहीं है। वह एक जिज्ञासु प्राणी है। विचार बच्चों के संज्ञान में निहित होते हैं, अतः जब वह किसी भौतिक वस्तुओं या अपने परिवेश से प्रतिक्रिया करता है तो एक अस्थायी धारणा बना लेता है जो उस वस्तु या व्यक्ति विशेष के प्रति उसके अवधारणा को आधार देता है एवं ज्ञान सृजन में सहायता करता है।

अनुभव : आज के लगभग तमाम शिक्षाशास्त्रियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि वच्चें जब विद्यालय आते हैं तो उनके साथ उनके अनुभव का एक भंडार रहता है जो वे स्वयं से, घर परिवार से, आस-पड़ोस से एवं हम

उम्र बच्चों से प्राप्त करते हैं। इस अनुभव के आधार पर वे कई अनसुलझ शिक्षार्थी गतिविधियों की पड़ताल करते हैं एवं ज्ञान का सृजन करते हैं। एक शिक्षक की रणनीति में उनके अनुभवों का समावेशन उन्हें ज्ञान सृजन के नए-नए अवसर प्रदान कर सकता है। उत्तर बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाके के बच्चों को यदि वर्षा ऋतु के सौन्दर्य किताब में दिए गए उदाहरणों से ही बताया जाय तो शायद उनका मन पढ़ते या लिखते समय एक मौन विरोध करेगा और समग्र शिक्षा की प्रक्रिया उसके लिए झूठ ही प्रतीत होगी। अतः एक कुशल शिक्षक के रूप में हमें उनके अनुभवों से अपने पाठ को जोड़ना होगा जिससे एक स्वस्थ शैक्षणिक माहौल बन सके और बच्चें ज्ञान का निर्माण कर सकें। जब हम अनुभव की बात करते हैं तो अनुभव केवल शिक्षकों तक ही सीमित नहीं रहता, वरण बच्चों के अनुभव अपेक्षाकृत ज्यादा मायने रखते हैं। बच्चें विभिन्न इन्द्रियों के द्वारा भौतिक वस्तु एवं स्थिति से संवेदना प्राप्त करते हैं यह संवेदनाये अपने इन्द्रिय द्वारा उसने रूप, रंग या स्वाद को पकड़ने की इच्छा से प्रभावित होते हैं जिससे उन्हें उस वस्तु विशेष का अनुभव होता है। इस तरह अनुभव ज्ञान का आधार है विभिन्न इन्द्रियों को भिन्न-भिन्न तरीकों से संयोजित करके एक ही वस्तु स्थिति के अनेक अनुभवों को भाषा तथा सांकेतिक तथ्यों द्वारा संज्ञानात्मक रूप दिया जाता है जो अनुभवों की ही सामान्यीकरण है। अनुभव रूपी ज्ञान ही बुनियादी ज्ञान है। जो विभिन्न इन्द्रिय जनित संवेगों का समेकित रूप है। जो आज की शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है।

कौशल : किताबी ज्ञान चाहे किसी भी क्रिया प्रक्रिया के माध्यम से दी गई हो वह बच्चों को ज्ञानी तो बना सकती है, लेकिन जबतक उनमें कार्य करने की कुशलता विकसित नहीं होगी तब तक ज्ञान का आधार उस तोंते की तरह हो जायेगी जिसे यह तो ज्ञान था कि “शिकारी आयेगा, जाल बिछायेगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं” फिर भी जाल में फंस जाते हैं। अतः शिक्षकों को शिक्षायी रणनीति में सीखे गए बातों के प्रयोग करने की क्षमता अवश्य शामिल करनी चाहिए, जिससे बच्चे आनेवाली चुनौतियों का सामना कर सकें।

शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले ज्ञान के विभिन्न स्वरूप

ज्ञान के चारों रूप देखने में तो अलग-अलग लगते हैं। एक लम्बे समय में अलग-अलग तरीकों से देखे भी जाते हैं परन्तु आज के शिक्षा के संदर्भ में यह वांछित है कि शिक्षक अपने शिक्षा की रणनीति को किसी विषय के

संदर्भ में इस तरह विकसित करें कि बच्चों के सृजनात्मक एवं रचनात्मक क्रियाओं को विकसित होने का अनुकूल माहौल मिले और निर्मित ज्ञान की मूलता को व्यवहारिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में देख सके।

(दृष्टांत : 4.5.2—अ)

गर्मी का मौसम था। बच्चें आमतौर पर उल्टी और दस्त से ग्रस्त हो जाया करते थे। विद्यालय में शिक्षिका ने बताया कि यदि ऐसा हो तो तुरन्त नमक, चीनी और पानी का घोल पिलाना चाहिए। मुन्नी जब घर पहुँची तो उसने देखा कि उसका भाई बिस्तर पर पड़ा हुआ है। जैसे ही उसे कारण की जानकारी हुई, जल्दी से उसने नमक, चीनी और पानी का घोल तैयार कर अपने भाई मुन्ने को दिया। थोड़ी देर बाद आराम होने पर वे उसे पास के स्वास्थ्य केन्द्र पर ले गए।

स्वचिंतन के बिन्दु

- मुन्नी के क्रियाकलापों का ज्ञान के विभिन्न रूपों के संदर्भ में विवेचना करें।
- अपने विचारों को क्रमवद्ध रूप में एकत्र कर अध्ययन केन्द्र में उपस्थापित करें और अपने सहयोगियों की राय जाने।

ज्ञान अर्जन के विभिन्न तरीकें

इससे पहले की चर्चा में आपने शिक्षा एवं ज्ञान के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण पर विचार किया है। साथ ही साथ प्रक्रिया एवं परिणाम के रूप में ज्ञान के अर्थ को विद्यालय के संदर्भ में भी विचारित किया है। इसके अतिरिक्त ज्ञान के विभिन्न रूपों तथा इनके अन्तर् संबंधों के माध्यम से विद्यालय में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को दृष्ट्यावलोकित भी किया होगा। इस भाग में हम बच्चों द्वारा ज्ञान प्राप्ति एवं सीखने के विभिन्न क्रियाओं प्रक्रियाओं पर चर्चा की जाएगी। जिसके आलोक में शिक्षको में परिप्रेक्ष्य एवं रणनीति के विकास के लिए प्रयास किया जाएगा।

ज्ञान के स्वरूप को आवश्यकतानुसार प्रयोग करने के लिए आवश्यक है कि एक शिक्षक में ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न तरीकों की एक समीक्षाई समझ विकसित हो विद्यालय में ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया के विभिन्न रूप देखा जाता

है जो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से प्रचलित होती है। भिन्न भिन्न क्रियायें जैसे अवलोकन, तर्क करना, समीक्षा करना, बातचीत या संवाद, चिन्तन, प्रयोग करना एवं परिवेश में भाग लेना, अभिव्यक्ति का गढ़ना, अनुभव करना इत्यादि ज्ञान प्राप्ति एवं सिखने-सिखाने की रणनीतियाँ हैं।

बच्चा सक्रिय रूप से केवल पूर्व प्रचलित अनुभव या विचारों के आधार पर ही अपने ज्ञान का निर्माण नहीं करता, बल्कि नई परिस्थितियों, भौतिक, वैचारिक, भाषिक एवं सांकेतिक रूप से संवेगात्मक तथा बौद्धिक क्रिया करते हुए नये विचार, अनुभव तथा कौशल को भी निर्मित करता है। इस विचार, अनुभव एवं कौशल का निर्माण एवं पुनर्निर्माण बच्चों के विकास का अंतरंग पहलू है। परन्तु विद्यालय से पूर्व तथा विद्यालयी जीवन प्रारम्भ करने के बाद बच्चों के ज्ञान प्राप्ति एवं सीखने की प्रक्रिया में अंतर होता है। विद्यालय से पूर्व बच्चों के सीखने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत अनौपचारिक होती है तथा सीखने का संदर्भ भी अनौपचारिक होता है, सीखने की विषय-वस्तु भी अपेक्षाकृत मूर्त एवं समान्य होती है। जबकि विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत औपचारिक परिवेश में तथ औपचारिक रूप से संचालित होती है। यहाँ सीखने की विषय वस्तु भी अपेक्षाकृत अमूर्त, विशेष एवं जटिल होती है। विद्यालय पूर्व तथा विद्यालय में सीखने के बीच अंतर का एक मुख्य लक्ष्य सीखने की प्रकृति भी है। विद्यालय पूर्व परिवेश, माता-पिता, बड़े बुजुर्ग मित्र-मण्डली या समुदाय एवं समय की मध्यस्तता बच्चों के सीखने के अनौपचारिक तरीकों से नैसर्गिक रूप से अनुकूलित होती है। समय की अधिक मात्रा में उपलब्धता के कारण बच्चें सीखने के क्रम में अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र एवं सक्रिय होते हैं। जिसके फलस्वरूप सीखने की प्रक्रिया नैसर्गिक रूप से चलती रहती है। परन्तु विद्यालय में शिक्षक, विषय वस्तु तथा स्थान एवं समय की मध्यस्थता अपेक्षाकृत लघु तथा बच्चों के औपचारिक परिवेश से भिन्न होती है। विद्यालय में शिक्षकों की मध्यस्थता बच्चों तथा व्यस्को के बीच एक नैसर्गिक संबंध न होकर सीखने के विषय वस्तु तथा विद्यालय के संगठनिक-सांस्कृतिक तथा स्थानिक-कालिक संसाधनों से प्रभावित होती है। कई रूप में विद्यालय का परिवेश बच्चों के सीखने के स्वभाविक प्रक्रिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित भी करता है।

ज्ञान अर्जन के साधन

परम्परा एवं रुढ़ियाँ — वह ज्ञान जो हम बिना तर्क के सिर्फ इस लिए स्वीकार करते हैं कि वह लोक परम्परा से चली आ रही है। यह माना हुआ ज्ञान है।

प्राधिकार ज्ञान या आप्त ज्ञान — वह ज्ञान जो किसी आप्त पुरुष/व्यक्ति/संस्था/ग्रन्थ द्वारा सिद्ध एवं प्रदत्त है जिसपर हम सामान्यतया प्रश्न खड़ा नहीं करते क्योंकि वह भी हमारी आस्था व विश्वास से जुड़ा हुआ है।

अंतर्दृष्टि या अंतर्सुझ — यह ज्ञान पूरी तरह से आंतरिक अनुभवों पर आधारित होता है।

इन्द्रियानुभव — इन्द्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान।

बुद्धि या तर्क पूर्ण ज्ञान — वह ज्ञान जो तर्क द्वारा सिद्ध होता हो परन्तु यह जरूरी नहीं है कि वह इन्द्रियों द्वारा भी अनुभूत हो।

वैज्ञानिक ज्ञान — वह ज्ञान जो इन्द्रियानुभव तथा तर्क दोनों द्वारा सिद्ध होता हो यही ज्ञान सही ज्ञान है।



कार्यकलाप

निम्न साधनों की पहचान करें कि क्या ज्ञान के सृजन में सहायक है? कार्यज्ञान के साधन है या नहीं

1. आपके बच्चों जब शिक्षायी भ्रमण पर जाते हैं।
2. संकुल स्तर पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन
3. अन्तर विद्यालय चाद-विवाद प्रतियोगिता
4. राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन
5. विद्यालय के पोषक क्षेत्र का सर्वेक्षण
6. गणित मेला का आयोजन
7. विद्यालय में होने वाली खेल कूद प्रतियोगिता
8. विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन

9. कला के माध्यम से वस्तुओं का निर्माण

10. क्वीज, परियोजना कार्य में समावेश

- अपने उत्तरों को चार्ट पेपर पर लिख कर बड़े समूह में चर्चा करें एवं उभरे हुए विन्दुओं का समेकन कर केन्द्र में उपस्थित संगणक को हस्तगत करा दें, जिससे उसका अभिलेखीकरण किया जा सके।
- उपर के चयनित साधनों को आधार मानते हुए बताएँ कि क्या आप अपने शिक्षण प्रक्रिया में इन बातों का ध्यान रखते हैं?
- दिए गए विभिन्न कार्यों में से किन्हीं दो का सर्वेक्षण कर अपना प्रतिवेदन आई.सी.टी. की मदद से तैयार करें. आप सीडी बना सकते हैं।
- अपने विद्यालय में इन गतिविधियों के आयोजन हेतु एक कार्य योजना तैयार कर उसका आयोजन करें एवं समुदाय/बच्चों/अभिभावकों से प्राप्त विचारों को संकलित कर अपने सहयोगियों के विचार जानें।



वीडियो देखने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें



https://www.youtube.com/watch?v=r_Y3utleTPg



4.6 समेकन तथा सीखने-सिखाने में सहयोगी ई-संसाधन

इस इकाई के माध्यम से हमने शिक्षा और ज्ञान के विविध आयामों के बारे में जाना—समझा। हमने यह समझा की शिक्षा एक परिवर्तनीय अवधारणा है। अब, बदलते हुए शिक्षाई परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है कि शिक्षक एक ऐसे स्वतंत्र माहौल का निर्माण करें जहाँ बच्चे ज्ञान का सृजन स्वयं कर सकें, अपने अनुभवों को एक नई दिशा दे सकें एवं जीवन की चुनौतियों से जुझने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। साथ ही, यह आवश्यक है कि शिक्षक भी शिक्षा और ज्ञान की संकल्पनाओं को व्यापक रूप से समझे और उनके पीछे जो सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, उनका विश्लेषण करें।

इकाई की विस्तृत समझ के लिए निम्नलिखित ई-संसाधनों का भी उपयोग जरूर करें :

- इकाई के विषयवस्तु पर निर्मित आई.सी.टी. / ऑडियो-विजुअल / एनिमेशन सामग्री।
- प्रारम्भिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों पर आधारित डिजिटल सामग्री, जो इस इकाई से सम्बंधित हों।
- इकाई के विषयवस्तु से सम्बंधित फिल्म, डॉक्युमेंटरी, प्रेजेन्टेशन, वेब-रिसोर्स, ओपेन रिसोर्स, आदि।



4.7 स्वमूल्यांकन

1. अपने अनुभवों के आधार पर यह विश्लेषण करें कि क्या शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहते हैं? आपके अनुसार, वर्तमान शिक्षा की व्यवस्था में क्या-क्या बदलाव आने चाहिए।

2. शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले बदलाव सामाजिक परिवर्तन का प्रतिबिम्ब हैं, कैसे?
3. शिक्षा और दर्शन के आपसी सम्बंधों का विश्लेषण करें?
4. क्या शिक्षा के अतीत में जो विकास हुए हैं, वर्तमान शिक्षा में उनकी क्या छवि समाहित है, इसका विश्लेषण करें।
5. शिक्षक शिक्षा की पाठ्यचर्या में शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों को क्यों शामिल करना आवश्यक है?
6. उपेक्षित समुदाय से आनेवाले बच्चों के संदर्भ में शिक्षा और ज्ञान की क्या अवधारणा होनी चाहिए, विश्लेषण करें।
7. आप जब सीखने की योजना बनाएंगे उसमें किस-किस प्रकार के ज्ञान को आपने सम्बोधित किया है, इसकी समीक्षा करें।
8. ऐसी कहानी या घटनाओं को खोजें जिसमें ज्ञान के विभिन्न रूपों का उपयोग किया गया हो और उसे अपने सहयोगियों से बाँटे।

भारतीय चिंतकों के मौलिक लेखन की शिक्षाशास्त्रीय समझ

- 5.1 परिचय
- 5.2 उद्देश्य
- 5.3 पूर्व अनुभव
- 5.4 हिन्द स्वराज (महात्मा गाँधी) : सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध में
 - 5.4.1 लेखक एवं पुस्तक के पृष्ठभूमि से परिचय
 - 5.4.2 पुस्तक के समीक्षायी समझ हेतु विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा
- 5.5 दिवास्वप्न (गिजू भाई बधेका) : शिक्षा प्रयोग के विचार को रेखांकित करते हुए
 - 5.5.1 लेखक एवं पुस्तक के पृष्ठभूमि से परिचय
 - 5.5.2 पुस्तक के समीक्षायी समझ हेतु विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा
- 5.6 समेकन तथा सीखने-सिखाने में सहयोगी ई-संसाधन
- 5.7 स्वमूल्यांकन



5.1 परिचय

शिक्षा एक विकासशील प्रक्रिया है, जिसका समाज के विभिन्न आयामों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही समाज भी कई प्रकार से शिक्षा के स्वरूप व प्रकृति को निरन्तर प्रभावित करता रहता है। एक प्रकार से समाज अपनी परिस्थिति, संदर्भ एवं विचारधारा के अनुसार शिक्षा की संरचना को निर्धारित करता है। इसी संदर्भ में विभिन्न समयों में कई शिक्षाविचारकों ने अपने समाज की आवश्यकता व परिस्थिति के आधार पर निर्मित विचारधारा के अनुसार शिक्षा के स्वरूप को गढ़ने का प्रयास किया, जिसने न सिर्फ समाज में शिक्षा के प्रति नजरिए को प्रभावित किया बल्कि शिक्षा को समझने के नए दृष्टिकोणों का विकास भी किया। इन नए दृष्टिकोणों ने समाज के शिक्षा संबंधी प्रक्रिया को संवर्द्धित किया जिसका प्रभाव विद्यालय, पाठ्यचर्या, शिक्षक एवं विद्यार्थी की तैयारी पर प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से पड़ता आ रहा है। इन सब की बुनियादी समझ शिक्षक को उसकी अकादमिक एवं व्यावसायिक (पेशागत) परिस्थितियों एवं सन्दर्भों को समझने में उसे मदद पहुँचाती है और उसका उत्साह बढ़ाती हैं। इस इकाई का विशेष प्रयोजन भारतीय शिक्षा की विरासत से कुछ महत्वपूर्ण चिंतकों एवं शिक्षायी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों के मौलिक रचनाओं से प्रशिक्षुओं का परिचय करवाना है ताकि शिक्षा के प्रति उनके विभिन्न दृष्टिकोणों की समझ प्रशिक्षु स्वयं ही बना पाएं।

इस इकाई की मूल सामग्री निम्नलिखित दो पुस्तकें हैं। अतः इस इकाई की शुरुआत करने के लिए यह अनिवार्य है कि सभी प्रशिक्षुओं और सम्बंधित साधनसेवी के पास निम्नलिखित दो पुस्तकें अवश्य हों।

1. हिन्द स्वराज : महात्मा गांधी द्वारा रचित

2. दिवास्वप्न : गिजू भाई बधेका द्वारा रचित

आगे इस इकाई में जो विवरण दिया जा रहा है वह केवल उपरोक्त रचनाओं को कैसे समझा एवं विश्लेषित किया जाए, के दिशाबोध मात्र के लिए है।



5.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप :

- उल्लेखित शिक्षा विचारकों व उनकी रचनाओं की पृष्ठभूमि से अवगत हो सकेंगे।
- उल्लेखित रचनाओं को किस दृष्टिकोण से पढ़ना है, इसके संदर्भ में विमर्श के बिन्दुओं की समझ विकसित कर सकेंगे।
- उल्लेखित रचनाओं में वर्णित विभिन्न मुद्दों के संदर्भ में लेखकों के दृष्टिकोण की समीक्षा कर सकेंगे।
- रचनाओं के माध्यम से उभरे शैक्षिक विचारों का समकालीन शिक्षा के संदर्भ में क्या उपयोगिता हो सकती है, इसका विश्लेषण कर सकेंगे।



5.3 पूर्व अनुभव

अपने कई साहित्य रचनाओं जैसे पुस्तक, नोबेल, अखबार के आलेख, बाल साहित्य, आदि को पढ़ा होगा, जिसके आधार पर किसी पुस्तक को पढ़ने-समझने का एक नज़रिया आपके पास अवश्य होगा। इस इकाई के माध्यम से उस नज़रिए को और पैना एवं शैक्षिक दृष्टिकोण से समृद्ध करने की कोशिश की जाएगी।

5.4 हिन्द स्वराज (महात्मा गाँधी) :

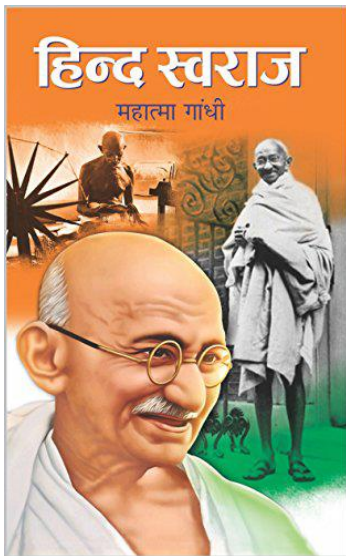
सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध में इकाई का यह भाग महात्मा गांधी द्वारा रचित पुस्तक हिन्द स्वराज पर केन्द्रित है। पुस्तक के अध्ययन से पूर्व यह आवश्यक है कि लेखक एवं पुस्तक की पृष्ठभूमि से थोड़ा अवगत हो जाया जाए। लेखक के विचारों से विशेष परिचय मूल कृति के पठन के दौरान प्रशिक्षुओं को स्वतः ही हो जाएगा। आगे के उपखण्डों में लेखक एवं पुस्तक की पृष्ठभूमि से परिचय के उपरान्त पुस्तक को समझने हेतु विभिन्न

दृष्टिकोणों को विकसित करने हेतु विमर्श के विभिन्न बिन्दुओं पर सोदाहरण चर्चा की गयी है। आगामी दो उपखण्डों के स्वाध्याय के साथ साथ आपको मूल रचना (हिन्द स्वराज) अनिवार्यतः पढ़नी है।

5.4.1 लेखक एवं पुस्तक के पृष्ठभूमि से परिचय

गाँधी जी के विचारों में शिक्षा ही नहीं बल्कि जीवन का समग्र दर्शन तलाशा जा सकता है। प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से शिक्षा गाँधी के प्रमुख सरोकारों में हमेशा शामिल रही तथा उनके राजनीतिक कार्ययोजना का अभिन्न अंग भी रही। इस इकाई में उनके सामाजिक-दर्शन और शिक्षा-सम्बन्धी विचार, जो उन्होंने 'हिन्द-स्वराज' नामक पुस्तक में व्यक्त किये हैं, पर जोर दिया गया है।

'हिन्द स्वराज' गाँधी जी द्वारा 1909 में लिखी गई एक रचना है। यह पुस्तक उन्होंने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय लिखी थी। इंग्लैंड से वापस लौटते समय उन्होंने उस समय के विभिन्न घटनाओं व परिस्थितियों पर गहन चिंतन करते हुए अपने विचारों को एक पुस्तक 'हिन्द स्वराज' के नाम से लिखा।



5.4.2 पुस्तक के समीक्षायी समझ हेतु विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा

हिन्द स्वराज पुस्तक को समझने के लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले पुस्तक के प्रति लेखक के दृष्टिकोण को समझा जाय। इसके लिए आप नीचे दिए उद्धरण को पढ़ें जिसमें महात्मा गांधी ने इस पुस्तक के अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। पुस्तक में लेखक द्वारा लिखे गए आमुख को भी आप अवश्य पढ़ें।

‘हिन्द स्वराज’ के बारे में

मेरी इस छोटी सी किताब की ओर विशाल जनसंख्या का ध्यान खिंच रहा है, यह सचमुच ही मेरा सौभाग्य है। यह मूल तो गुजराती में लिखी गई है। इसका जीवन-क्रम अजीब है। यह पहले-पहल दक्षिण अफ्रीका में छपनेवाले साप्ताहिक ‘इंडियन ओपीनियन’ में प्रकट हुई थी। 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए जहाज पर हिंदुस्तानियों के हिंसावादी पंथ को और उसी विचारधारावाले दक्षिण अफ्रीका के एक वर्ग को दिए गए जवाब के रूप में यह लिखी गई थी। लंदन में रहनेवाले हर एक नामी अराजकतावादी हिंदुस्तानी के संपर्क में मैं आया था। उसकी शूरवीरता का असर मेरे मन पर पड़ा था, लेकिन मुझे लगा कि उनके जोश ने उलटी राह पकड़ ली है। मुझे लगा कि हिंसा हिंदुस्तान के दुःखों का इलाज नहीं है और उसकी संस्कृति को देखते हुए उसे आत्मरक्षा के लिए कोई अलग और ऊँचे प्रकार का शस्त्र काम में लाना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह उस वक्त मुश्किल से दो साल का बच्चा था। लेकिन उसका विकास इतना हो चुका था कि उसके बारे में कुछ हद तक आत्मविश्वास से लिखने की मैंने हिम्मत की थी। मेरी यह लेखमाला पाठक-वर्ग को इतनी पसंद आई कि वह किताब के रूप में प्रकाशित की गई। हिंदुस्तान में उसकी ओर लोगों के कुछ ध्यान गया। बंबई सरकार ने उसके प्रचार की मनाही कर दी। उसका जवाब मैंने किताब का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित करके दिया। मुझे लगा कि अपने अंग्रेज मित्रों को इस किताब के विचारों से वाकिफ करना उनके प्रति मेरा फर्ज है।

मेरी राय में यह किताब ऐसी है कि यह बालक के हाथ में भी दी जा सकती है। यह द्वेष-धर्म की जगह प्रेम-धर्म सिखाती है; हिंसा की जगह आत्म-बलिदान को रखती है; पशुबल से टक्कर लेने के लिए आत्मबल को खड़ा करती है। इसकी अनेक आवृत्तियाँ हो चुकी हैं; और जिन्हें इसे पढ़ने की परवाह है, उनसे इसे पढ़ने की मैं जरूर सिफारिश करूँगा। इसमें से मैंने सिर्फ एक ही शब्द—और वह एक महिला मित्र की इच्छा को मानकर रद्द किया है; इसके सिवा और कोई फेरबदल मैंने इसमें नहीं किया है।

इस किताब में ‘आधुनिक सभ्यता’ की सख्त टीका की गई है। यह 1909 में लिखी गई थी। इसमें मेरी जो मान्यता प्रगट की गई है, वह आज पहले से ज्यादा मजबूत बनी है। मुझे लगा है कि अगर हिंदुस्तान ‘आधुनिक सभ्यता’ का त्याग करेगा, तो उससे उसे लाभ ही होगा।

लेकिन मैं पाठकों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ। वे ऐसा न मान लें कि इस किताब में जिस स्वराज की तसवीर मैंने खड़ी की है, वैसा

स्वराज कायम करने के लिए आज मेरी कोशिशें चल रही हैं। मैं जानता हूँ कि अभी हिंदुस्तान उसके लिए तैयार नहीं है। ऐसा कहने में शायद ढिठाई का भास हो, लेकिन मुझे तो पक्का विश्वास है इसमें जिस स्वराज्य की तसवीर मैंने खींची है, वैसा स्वराज पाने की मेरी निजी कोशिश जरूर चल रही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आज मेरी सामूहिक प्रवृत्ति का ध्येय तो हिंदुस्तान की प्रजा की इच्छा के मुताबिक पार्लियामेंटरी ढंग का स्वराज पाना है। रेलों या अस्पतालों का नाश करने का ध्येय मेरे मन में नहीं है, अगरचे उनका कुदरती नाश हो तो मैं जरूर उसका स्वागत करूँगा। रेल या अस्पताल दोनों में से एक भी ऊँची और बिलकुल शुद्ध संस्कृति की सूचक (चिह्न) नहीं है। ज्यादा—से—ज्यादा इतना ही कह सकते हैं कि यह एक ऐसा बुराई है, जो टाली नहीं जा सकती। दोनों में से एक भी हमारे राष्ट्र की नौतिक ऊँचाई में एक इंच की भी बढ़ती नहीं करती। उसी तरह मैं अदालतों के स्थायी नाश का ध्येय मन में नहीं रखता, हालाँकि ऐसा नतीजा आए तो मुझे अवश्य बहुत अच्छा लगेगा। यंत्रों और मिलाओं के नाश के लिए तो मैं उससे भी कम कोशिश करता हूँ। उसके लिए लोगों की आज जो तैयारी है, उससे कहीं ज्यादा सादगी और त्याग की जरूरत रहती है।

इस पुस्तक में बताए हुए कार्यक्रम के एक ही हिस्से का आज अमल हो रहा है—वह है अहिंसा। लेकिन मैं अफसोस के साथ कबूल करूँगा कि उसका अमल भी इस पुस्तक में दिखाई हुई भावना से नहीं हो रहा है। अगर हो तो हिंदुस्तान एक ही रोज में स्वराज पा जाए। हिंदुस्तान अगर प्रेम के सिद्धांत को अपने धर्म के एक सक्रिय अंश के रूप में स्वीकार करे और उसे अपनी राजनीति में शामिल करे, तो स्वराज स्वर्ग से हिंदुस्तान की धरती पर उतरेगा। लेकिन मुझे दुःख के साथ इस बात का भान है कि ऐसा होना बहुत दूर की बात है।

ये वाक्य मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आज के आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस पुस्तक में से बहुत सी बातों का हवाला दिया जाता, मैंने देखा है। मैंने इस मतलब के लेख भी देखे हैं कि मैं कोई गहरी चाल चल रहा हूँ, आज की उथल-पुथल से लाभ उठाकर अपने अजीब खयाल भारत के सिर लादने की कोशिश कर रहा हूँ और हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचाकर अपने धार्मिक प्रयोग कर रहा हूँ। इसका मेरे पास यही जवाब है कि सत्याग्रह ऐसी कोई कच्चा खोखली चीज नहीं है। उसमें कुछ भी दुराव—छिपाव नहीं है, उसमें कुछ भी गुप्तता नहीं है। 'हिंद स्वराज' में बताए हुए संपूर्ण जीवनसिद्धांत के एक भाग को आचरण में लाने की कोशिश हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा नहीं कि उस समूचे सिद्धांत का अमल करने में जोखिम है; लेकिन आज देश के सामने जो प्रश्न हैं, उसके साथ जिन हिस्सों का कोई

संबंध नहीं है, ऐसे हिस्से में लेखों में से देकर लोगों को भड़काने में न्याय हरगिज नहीं है।

मोहनदास करमचंद गाँधी (जनवरी, 1921, 'यंग इंडिया' के गुजराती अनुवाद से)

आप उपरोक्त उद्धरण एवं पुस्तक में दिए गए आमुख के आधार पर उसके विषयवस्तु का अनुमान लगा सकते हैं। अब आप पुस्तक के विषयसूची में दिए गए विभिन्न अध्यायों के शीर्षकों को देखें तथा उन अध्यायों के पठन के दौरान यह विश्लेषित करें कि उनके माध्यम से किन-किन मुद्दों को उठाया गया है तथा उनका शिक्षा से क्या जुड़ाव है। उदाहरण के तौर पर इस पुस्तक के कुछ अंश आगे दिये जा रहे हैं तथा उसमें प्रमुखता से उठाए गए विमर्श के बिन्दुओं को आगे दिया जा रहा है ताकि इस माध्यम से आप यह समझ सकें कि पुस्तक के विषयवस्तुओं पर आप किन किन दृष्टिकोणों से समीक्षात्मक चिंतन कर सकते हैं।

हिन्द स्वराज पुस्तक का एक अंश (अठारवा अध्याय : शिक्षा से)

पाठक :

अगर ऐसा ही है, तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा। आप ये जो सारी बातें कह रहे हैं, वह किसकी बदौलत कह रहे हैं? अगर आपने अक्षर-ज्ञान और ऊँची शिक्षा नहीं पाई होती, तो ये सब बातें आप मुझे कैसे समझा पाते?

संपादक :

आपने अच्छी सुनाई। लेकिन आपके सवाल का मेरा जवाब भी सीधा ही है। अगर मैंने ऊँची शिक्षा नहीं पाई होती, तो मैं नहीं मानता कि मैं निकम्मा आदमी हो जाता। अब ये बातें कहकर मैं उपयोगी बनने की इच्छा रखता हूँ। ऐसा करते हुए जो कुछ मैंने पढ़ा उसे मैं काम में लाता हूँ और उसका उपयोग अगर हो तो, मैं अपने करोड़ों भाईयों के लिए, नहीं कर सकता, सिर्फ आप जैसे पढ़े-लिखों के लिए ही कर सकता हूँ। इससे भी मेरी ही बात का समर्थन होता है। मैं और आप दोनों गलत शिक्षा के पंजे में फँस गए थे। उसमें से मैं अपने को मुक्त हुआ मानता हूँ। अब वह अनुभव मैं आपको देता हूँ और उसे देते समय ली हुई शिक्षा का उपयोग करके उसमें रही सड़न मैं आपको दिखाता हूँ। इसके सिवा, आपने जो बात मुझे सुनाई उसमें आप गलती खा गये क्योंकि मैंने अक्षर-ज्ञान को (हर हालत में) बुरा नहीं कहा है। मैंने तो इतना ही कहा है कि उस ज्ञान की हमें मूर्ति की तरह पूजा

नहीं करनी चाहिए। वह हमारी कामधेनु नहीं है। वह अपनी जगह पर शोभा दे सकता है। और वह जगह यह है। जब मैंने और आपने अपनी इन्द्रियों को बसमें कर लिया हो, जब हमने नीति की नींव मजबूत बना ली हो, तब अगर हमें अक्षर-ज्ञान पाने की इच्छा हो, तो उसे पाकर हम उसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं। यह शिक्षा आभूषण के रूपमें अच्छी लग सकती है। लेकिन अक्षर ज्ञान का अगर आभूषण के तौर पर ही उपयोग हो, तो ऐसी शिक्षा को लाजमी करने की हमें जरूरत नहीं। हमारे पुराने स्कूल ही काफी हैं वहाँ नीति को पहला स्थान दिया जाता है। वह सच्ची प्राथमिक शिक्षा है। उस पर हम जो इमारत खड़ी करेंगे वह टिक सकेगी।

उपरोक्त अंश के विमर्श के बिन्दु :

हिन्द स्वराज के इस अंश में विमर्श के कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख बिन्दु इस प्रकार से हैं :

- शिक्षा की वास्तविक संकल्पना क्या होनी चाहिए, क्या यह अक्षर ज्ञान अथवा उच्च औपचारिक शिक्षा तक ही सीमित होनी चाहिए।
- क्या औपचारिक शिक्षा के बिना व्यक्ति को शिक्षित नहीं माना जा सकता।
- हम स्वयं जिस प्रकार की शिक्षा से गुजरते हैं, क्या उसके गलत या सही पक्षों के विषय में सोच पाते हैं।
- ज्ञान क्या हो सकता है और हम किसे ज्ञान मानते हैं। क्या ज्ञान को भी निरंतर जांचते रहना चाहिए।
- क्या वैसे ज्ञान का प्रसार जिसकी कोई उपयोगिता न हो, को शिक्षा माना जा सकता है।
- उपरोक्त प्रसंगों पर लेखक ने अपने पुस्तक में चर्चा क्यों की है। क्या उस समय इसका विशेष महत्व था।
- आज के संदर्भ में यदि लेखक उपरोक्त प्रसंगों पर पुनः विचार करता तो वह अपने पुस्तक के इस अंश से क्या क्या बाहर निकालता और क्या क्या जोड़ता।

इस प्रकार जब आप 'हिन्द स्वराज' पुस्तक को पढ़ें तो उसमें दी गई चर्चाओं में से विमर्श के विभिन्न बिन्दुओं को निकालें और उनपर स्वयं विचार करें।

आप यह पाएंगे कि विमर्श के बिन्दुओं को चिन्हित करने के दौरान ही आप स्वयं ही कई प्रकार के विश्लेषण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। साथ ही आप उनके आधार पर समीक्षात्मक चिंतन के प्रक्रिया से भी गुजर रहे हैं।



गतिविधि

- पुस्तक हिन्द स्वराज के विभिन्न अध्यायों में संवाद के माध्यम से उठाए गए विमर्श के विभिन्न बिन्दुओं की सूची बनाए। फिर यह विश्लेषित करें कि क्या वे विमर्श के बिन्दु आपस में भी जुड़े हुए हैं। उनमें से वैसे बिन्दुओं को चिन्हित करें जो शिक्षा से सीधे सरोकार रखते हों।
- यदि हिन्द स्वराज को आज पुनः लिखा जाए तो आप इस पुस्तक में संवाद के माध्यम से और किन-किन मुद्दों को जोड़ना चाहेंगे, सूची बनाएं तथा कुछ मुद्दों को लेते हुए संवाद को भी लिखें।



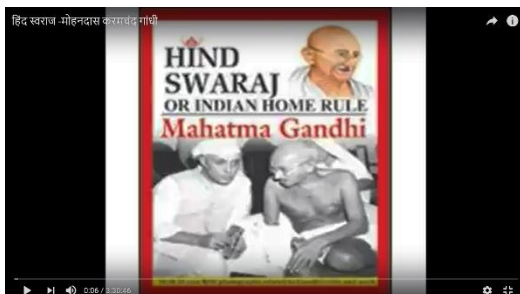
वीडियो देखने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें



<https://www.youtube.com/watch?v=PtcuKsrWToo>



वीडियो देखने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें



<https://www.youtube.com/watch?v=Bw6HaYBXZxs>

5.5 दिवास्वप्न (गिजू भाई बधेका) : शिक्षा प्रयोग के विचार को रेखांकित करते हुए

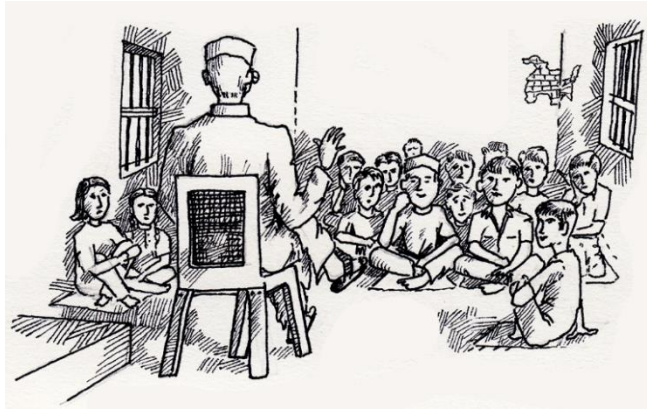
इकाई का यह भाग गिजुभाई बधेका द्वारा रचित पुस्तक 'दिवास्वप्न' पर केन्द्रित है। पुस्तक के अध्ययन से पूर्व यह आवश्यक है कि लेखक एवं पुस्तक की पृष्ठभूमि से थोड़ा अवगत हो जाया जाय। लेखक के विचारों से विशेष परिचय मूल कृति के पठन के दौरान प्रशिक्षुओं को स्वतः ही हो जाएगा। आगे के उपखण्डों में लेखक एवं पुस्तक के पृष्ठभूमि से परिचय के उपरांत पुस्तक को समझने हेतु विभिन्न दृष्टिकोणों को विकसित करने हेतु विमर्श के विभिन्न बिन्दुओं पर सउदाहरण चर्चा की गयी है। आगामी दो उपखण्डों के स्वाध्याय के साथ साथ आप मूल रचना को पढ़ें।

5.5.1 लेखक एवं पुस्तक के पृष्ठभूमि से परिचय

आइए अब हम दिवास्वप्न के लेखक एवम् शिक्षक गिजुभाई बधेका से परिचित होते हैं। गिजुभाई बधेका का जन्म 15 नवम्बर, 1885 को गुजरात में हुआ था। यह मुलतः उच्च न्यायालय में वकालत करते थे। गिजुभाई की

बच्चों से संबंधित साहित्य एवम् गंभीर लेखन को पढ़ने में विशेष रुचि होने कारण उन्होंने मॉटेसरी मदर¹ नामक पुस्तक पढ़ा जिसका उनपर विशेष प्रभाव पड़ा।

दिवास्वप्न पुस्तक सबसे पहले 1932 में गुजराती में प्रकाशित हुई। दिवास्वप्न एक ऐसे शिक्षक की काल्पनिक कथा है जो शिक्षा की दकियानूसी संस्कृति को नहीं स्वीकारता और परंपरा व पाठ्यपुस्तकों की सचेत अवेहलना करके बच्चों के प्रति सरस और प्रयोगशील बना रहता है।



5.5.2 पुस्तक के समीक्षायी समझ हेतु विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा

इस पुस्तक को समझने के लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले पुस्तक के प्रति लेखक के दृष्टिकोण को समझा जाय। इसके लिए आप पुस्तक में लेखक द्वारा लिखे गए आमुख को भी अवश्य पढ़ें।

अब आप पुस्तक के विभिन्न अध्यायों के पठन के दौरान यह विश्लेषित करें कि उनके माध्यम से किन-किन मुद्दों को उठाया गया है तथा उनका शिक्षा से क्या जुड़ाव है। उदाहरण के तौर पर इस पुस्तक के कुछ अंश आगे दिये जा रहे हैं तथा उसमें प्रमुखता से उठाए गए विमर्श के बिन्दुओं को आगे दिया जा रहा है ताकि इस माध्यम से आप यह समझ सकें कि पुस्तक के विषयवस्तुओं पर आप किन किन दृष्टिकोणों से समीक्षात्मक चिंतन कर सकते हैं।



दिवास्वप्न पुस्तक का अंश

मैंने देखा कि इन लड़कों को मुझे पढ़ाना था! इन मसखरे, ऊधमी, ऐंठबाज और विचित्र लड़कों को! मन थोड़ा डर सा गया, छाती भी धड़क गई, लेकिन फिर सोचा—परवाह नहीं, धीरे-धीरे देख लूँगा।

मैं रात नोट की हुई बातें जेब से निकाल कर देखने लगा। लिखा था— पहले शान्ति का खेल, फिर कक्षा की सफाई की जाँच, फिर सहगान, फिर वार्तालाप आदि।

मैंने लड़कों से कहा— ‘आओ, हम शान्ति का खेल खेलें। देखो, मैं जब ‘ओम् शान्ति:’ कहूँ, तुम सब चुपचाप बैठ जाना। बराबर पालथी मारकर बैठना। देखना, कोई हिलना—डुलना तक नहीं। फिर मैं खिड़कियाँ बंद करूँगा तो हर तरफ अंधेरा होगा। तुम सब शान्त रहना। तुम्हें आसपास का कोलाहल सुनाई देगा। उसको सुनने में बड़ा मज़ा आएगा। मक्खियों की भिनभिनाहट सुनाई पड़ेगी। अपने सांसों की आवाज भी सुनाई पड़ेगी। फिर मैं गाऊँगा और तुम सब चुपचाप सुनना।’

इतना कह चुकने के बाद मैंने शान्ति का खेल शुरू किया। मैं ‘ओम् शान्ति:’ बोला, लेकिन लड़के तो धक्का—मुक्की और बातों में लगे थे। दो—चार बार बोला, लेकिन मानो मेरी आवाज किसी को सुनायी ही न दी हो जैसे! मैं मन ही मन सकपकाया। यह कैसे कहता कि ‘चुप रहो! गड़बड़ मत करो!’ तमाचा मारकर डराता भी कैसे? खैर, मैं आगे बढ़ा और खिड़कियाँ बन्द कर दीं। अंधेरा हुआ और ध्यान (?) चला। लड़कों में से कोई ‘ऊँ—ऊँ’ करने लगा, कोई ‘हाऊ—हाऊ’ करने लगा,

तो कोई 'धम-धम' पैर पटकने लगा। इतने में एक ने ताली बजाई और सब ताली बजाने लगे। फिर कोई हँसा और हँसी उड़ने लगी। मैं खिसिया गया। मुँह फीका पड़ गया। मैंने खिड़कियाँ खोल दीं और थोड़ी देर कमरे से बाहर जाकर वापस आया। सारी कक्षा ऊधम मचाने में लगी थी। लड़के एक-दूसरे से 'ओम् शान्तिः' कह रहे थे। कुछ खड़े होकर खुछ ही खिड़कियाँ बन्द कर रहे थे।

मैंने सोचा—मेरे ये नोट्स बेकार हैं। घर में बैठे-बैठे अटकलें लगाना और कल्पना में पढ़ा लेना सहज था, लेकिन यह तो लोहे के चने चबाने जैसा है। जो अब तक कोलाहल और ऊधम में ही पले हैं, उनके सामने शान्ति का खेल अभी तो भैंस के सामने बीन बजाने के समान है। लेकिन चिन्ता नहीं। अच्छा ही हुआ कि पहले ही कौर में मक्खी आ गयी। कल से अब नया काम आरम्भ करूँगा।

उपरोक्त अंश के विमर्श के बिन्दु :

- सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को पहले से किस हद तक योजनाबद्ध किया जा सकता है।
- क्या सीखने की प्रक्रिया को पूर्णरूप से शिक्षक के द्वारा संचालित किया जाना चाहिए।
- क्या सीखना सिर्फ शांत होकर हो सकता है अथवा शोर में भी सीखने की कई संभावनाएँ हैं।
- उपरोक्त मुद्दे आज के शिक्षण की चुनौतियों से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं।



क्रियाकलाप

दिवास्वप्न के विभिन्न प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए आप कुछ सीखने की योजनाओं को तैयार करें जिसमें उन प्रयोगों को फिर से परखने और उपयोग करने का अवसर हो।

इस प्रकार जब आप 'दिवास्वप्न' पुस्तक को पढ़ें तो उसमें दी गई चर्चाओं में से विमर्श के विभिन्न बिन्दुओं को निकालें और उनपर स्वयं विचार करें। उन विमर्श के बिन्दुओं को समकालीन समाज के संदर्भ में विश्लेषित करें। शिक्षणशास्त्र के दृष्टिकोण से इस पुस्तक के प्रयोगों की समीक्षा भी करें।



गतिविधि

पुस्तक 'दिवास्वप्न' को पढ़ने के पश्चात कक्षा की निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें

कक्षा स्थिति -1	कक्षा स्थिति -2
मोहनलाल अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक है। इनका मानना है कि अच्छी पढ़ाई का मतलब बच्चों का अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होना है। इनकी कक्षा के बच्चे इनसे बहुत डरते हैं। इनका मानना है कि पाठ्य-पुस्तक आधारित शिक्षण विधि श्रेष्ठ होती हैं। मोहनलाल के अनुसार बच्चों में शिक्षक के प्रति आदर एवम् डर का होना बहुत जरूरी है। बच्चों के विकास के लिये शारिरिक एवम् मानसिक दंड आवश्यक है। खेल, संगीत, और मनोरंजन को वह समय की बरबादी मानते हुये मात्र	मोहसिना एक प्राथमिक शिक्षिका है। वह बच्चों की रुची व उनकी पसंद के हिसाब से पाठ योजना बनाती है। वह बच्चों के खुद से सिखने में विश्वास रखती है। वह किताबी ज्ञान से ज्यादा सामाजिक एवं व्यवहारिक ज्ञान को आवश्यक मानती हैं। वह बच्चों को कहानियों, खेलों, व मनोरंजक गतिविधियों द्वारा सिखाती है, सो बच्चे उसे आदर के साथ-साथ पसंद भी करते हैं। वह परीक्षा को एक शिक्षण गतिविधि के रूप में इस्तेमाल करती है जिससे बच्चे बिना डरे मजे से परीक्षा देने को तैयार रहते हैं। बच्चों के ना सिखने को वह अपनी समस्या मानकर अपनी शिक्षण शैली का मुल्यांकन करती है।

औपचारिकतायें पुरी करते हैं। मोहनलाल बच्चों के फेल होने का जिम्मेवार खुद उन्हें और उनके अभिभावक को मानते हुये अपने शिक्षण शैली के मुल्यांकन से पिछा छुड़ा लेते हैं।	वास्तव में वह खुद यह सीखने का प्रयास करती है कि बच्चे कैसे और कितनी आसानी से बेहतर सीख सकते हैं। वह अभिभावकों के बात कर सहयोग के लिये प्रेरित व जागृत करती है।
--	--

उपरोक्त दो भिन्न तालिकाओं में दी गई स्थितियों को ध्यान से पढ़ें तथा निम्न प्रश्नों पर विचार करें

- मोहनलाल की कक्षा की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, इसकी कल्पना करें। अपने कक्षा में उन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए अपने शिक्षणशास्त्र को निर्मित करें और फिर कक्षा में विद्यार्थियों के गतिविधियों का अवलोकन करें।
- मोहसिना की कक्षा में अध्ययन अध्यापन की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, इसको चिन्हित करें। अपनी कक्षा के शिक्षणशास्त्र को भी उसी तर्ज पर निर्मित करें तथा कक्षा में विद्यार्थियों के गतिविधियों का अवलोकन करें।
- उपरोक्त दोनों प्रकार के परिस्थितियों में बच्चों के सीखने-सिखाने पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, इसका विश्लेषण करें। किस परिस्थिति को आप शिक्षण अधिगम के लिए बेहतर मानते हैं।



5.6 समेकन तथा सीखने-सिखाने में सहयोगी ई-संसाधन

इस प्रकार आपने गांधी जी और गिजू भाई बधेका, इन दो विचारकों के मौलिक रचनाओं के अध्ययन के माध्यम से उनके विचारों से अवगत हुए हैं। आशा है कि आप उनके विचारों के संदर्भ को समझते हुए अपने शिक्षण अधिगम कार्य में उन्हें शामिल करेंगे।



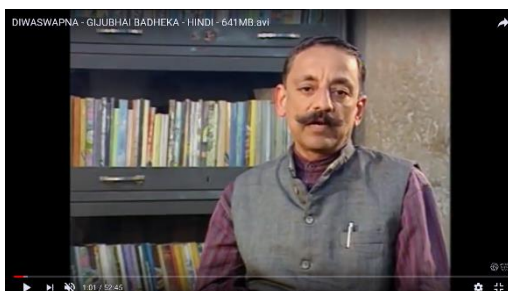
वीडियो देखने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें



<https://www.youtube.com/watch?v=FqogUb5oHBA>



वीडियो देखने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें



<https://www.youtube.com/watch?v=CSRg9eAgGSc&t=59s>



वीडियो देखने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या दिए गए क्यूआर को स्कैन करें



<https://www.slideshare.net/sqjafer/perspectives-in-education>

इकाई की विस्तृत समझ के लिए निम्नलिखित ई-संसाधनों का भी उपयोग जरूर करें :

- इकाई के विषयवस्तु पर निर्मित आई.सी.टी. / ऑडियो-विजुअल / एनिमेशन सामग्री।
- प्रारम्भिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों पर आधारित डिजिटल सामग्री, जो इस इकाई से सम्बंधित हों।
- इकाई के विषयवस्तु से सम्बंधित फिल्म, डॉक्युमेंटरी, प्रेजेन्टेशन, वेब-रिसोर्स, ओपेन रिसोर्स, आदि।



5.7 स्वमूल्यांकन

1. गांधी जी ने अपने हिन्द स्वराज पुस्तक में किन-किन मुद्दों पर चर्चा की है?
2. आप उनमें से किन मुद्दों को आज के संदर्भ में अति महत्वपूर्ण मानते हैं?
3. आप हिन्द स्वराज के किन-किन मुद्दों से असहमत या सहमत है? क्यों?
4. दिवास्वप्न में जिस तरह के विद्यालय का वर्णन है, उसकी विशेषताओं और आपके विद्यालय की विशेषताओं का तुलनात्मक विश्लेषण करें।
5. क्या आप किसी ऐसे शिक्षक या शिक्षिका के बारे में जानते हैं जो दिवास्वप्न के शिक्षक के तरह हो?
6. आप स्वयं दिवास्वप्न के शिक्षक की तरह कैसे बन सकते हैं? विचार करें।

बाल विकास और सीखना-1

उपयोगी पठन सामग्री

- एन.सी.ई.आर.टी. (2005). राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005. नई दिल्ली : एन.सी.ई.आर.टी.
- सिंह, अरुण कुमार (2012). समाज मनोविज्ञान की रूपरेखा. पटना : मोतीलाल बनारसीदास.
- मंगल, एस. के. (2008). शिक्षा मनोविज्ञान. नई दिल्ली : हॉल ऑफ इण्डिया प्रा. लि.
- Berk, Laura E. (2007). Child Development. New Delhi: Pearson Education.
- Piaget, Jean (2002). Language and Thought of the Child. London: Routledge.
- Ranganathan, N. (2000). The Primary School Child: Development and Education. New Delhi: Orient Longman Publication.
- Woolfolk, Anita (2005). Educational Psychology. Delhi: Pearson.

इस पठन सामग्री के विषय में अपने फीडबैक तथा अन्य नोट्स
लिखने के लिए



राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी.),
महेन्द्र, पटना, बिहार - 800006